



PLUTUS IAS

मासिक करेंट अपेयर्स

नवंबर 2025

मुख्य आकर्षण :

1. लोकतंत्र का प्रहरी : भारत का निर्वाचन आयोग और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
2. भारत - ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध: रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए आयाम.
3. भारत का समुद्री पुनर्जागरण : 'नीली अर्थव्यवस्था' के माध्यम से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर.
4. नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क : ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को मज़बूत करना.
5. भारत का विजन 2025-2030 : संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए विज्ञान-संचालित संरक्षण.
6. भारत में बढ़ती महिला श्रम बल भागीदारी (PFELS) की दर.

PLUTUS IAS

Where there is a will there is way

Offline/Online/Hybrid Batches
Admission Open at Karol Bagh/Chandigarh



**Experienced
Renowned
Faculties**



**Personalized
Mentorship
Programme**



**Notes Making &
Answer Writing**



**Live Session
with Backup**

Important Courses Offered by PLUTUS IAS

- **GS Foundation Course**
- **NCERT Base**
- **Pre Cum Mains (GS)**
- **Prelims Test Series (65 Tests)**
- **Mains Test Series (24 Tests)**

प्रिय अभ्यर्थियों,

“यह परीक्षा मात्र प्रश्नों का उत्तर देने की नहीं, बल्कि यह दृष्टिकोण, धैर्य और अनुशासन की पहचान है। अतः जो तूफानों से लड़ना जानता है, वही इतिहास में अपना नाम लिखता है।”

सिविल सेवा परीक्षा केवल एक प्रतिस्पर्धा भर नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, मनोबल और सकारात्मक दृष्टिकोण की कसौटी है। महात्मा गांधी ने कहा था कि— **“ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, यह अदम्य इच्छाशक्ति से आती है।”** इसी अदम्य शक्ति और संकल्प के साथ जब आप अपनी तैयारी को साधना का रूप देंगे, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी।

प्लूटस आईएएस टीम द्वारा प्रस्तुत यह करेंट अफेयर्स पत्रिका इस प्रकार संकलित की गई है कि इसमें सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े सभी प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण विषयों को व्यापक दृष्टिकोण से समाहित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि यह पत्रिका न केवल आपकी तैयारी को ठोस आधार दे, बल्कि आपको समकालीन घटनाओं और उनके पीछे छिपे विमर्श को समझने की क्षमता भी प्रदान करे।

“हर दिन का छोटा प्रयास ही भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनता है।” अतः एक ओर समाचार पत्र जहाँ करेंट अफेयर्स की तैयारी का प्राथमिक स्रोत हैं, वहीं यह पत्रिका उस ज्ञान को गहराई देने वाला सहायक साधन है। आज समसामयिक घटनाएँ केवल समाचार नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैचारिक स्पष्टता, मौलिक चिंतन और विश्लेषणात्मक क्षमता की परीक्षा का आधार बन गई हैं। अतः हमने इसे इस प्रकार तैयार किया है कि यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध हो।

सिविल सेवा की तैयारी केवल तथ्यों को रटने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके सोचने के ढंग को निखारने की यात्रा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था — **“उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।”** यह यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु याद रखें — **“संघर्ष जितना कठिन होगा, विजय उतनी ही महान होगी।”**

इस परीक्षा में वही सफल होता है, जिसके पास धैर्य की शक्ति, अनुशासन की तपस्या और कर्म की निरंतरता होती है। यह पत्रिका आपको ज्ञान और दृष्टि, दोनों के संतुलन में मदद करेगी। अतः अपने मन के हर संशय और भय को दूर रखकर, मेहनत को अपना हथियार बनाइए।

“मन के हर संशय और डर को रख दूर, मेहनत को बना ले हथियार, तू ही है निर्माता, तू ही है पतवार। उठ! समय है तेरा, इतिहास रचने को हो जाओ तैयार, सिविल सेवक बन कर, देश और मानवता की सेवा को करो स्वीकार।।”

प्लूटस आईएएस टीम आपको आगामी सफलता की अग्रिम और अशेष हार्दिक शुभकामनाएँ देती है। आपके उज्ज्वल भविष्य के मंगलकामना के साथ आपका शुभाकांक्षी -

टीम प्लूटस आईएएस।

स्रोत:

द हिंदू | द इंडियन एक्सप्रेस | द इकोनॉमिक टाइम्स | प्रेस सूचना ब्यूरो | पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च | आईडीएसए: रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान | योजना और कुरुक्षेत्र | लोकसभा और राज्यसभा की बहसें।



नवंबर 2025

करेंट अफेयर्स

अनुक्रमणिका

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था

(Indian Politics and Governance) :

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) : आतंकवाद और उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ भारत की रणनीति.....1
- भारत में पंचायती राज संस्थाओं का डिजिटलीकरण.....3
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) : भारत की न्याय प्रणाली के लिए आशा की किरण 7
- छठवीं अनुसूची : लद्दाख का मामला और स्वायत्तता की खोज.....11
- नव्या (NAVYA) – भारत को विकसित भारत @2047 विजन के लिए युवा महिलाओं को कौशल प्रदान करना.....13
- न्यायालय की अवमानना : न्यायिक अधिकार और संवैधानिक स्वतंत्रता में संतुलन 15
- लोकतंत्र का प्रहरी : भारत का निर्वाचन आयोग और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 19
- भारत में गैलेंट्री अवार्ड्स : सेवा और बलिदान की भावना को मजबूत करना 22

अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International relations):

- भारत-अमेरिका संबंध : गुटनिरपेक्षता (NAM) से व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक 25
- भारत और रूस संबंध : सांस्कृतिक – सामरिक संबंध और उभरती चुनौतियाँ 27
- भारत का वायु रक्षा आधुनिकीकरण बनाम मिशन 'सुदर्शन चक्र' 30
- भारत – अफगानिस्तान संबंधों में नया अध्याय : तालिबान के विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा 32

- भारत – ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध : रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए आयाम 35
- इजराइल – हमास शांति समझौता : गाज़ा में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की नई उम्मीद.....38
- भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान.....41
- भारत – आसियान द्विपक्षीय संबंध.....43

भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy):

- भारत का समुद्री पुनर्जागरण : 'नीली अर्थव्यवस्था' के माध्यम से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर.....46
- भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र : वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना 49
- खाद्यान्न उत्पादन एवं भंडारण : भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ 52
- भारतीय रेलवे : भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाला इंजन..55
- विश्व खाद्य दिवस 2025 : सतत राष्ट्र के निर्माण में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का योगदान 58
- भारत की दलहन क्रांति 2.0 : आत्मनिर्भरता और किसानों की समृद्धि का मार्ग 61

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (Science and Technology):

- भारत की साइबर धोखाधड़ी पर प्रतिक्रिया : ऑनलाइन व्यवस्था से नागरिकों की सुरक्षा 65
- नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क : ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को मजबूत करना 68

आंतरिक सुरक्षा (Internal Security)

- भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) की घटती संख्या 72
- पुलिस स्मृति दिवस 2025 : आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी का सम्मान.....74

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (Environment and Ecology):

- विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क और भारत का 13वां शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व 77
- भारत में भूस्खलन : कारण, परिणाम और शमन रणनीतियाँ.....79
- भारत का विजन 2025-2030 : संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए विज्ञान-संचालित संरक्षण 83

भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति (INDIAN HISTORY, ART AND CULTURE) :

- राष्ट्रपति भवन में कोणार्क के पहियों का समर्पण : शिल्प और संस्कृति का मिलन 86
- भारत में भगदड़ के कारण बढ़ती मृत्यु की घटनाएं : करूर (तमिलनाडु) त्रासदी से सबक 88
- यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत : भारत के पारंपरिक अनुष्ठान पवित्र रंगमंच 91
- भारत में बढ़ती महिला श्रम बल भागीदारी (PFLE) की दर....95
- भारत में जनसांख्यिकी मिशन का रोडमैप.....97
- वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI), 2025 रिपोर्ट 101

भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) : आतंकवाद और उभरते सुरक्षा खतरों के खिलाफ भारत की रणनीति

समाचार में क्यों?



- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादी तारिक अहमद मीर की अचल संपत्तियाँ ज़ब्त कर ली हैं, जिस पर कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन के सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद की आपूर्ति करने का आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
- जम्मू स्थित एनआईए की विशेष अदालत द्वारा आदेशित यह कार्रवाई, भारत की शांति, स्थिरता और सद्भाव को खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बाधित करने के लिए आतंकी नेटवर्क पर एजेंसी की चल रही कार्रवाई का हिस्सा है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) : भूमिका, अधिदेश और सुरक्षा चुनौतियाँ :

पृष्ठभूमि :

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्थापना 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी, जिसने भारत के आतंकवाद-रोधी ढांचे में खामियों को उजागर किया था।
- यह गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत केंद्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

- एनआईए का अधिकार क्षेत्र राष्ट्रव्यापी है और यह अन्य केंद्रीय एजेंसियों के विपरीत, राज्य सरकारों की पूर्व स्वीकृति के बिना भी जांच कर सकती है।
- इसे आतंकवादी खतरों के प्रति पेशेवर, विशिष्ट और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।

संरचना / संगठनात्मक संरचना :

- मुख्य महानिदेशक (डीजी)** - आईपीएस रैंक का अधिकारी (पुलिस महानिदेशक के समान)।
- पदानुक्रम:** डीजी → विशेष/अतिरिक्त डीजी → महानिरीक्षक (आईजी) → उप महानिरीक्षक (डीआईजी) → पुलिस अधीक्षक (एसपी) → अतिरिक्त एसपी → उप एसपी।
- शाखाएँ:** मुख्यालय नई दिल्ली में तथा शाखाएँ हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, जम्मू, कोच्ची, रायपुर, चंडीगढ़, रांची, कोलकाता, चेन्नई, इम्फाल में हैं।
- कार्मिक:** आईपीएस, आईआरएस, सीएपीएफ, राज्य पुलिस सेवा और एसएससी भर्तियों से लिया गया।
- विशेष एनआईए न्यायालय:** आतंकवाद से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए एनआईए अधिनियम की धारा 11 और 22 के तहत स्थापित।

एनआईए का अधिदेश :

- राष्ट्रीय और सीमा पार प्रभाव वाले अपराधों, विशेष रूप से आतंकवाद और उग्रवाद, की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना।
- निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराधों को शामिल करता है: गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए)
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962
- सामूहिक विनाश के हथियार अधिनियम, 2005
- नागरिक उड्डयन सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 1982 एनआईए (संशोधन) अधिनियम, विस्तारित अधिकार क्षेत्र को शामिल किया गया:

6. मानव तस्करी
7. नकली मुद्रा
8. निषिद्ध हथियारों का निर्माण/बिक्री
9. साइबर आतंकवाद
10. विदेशों में भारतीयों पर आतंकवादी हमले।

शक्तियाँ : तलाशी, जब्ती, बिना वारंट के गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्क करना और आतंकवादी डेटाबेस बनाए रखना।

एनआईए की सफलताएँ :

1. **व्यक्तिगत गिरफ्तारियाँ :** यासीन भटकल (इंडियन मुजाहिदीन संस्थापक, 2013) की गिरफ्तारी।
- **26/11 मुंबई हमलों** में उसकी भूमिका के लिए तहवुर राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण (2025)। इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब से अबू जुंदाद की गिरफ्तारी (2012)।
2. **आतंकवाद विरोधी अभियान :** आतंकी वित्तपोषण मामले में हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ आरोपपत्र दायर (2019)।
- **जम्मू-कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क** पर कार्रवाई, जिसमें हाल ही में हिज्बुल मुजाहिदीन के गुर्गों की संपत्ति कुर्क करना भी शामिल है।
3. **नक्सलवाद से निपटना :** बस्तर घात (2013) के पीछे नक्सली कमांडरों की पहचान की और उन्हें निशाना बनाया।
4. **उत्तर-पूर्व ऑपरेशन :** मणिपुर हिंसा (2023) में म्यांमार और बांग्लादेश-आधारित समूहों की संलिप्तता वाली अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश।
5. **न्यायिक परिणाम :** विशेष एनआईए अदालतों के माध्यम से आतंकवाद से संबंधित मामलों में उच्च दोषसिद्धि दर को कम कर सकते हैं।

गैर-राज्यीय तत्वों से उभरते खतरे :

1. **आतंकवाद और कट्टरपंथ :** लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे सीमा पार आतंकवादी समूहों से लगातार चुनौतियाँ मिल रही हैं, जो कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने के लिए धार्मिक और राजनीतिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं।
2. **आतंकवाद वित्तपोषण और धन शोधन :** हवाला नेटवर्क, मादक पदार्थों का व्यापार और जाली मुद्रा जैसे माध्यम आतंकवादी संगठनों को धन मुहैया कराते रहते हैं, जिससे भारत की वित्तीय प्रणाली अस्थिर हो रही है।

3. **साइबर आतंकवाद :** भारत के युवाओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को निशाना बनाने के लिए आईएसआईएस जैसे समूहों द्वारा हैकिंग, ऑनलाइन प्रचार, एन्क्रिप्टेड संचार ऐप और सोशल मीडिया भर्ती का उपयोग।
4. **लोन-वुल्फ हमले :** कट्टरपंथी व्यक्ति, जो प्रायः वैश्विक आतंकवादी संगठनों से प्रेरित होते हैं, अप्रत्याशित और उच्च जोखिम वाली सुरक्षा चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं।
5. **ड्रोन आधारित आतंकवाद :** सीमा पार, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और पंजाब में, हथियारों, गोला-बारूद, ड्रग्स और आईईडी की तस्करी के लिए मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) का बढ़ता उपयोग।
6. **अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र :** कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में सीमा पार संपर्क, जिसमें पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश में आतंकवादी पनाहगाह शामिल हैं।
7. **शहरी नक्सलवाद :** शासन को अस्थिर करने और राज्य-विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वैचारिक कट्टरता, गुप्त भर्ती और शहरी केंद्रों में भूमिगत कोशिकाओं का गठन।

खतरों से निपटने के समाधान :

1. **एनआईए अधिनियम, 2008 और संशोधन, 2019 :** एनआईए को समवर्ती क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया, जिससे वह भारत और यहां तक कि विदेशों में भी साइबर आतंकवाद, मानव तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण को कवर करते हुए अनुसूचित अपराधों की जांच कर सकेगी।
2. **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 :** सरकार को संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने, उनके वित्तपोषण और नेटवर्क को समाप्त करने का अधिकार दिया गया।
3. **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) :** रणनीतिक राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों के निर्माण और समन्वय के लिए शीर्ष निकाय।
4. **बहु-एजेंसी केंद्र (एमएसी) :** वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को एकीकृत करने वाला 24/7 खुफिया-साझाकरण केंद्र।
5. **संयुक्त कार्य बल :** जटिल आतंकवादी नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए एनआईए, राज्य पुलिस, सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के बीच परिचालन समन्वय को मजबूत करना।
6. **विशेष एनआईए न्यायालय :** आतंकवाद से संबंधित अपराधों की समयबद्ध सुनवाई की सुविधा प्रदान करना, जिससे त्वरित न्याय और निवारण सुनिश्चित हो सके।
7. **संपत्ति जब्ती और वित्तीय ट्रैकिंग :** संपत्ति कुर्क करने, बैंक खातों को फ्रीज करने और क्रिप्टोकॉरेसी लेनदेन की निगरानी के माध्यम से आतंकवादी वित्तपोषण चैनलों को लक्षित करना।

सुरक्षा बढ़ाने के उपाय :

1. **खुफिया क्षमताओं को मजबूत करना :** खतरों का शीघ्र पता लगाने के लिए HUMINT (मानव खुफिया) और TECHINT (तकनीकी खुफिया) दोनों में निवेश।
2. **क्षमता निर्माण :** आधुनिक फोरेंसिक प्रयोगशालाएं, साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ और विशेष आतंकवाद निरोधी इकाइयाँ स्थापित करना, साथ ही एनआईए अधिकारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना।
3. **सीमा सुरक्षा :** पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती सीमाओं पर ड्रोन की तैनाती, स्मार्ट बाड़ लगाना, बायोमेट्रिक निगरानी और उपग्रह निगरानी।
4. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :** भगोड़ों पर नज़र रखने, अपराधियों को प्रत्यर्पित करने और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इंटरपोल, एफएटीएफ, संयुक्त राष्ट्र निकायों और द्विपक्षीय आतंकवाद-रोधी समझौतों के साथ मजबूत सहयोग।
5. **कानूनी सुधार :** आतंकवाद के वित्तपोषण विरोधी कानूनों को कड़ा करना, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता सुनिश्चित करना, तथा डार्क वेब गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए साइबर कानूनों को अद्यतन करना।
6. **सामुदायिक सहभागिता और कट्टरपंथ का प्रतिकार :** युवाओं को चरमपंथी विचारधाराओं की ओर आकर्षित होने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान, कट्टरपंथ-विरोधी कार्यक्रम और शैक्षिक पहुंच शुरू करना।
7. **प्रौद्योगिकी अपनाना :** उभरते सुरक्षा खतरों का पूर्वानुमान लगाने, उनका पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन और साइबर रक्षा प्रणालियों का लाभ उठाना।

निष्कर्ष :

1. एनआईए आतंकवाद और गैर-सरकारी तत्वों के खतरों के विरुद्ध भारत की अग्रिम पंक्ति की रक्षा एजेंसी के रूप में उभरी है, जो सशक्त जाँच, उच्च दोषसिद्धि दर और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
2. हालाँकि, साइबर आतंकवाद, ड्रोन युद्ध और अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथ जैसे उभरते खतरों के साथ, एजेंसी को अपनी कानूनी, तकनीकी और मानव संसाधन क्षमताओं को निरंतर उन्नत करना होगा।
3. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना, बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना और संघीय समन्वय सुनिश्चित करना
4. एनआईए को भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने वाली एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी आतंकवाद-रोधी एजेंसी बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न :

Q. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी स्थापना 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद एनआईए अधिनियम, 2008 के तहत की गई थी।
2. एनआईए को जांच शुरू करने से पहले राज्य सरकारों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है।
3. एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने मानव तस्करी और साइबर आतंकवाद जैसे अपराधों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर : b

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न :

Q. भारत सरकार ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 और एनआईए अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद-रोधी कानूनों को और मजबूत किया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा यूएपीए का विरोध करने के दायरे और कारणों पर चर्चा करते हुए, मौजूदा सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में इन बदलावों का विश्लेषण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15) (UPSC- 2019)

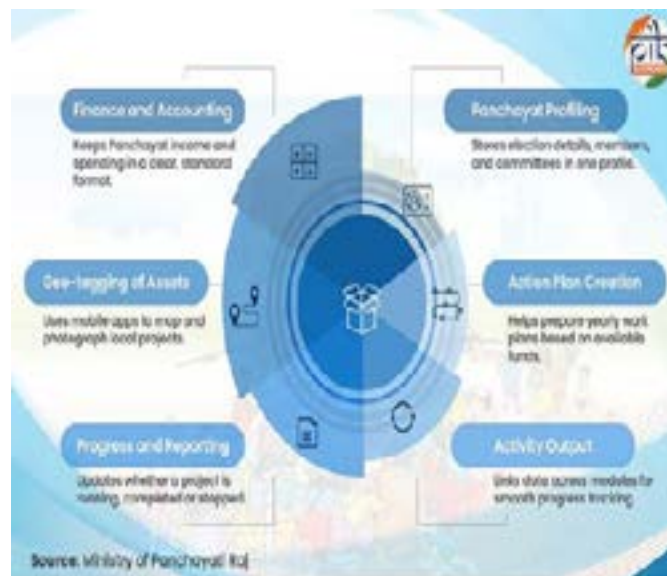
भारत में पंचायती राज संस्थाओं का डिजिटलीकरण

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने देश भर के ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुधारों को लागू किया है, जो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप हैं।
- ग्राम पंचायतों में डिजिटल सुधारों सुधारों का मुख्य लक्ष्य पंचायतों में पारदर्शी, कुशल और समावेशी ग्रामीण शासन को बढ़ावा देना है।



भारत में ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रमुख डिजिटल पहलें :



- **सभासार** : अगस्त 2025 में शुरू किया गया यह एआई उपकरण ग्रामसभा और अन्य पंचायत बैठकों की संरचित कार्यवृत्त तैयार करता है। भाषिणी से एकीकृत होने के कारण यह 14 भारतीय भाषाओं में कार्य करने में सक्षम है और वास्तविक समय में निष्पक्ष अभिलेख उपलब्ध कराता है।
- **ई-ग्रामस्वराज** : पंचायतों की मूलभूत कार्यप्रणालियों—जैसे योजना निर्माण, बजट, लेखांकन, निगरानी, रिपोर्टिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन और ऑनलाइन भुगतान—को एकीकृत करने वाला यह अनुप्रयोग 28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में 2.7 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाओं को सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- **स्वामित्व योजना (SVAMITVA)** : अत्याधुनिक तकनीक से ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण कर ग्रामीण परिवारों को कानूनी स्वामित्व पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे बैंक ऋण प्राप्त करने, विवाद सुलझाने और संपत्ति के उत्पादक उपयोग में आसानी होती है। अगस्त 2025 तक इस योजना के अंतर्गत 1.73 लाख गाँवों में 2.63 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- **भारतनेट** : ग्राम स्तर तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए यह पहल Wi-Fi हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन

और अन्य सेवाएँ प्रदान करती है। अब तक 13 लाख से अधिक FTTH कनेक्शन स्थापित किए गए हैं।

- **मेरी पंचायत ऐप** : यह मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पंचायत कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। वर्तमान में यह 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में 25 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और लगभग 95 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- **ग्राम मानचित्र** : यह एकीकृत डिजिटल मानचित्र प्रदान करता है, जिसके माध्यम से विकास कार्यों का दृश्यांकन संभव होता है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के अनुरूप परियोजनाओं का स्वरूपण करता है और परियोजना स्थलों की पहचान, परिसंपत्तियों की निगरानी, लागत आकलन एवं प्रभाव मूल्यांकन में मदद करता है।
- **पंचायत निर्णय** : यह पोर्टल बैठकों का समय तय करने, नागरिकों को एजेंडा की सूचना देने, ग्रामसभा के निर्णयों का अभिलेख रखने तथा कागजी प्रक्रियाओं को डिजिटल कार्यप्रवाह से प्रतिस्थापित करने में सहायक है।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की पृष्ठभूमि :

- इस दिवस की शुरुआत भारत में सबसे पहले वर्ष 2010 में हुई थी, और यह 1992 में लागू हुए 73वें संविधान संशोधन की वर्षगांठ को चिह्नित करता है, जिसने भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। इस संशोधन ने ग्रामीण विकास और स्वशासन के लिए एक नई दिशा निर्धारित की थी।
- तब से भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
- पंचायती राज प्रणाली ने ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक शासन को मजबूत किया है, जिससे ग्रामीण नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और स्थानीय विकास में भागीदारी करने का अवसर मिला है।
- पंचायती राज प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और विकास और सशक्तिकरण का हिस्सा बनाकर उनके उत्थान में मदद की है।

भारत में पंचायतों का कार्यकाल :

- भारत में पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
- प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए होते हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन है।
- इन्हें ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित विषयों के संबंध में आर्थिक

विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है।

- पंचायती राज व्यवस्था में छूट की व्यवस्था भारत के कुछ राज्यों में लागू नहीं होती है। जैसे नगालैंड, मेघालय, मिज़ोरम और कुछ अन्य क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
- **आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान** : ये राज्य पाँचवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं।
- **मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र** : यहाँ पर जिला परिषदें मौजूद हैं।
- **पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग ज़िले के पहाड़ी क्षेत्र** : इस क्षेत्र में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है।
- संसद ने पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के माध्यम से भाग 9 और 5वीं अनुसूची क्षेत्रों के प्रावधानों को बढ़ाया है।
- भारत में वर्तमान में 10 राज्य (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना) पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल हैं।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास - क्रम :



- पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इन संस्थानों को प्राचीन काल में “पंचायत” के रूप में जाना जाता था और ये मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे।
- वैदिक युग में पंचायत प्रणाली न्याय प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था थी। ये पंचायतें ग्राम प्रधान और ग्राम समुदाय के चार अन्य सम्मानित सदस्यों से बनी होती थी, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा चुना जाता था।
- 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत में स्थानीय स्वशासन के आधुनिक रूपों की शुरुआत की, जो पंचायती राज प्रणाली पर आधारित थे।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
- पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution) को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। यह भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसका अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन। पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने ग्राम पंचायतों के नियोजन, लेखा, निगरानी कार्यों को एकीकृत करने के लिए वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्राम स्वराज (e-Gram Swaraj) लॉन्च किया है। इसमें एरिया प्रोफाइलर एप्लीकेशन, स्थानीय सरकार निर्देशिका (Local Government Directory- LGD) और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System- PFMS) के साथ ग्राम पंचायत की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग की जाती है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के संवैधानिक प्रावधान भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत स्वशासन की त्रि-स्तरीय प्रणाली को स्थापित करने का उद्देश्य रखते हैं। यह प्रणाली भारतीय संविधान के भाग IX में उल्लिखित है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O(ओ) शामिल हैं।

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं -

1. **त्रिस्तरीय प्रणाली** : ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत (ग्राम परिषद), पंचायत समिति (ब्लॉक परिषद), और जिला परिषद (जिला परिषद) शामिल हैं।
2. **जनसंख्या** : प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम स्तर पर कम से कम 500 व्यक्तियों की आबादी वाली पंचायत की स्थापना का प्रावधान है।
3. **चुनाव** : पंचायतों के नियमित चुनाव अनिवार्य हैं, और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव आयोजित किए जाते हैं।
4. **आरक्षण** : सभी स्तरों पर पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होता है, साथ ही गाँव और मध्यवर्ती स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्षों के पद का भी आरक्षण होता है।
5. **राज्य वित्त आयोग** : पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें धन, सहायता अनुदान और करों के हस्तांतरण के लिए

सिफारिशें करने के लिए वित्त आयोगों के गठन का प्रावधान करना। शामिल होता है।

6. **शक्तियाँ और कार्य** : पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ प्रदान करना, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और कृषि, कुटीर और लघु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए योजनाओं का कार्यान्वयन शामिल है।

7. **राज्य चुनाव आयोग** : भारत में तीन स्तरों पर स्थानीय सरकारों के चुनाव कराने के लिए एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान है। जिसके तहत पंचायतों का विघटन और पंचायतों में आकस्मिक रिक्तियों को भरना और पंचायतों के अध्यक्षों या सदस्यों का निलंबन या निष्कासन करना शामिल होता है।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष मुख्य चुनौतियाँ :



भारत में पंचायती राज संस्थानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं -

1. **वित्तीय संसाधनों की कमी** : पंचायती राज संस्थानों के पास अक्सर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते हैं। इससे विकास परियोजनाओं को लागू करने और बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता सीमित हो सकती है।
2. **सीमित शक्तियाँ और कार्य** : पंचायती राज संस्थानों के पास सरकार के अन्य स्तरों की तुलना में सीमित शक्तियाँ और कार्य होते हैं, जो स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
3. **कमजोर क्षमता और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी** : कई पंचायती राज संस्थानों में अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए क्षमता और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी होती है। इससे विकास परियोजनाओं की खराब योजना और कार्यान्वयन हो सकता है।
4. **महिलाओं और वंचित समूहों की सीमित भागीदारी** : पंचायती राज संस्थानों में अक्सर महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी का स्तर कम होता है, जो पूरे समुदाय की जरूरतों और

हितों का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकता है।

5. **राजनीतिक हस्तक्षेप** : पीआरआई राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन हो सकते हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

6. **जानकारी तक सीमित पहुंच** : पीआरआई के पास अक्सर जानकारी तक सीमित पहुंच होती है, जिससे जानकारीपूर्ण निर्णय लेने और विकास परियोजनाओं की योजना बनाने की उनकी क्षमता में बाधा आती है।

7. **सरकार के अन्य स्तरों के साथ खराब समन्वय** : पीआरआई को सरकार के अन्य स्तरों के साथ समन्वय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जो विकास परियोजनाओं को लागू करने और अपने समुदायों को सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

भारत में पंचायती राज संस्थानों को कैसे मजबूत किया जा सकता है ?

भारत में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। जो निम्नलिखित हैं -

1. **वित्तीय स्थिति को मजबूत करना** : पीआरआई को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए संसाधनों और वित्तीय स्वायत्तता का एक बड़ा हिस्सा प्रदान किया जाना चाहिए।
2. **शक्तियों और कार्यों को बढ़ाना** : स्थानीय मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए पीआरआई को अधिक शक्तियाँ और कार्य देने चाहिए।
3. **पदाधिकारियों की क्षमता और प्रशिक्षण में सुधार** : पीआरआई पदाधिकारियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय पंचायत नेतृत्व और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए।
4. **महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी को बढ़ावा देना** : महिलाओं और वंचित समूहों की भागीदारी बढ़ाने के उपायों में सीटें आरक्षित करना और उन्हें प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना शामिल है।
5. **पीआरआई की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना** : राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए पीआरआई की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश की गई है।
6. **सरकार के अन्य स्तरों के साथ पीआरआई के समन्वय को बढ़ाना** : दूसरे एआरसी ने सरकार के अन्य स्तरों के साथ पीआरआई के समन्वय में सुधार करने के उपायों की सिफारिश की थी और यह सुनिश्चित किया कि उनकी विकास योजनाएं और परियोजनाएं सरकार के अन्य स्तरों के साथ संरेखित हों।

निष्कर्ष / आगे की राह :



पंचायती राज के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं -

1. **फंडिंग और संसाधन बढ़ाएं** : स्थानीय सरकारों के लिए फंडिंग और संसाधन बढ़ाने से बुनियादी ढांचे और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।
2. **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना** : निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना और स्थानीय सरकार के संचालन के बारे में जानकारी की पहुंच बढ़ाना।
3. **पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना** : महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कोटा निर्धारित करना और महिलाओं को स्थानीय सरकार में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना आवश्यक है।
4. **भागीदारी में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना** : जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों और कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को शामिल करने के लिए लक्षित पहुंच प्रयासों जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

- Q1. **स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से कैसे समझाया जा सकता है? (UPSC - 2017)**
- A. संघवाद B. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
C. प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल D. प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर - B

- Q2. **निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। (UPSC 2016 & 2019)**

1. किसी भी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
2. समयपूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत केवल शेष अवधि के लिए ही मान्य होती है।

उपर्युक्त कथन / कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- A. केवल 1 B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर - B

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243F के अनुसार, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिये आवश्यक न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
- भारतीय संविधान की धारा 243E(4) के अनुसार, पंचायत की अवधि की समाप्ति से पहले एक पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत केवल उस शेष अवधि के लिए ही कार्य करती है। अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार, विकल्प B सही उत्तर है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

- Q1. **भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में पंचायती राज प्रणाली की भूमिका पर चर्चा कीजिए तथा इसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों और उनके समाधान की विवेचना कीजिए।**

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

- Q2. **“स्थानीय शासन के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि पंचायतें एवं समितियाँ शासन के प्रभावी साधन बनने की अपेक्षा अधिकतर राजनीतिक संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही हैं।” इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।**

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) : भारत की न्याय प्रणाली के लिए आशा की किरण

समाचार में क्यों?

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के सहयोग से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) के पीठासीन अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।



एडीआर क्या है?

1. परिभाषा : एडीआर का तात्पर्य पारंपरिक न्यायालय प्रणाली से बाहर के तंत्रों से है, जो विवादों को कम प्रतिकूल, लागत प्रभावी और समयबद्ध तरीके से सुलझाते हैं।
2. मुख्य विशेषताएं: यह कठोर न्यायिक प्रक्रियाओं की तुलना में आम सहमति निर्माण, लचीलेपन और पार्टी स्वायत्तता पर जोर देता है।

एडीआर के प्रकारों की तुलना :

एडीआर प्रकार	तंत्र	प्रकृति	तीसरे पक्ष की भूमिका	बाध्यकारी प्रकृति	उदाहरण
मध्यस्थता (Mediation)	स्वैच्छिक, सुविधा-जनक	लचीला और अनौपचारिक	मध्यस्थ केवल बातचीत को सुगम बनाता है, निर्णय नहीं थोपता	बाध्यकारी तभी जब पक्ष सहमत हों	पारिवारिक विवाद, वाणिज्यिक समझौते
समझौता (Conciliation)	मध्यस्थता के समान लेकिन अधिक संरचित	औपचारिकता थोड़ी अधिक	समझौता कराने वाला समाधान सुझा सकता है	निपटान समझौता कानून के तहत बाध्यकारी	औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक विवाद
मध्यस्थता करना (Arbitration)	औपचारिक, न्यायिक	अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया	मध्यस्थ न्यायाधीश की तरह कार्य करता है और निर्णय देता है	बाध्यकारी निर्णय (मध्यस्थ पुरस्कार) न्यायालयों में लागू करने योग्य	वोडाफोन बनाम भारत कर विवाद (अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता)
बातचीत (Negotiation)	पक्षों के बीच प्रत्यक्ष चर्चा	पूर्णतः अनौपचारिक	कोई तीसरा पक्ष नहीं	गैर बाध्यकारी	व्यावसायिक अनुबंध, व्यापार समझौते
लोक अदालत (Lok Adalat)	वैधानिक एडीआर (विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत)	अर्ध-न्यायिक और अनौपचारिक का मिश्रण	न्यायाधीश/मध्यस्थ पक्षों को समझौता कराने में सहायक	बाध्यकारी और गैर-अपीलीय	मोटर दुर्घटना दावे, चेक बाउंस मामले

3. प्रकार: इसमें मध्यस्थता, सुलह, पंच निर्णय, लोक अदालतें और बातचीत शामिल हैं।
4. वैश्विक प्रासंगिकता : इसका उपयोग विश्व भर में अदालतों में भीड़ कम करने तथा सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
5. भारतीय संदर्भ : मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 जैसे संवैधानिक और विधायी समर्थन के माध्यम से गति प्राप्त हुई।

उदाहरण :

1. सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) - वैश्विक केंद्र।
2. स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए), द हेग - अंतर्राष्ट्रीय विवाद।
3. भारत में लोक अदालतें - करोड़ों मामलों का त्वरित निपटारा।

एडीआर का महत्व :

1. न्याय तक आसान पहुँच (Access to Justice)

आम नागरिकों को सस्ती, तेज़ और सुलभ न्याय उपलब्ध कराता है। अदालतों के जटिल प्रक्रियात्मक ढाँचे से राहत देता है।

2. समय और लागत की बचत

पारंपरिक अदालती प्रक्रिया वर्षों तक चल सकती है, जबकि एडीआर में विवाद जल्दी सुलझ जाते हैं। इसमें वकील और अन्य कानूनी खर्च भी कम आते हैं।

3. न्यायालयों पर बोझ कम करना

भारत में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है। एडीआर प्रणाली विवादों का वैकल्पिक समाधान देकर न्यायपालिका का बोझ कम करती है।

4. गोपनीयता (Confidentiality)

पक्षों के बीच हुए विवाद और समाधान को सार्वजनिक नहीं किया जाता। व्यावसायिक मामलों में यह अत्यंत लाभकारी है।

5. लचीलापन (Flexibility)

प्रक्रिया पक्षों की आवश्यकताओं के अनुसार ढाली जा सकती है। कठोर कानूनी प्रावधानों की तुलना में अधिक सहज और मानवीय।

6. संबंधों का संरक्षण (Preservation of Relationships)

खासकर पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक विवादों में आपसी समझदारी से समाधान होता है। इससे रिश्ते टूटने की बजाय बेहतर बने रहते हैं।

7. समान अवसर और न्याय

एडीआर में तकनीकी (technicalities) कम होने से सभी पक्ष समान रूप से सुने जाते हैं। ग्रामीण और अशिक्षित लोग भी आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं।

8. वैश्विक महत्व (Global Significance)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश विवादों में एडीआर को प्राथमिकता दी जाती है। यह सीमा-पार व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देता है।

भारत में एडीआर के लिए संवैधानिक प्रावधान :

1. अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता के लिए किफायती एवं त्वरित न्याय की आवश्यकता होती है।
2. अनुच्छेद 21 – जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में शीघ्र न्याय का अधिकार भी शामिल है (हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, 1979)।

3. अनुच्छेद 39A – निशुल्क कानूनी सहायता और समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना।

4. अनुच्छेद 51(C) और (D) – अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करता है।

5. सीपीसी (सिविल प्रक्रिया संहिता), 1908 की धारा 89 – यह न्यायालयों को विवादों को ए.डी.आर. (मध्यस्थता, मध्यस्थता, सुलह) के पास भेजने का स्पष्ट अधिकार देता है।

6. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 – लोक अदालतों के लिए वैधानिक आधार प्रदान करता है।

- उदाहरण : एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम चेरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कंपनी (2010) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जहां तक संभव हो, एडीआर के संदर्भ को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया।

भारत में एडीआर सिस्टम क्यों दिखाई नहीं देता?

1. जागरूकता का अभाव: सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 60% से अधिक ग्रामीण वादी ए.डी.आर. तंत्र से अनभिज्ञ हैं।

- उदाहरण: किसान और छोटे व्यापारी उन विवादों के लिए अदालतों का रुख करते हैं, जिनका समाधान लोक अदालतों के माध्यम से हो सकता है।

2. कमजोर संस्थागत ढांचा: भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित मध्यस्थता केंद्रों का अभाव है।

- उदाहरण: केयर्न एनर्जी बनाम भारत (2021) और वोडाफोन कर मध्यस्थता जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में, पक्षों ने भारत को नहीं, बल्कि हेग और सिंगापुर को चुना।

3. न्यायिक हस्तक्षेप: न्यायालय प्रायः मध्यस्थता संबंधी निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे ए.डी.आर. की स्वतंत्रता कमजोर होती है।

- उदाहरण: ओएनजीसी बनाम सॉ पाइप्स (2003) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय को कमजोर करते हुए, पुरस्कारों को रद्द करने के आधारों का विस्तार किया।

4. मध्यस्थों/मध्यस्थों की गुणवत्ता : प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी से विश्वसनीयता कम हो जाती है।

- उदाहरण : जिला स्तरीय मध्यस्थता केंद्रों में कई मध्यस्थों के पास औपचारिक प्रमाणीकरण का अभाव होता है।

प्रवर्तन मुद्दे :

5. मध्यस्थता पुरस्कार: यद्यपि ये बाध्यकारी हैं, परन्तु अपील के कारण इनके प्रवर्तन में देरी होती है।

- **उदाहरण:** विदेशी निवेशक अक्सर भारतीय अदालतों में मध्यस्थता के निर्णयों के क्रियान्वयन में 2-3 वर्ष की देरी की शिकायत करते हैं।
- 6. **सांस्कृतिक मानसिकता:** मुकदमेबाजी को "वास्तविक न्याय मार्ग" के रूप में देखा जाता है, जबकि समझौते को कमजोरी के रूप में देखा जाता है।
- **उदाहरण:** पारिवारिक विवादों में, कई लोग मध्यस्थता की अपेक्षा लम्बी अदालती लड़ाई को प्राथमिकता देते हैं, भले ही इससे संबंधों में तनाव पैदा हो।
- 7. **नौकरशाही प्रतिरोध:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी विभाग अक्सर लेखापरीक्षा और जवाबदेही के डर के कारण एडीआर से बचते हैं।
- **उदाहरण:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनुबंधों में मध्यस्थता की धाराओं को लंबी नौकरशाही मंजूरी के बिना शायद ही कभी लागू किया जाता है।

आगे की राह :

1. **संस्थागत मध्यस्थता को मजबूत करना :** गिफ्ट सिटी आर्बिट्रेशन सेंटर को एसआईएसी और लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन (एलसीआईए) के प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित करना।
2. **कुछ मामलों में अनिवार्य मध्यस्थता :** मध्यस्थता अधिनियम, 2023 को लागू करें, जिससे पारिवारिक, चेक बाउंस और उपभोक्ता मामलों में मुकदमेबाजी से पहले मध्यस्थता अनिवार्य हो जाएगी।
3. **क्षमता निर्माण :** 2030 तक कम से कम 10,000 प्रमाणित मध्यस्थों/मध्यस्थों को प्रशिक्षित करें। उदाहरण: सुप्रीम कोर्ट के एमसीपीसी कार्यक्रम (2025) ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण के न्यायाधीशों और पीएसयू अधिकारियों को मध्यस्थता में प्रशिक्षित किया।
4. **जन जागरूकता अभियान :** स्कूलों, पंचायतों और कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से देशव्यापी एडीआर साक्षरता अभियान शुरू करें।
5. **विधायी सुदृढीकरण :** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता पुरस्कारों का प्रभावी प्रवर्तन।
6. **प्रौद्योगिकी एकीकरण :** ई-कॉमर्स, डिजिटल ऋण और बीमा दावों से जुड़े छोटे-मोटे विवादों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) को बढ़ावा दें। उदाहरण : नीति आयोग की 2022 में शुरू की गई ओडीआर नीति के पायलट प्रोजेक्ट ने फिनटेक विवादों में तेजी से निपटारा दिखाया।

7. **अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएं :** सिंगापुर से सीखिए, जिसने एडीआर को अपने वाणिज्यिक कानून में एकीकृत किया है और कुछ विवादों के लिए मध्यस्थता को अनिवार्य बनाया है, जिससे यह शीर्ष वैश्विक मध्यस्थता केंद्र बन गया है।

निष्कर्ष :

1. भारत में एडीआर में गति, सामर्थ्य और समावेशिता सुनिश्चित करके न्याय प्रदान करने की अपार क्षमता है।
2. फिर भी, कमजोर संस्थानों, जागरूकता की कमी और अदालतों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण इसकी दृश्यता कम बनी हुई है।
3. एडीआर के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करके, पेशेवरों को प्रशिक्षित करके और सहमति से विवाद समाधान की संस्कृति का निर्माण करके, भारत न केवल अपनी न्यायपालिका पर बोझ कम कर सकता है।
4. बल्कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हितधारकों को आकर्षित करते हुए, विवाद समाधान के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भी उभर सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

Q. लोक अदालतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोक अदालतें विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत आयोजित की जाती हैं।
2. लोक अदालत का निर्णय बाध्यकारी होता है तथा इसे सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है।
3. तलाक और गैर-समझौता योग्य आपराधिक मामलों से संबंधित मामलों का निपटारा भी लोक अदालतों में किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न:

Q. भारतीय न्यायपालिका लाखों लंबित मामलों के बोझ तले दबी हुई है। अदालतों पर बोझ कम करने में वैकल्पिक

विवाद समाधान (एडीआर) सिस्टम की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

छठवीं अनुसूची : लद्दाख का मामला और स्वायत्तता की खोज

समाचार में क्यों?



- अनुच्छेद 370 (2019) के निरस्त होने और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग फिर से शुरू हो गई है।
- इसकी 97% से ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, इसलिए स्थानीय समुदाय जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को रोकने और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, पूर्वोत्तर भारत में स्वायत्त ज़िला परिषदों की तरह, भूमि, संस्कृति और राजनीतिक स्वायत्तता के लिए सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।
- यह मुद्दा संवैधानिक सुधारों, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ विकास के संतुलन पर भी बहस छेड़ता है।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची:

1. **छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244(2) और 275(1))** पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों को स्वायत्तता और स्वशासन प्रदान करती है।
2. **संवैधानिक ढांचे के भीतर विकास सुनिश्चित करते हुए आदिवासी पहचान, संस्कृति, भूमि और रीति-रिवाजों को बाहरी अतिक्रमण से बचाने के लिए** इसे पेश किया गया।
3. यह जनजातीय क्षेत्रों में सीमित हस्तक्षेप की ब्रिटिशकालीन नीति को जारी रखता है, जबकि पारंपरिक शासन प्रणालियों को औपचारिक रूप से मान्यता देता है।

4. **डेटा बिंदु:** वर्तमान में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लगभग 12 स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs) मौजूद हैं, जो लगभग 5.5 मिलियन जनजातीय लोगों को कवर करती हैं (जनगणना 2011)।

स्वायत्तता बनाए रखने वाले प्रावधान :

छठी अनुसूची विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) की स्थापना करती है।

1. **स्वायत्त जिला एवं क्षेत्रीय परिषदें** – प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय (30 सदस्य, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित)।
2. **विधायी शक्तियाँ** – भूमि, वन (आरक्षित को छोड़कर), झूम खेती, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार, विवाह, सामाजिक रीति-रिवाजों पर कानून।
- **उदाहरण:** खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद खासी मातृवंशीय रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह और तलाक को नियंत्रित करती है।
3. **न्यायिक शक्तियाँ** – ग्राम न्यायालय/परिषदें प्रथागत कानूनों के अनुसार जनजातीय मामलों का निर्णय करती हैं।
- **उदाहरण:** जैतिया हिल्स जिला परिषद प्रथागत कानून विवादों के लिए अपनी स्वयं की अदालतें चलाती है।
4. **कार्यकारी शक्तियाँ** – प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, ग्राम नियोजन का प्रशासन।
5. **राजस्व शक्तियाँ** – बाजारों, व्यवसायों, पशुओं, वाहनों, भू-राजस्व, माल के प्रवेश पर कर लगाएँ।
- **उदाहरण:** असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद व्यापार और प्राकृतिक संसाधनों पर कराधान के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करती है।
6. **सुरक्षा उपाय** – राज्यपाल निरीक्षण करते हैं: राज्य/संसदीय कानून केवल तभी लागू होते हैं जब परिषद द्वारा अनुमोदित हों।
7. **शामिल किए गए क्षेत्र** – असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ भाग (अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर नहीं, क्योंकि उनकी अलग व्यवस्था है)।

लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल क्यों होना चाहता है?

- **अनुच्छेद 370 (2019) को निरस्त करने और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विधानसभा के बिना) के निर्माण के बाद:**
- **पहचान एवं संस्कृति संरक्षण** - लद्दाख की 97% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है (जनगणना 2011)।
- **प्रवासन और व्यावसायीकरण के कारण समुदायों को जनसांख्यिकीय परिवर्तन और सांस्कृतिक क्षरण का भय है।**

- **उदाहरण :** इसी तरह की आशंकाओं के कारण बोडो पहचान की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के तहत बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (2003, असम) का निर्माण किया गया।
- **भूमि एवं संसाधन अधिकार** - पारंपरिक भूमि स्वामित्व, चारागाह और जंगलों को बाहरी बसने वालों और कॉर्पोरेट्स से बचाने की इच्छा।
- **भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध :** पूर्वोत्तर में, छठी अनुसूची की परिषदें गैर-आदिवासियों (जैसे, खासी हिल्स) को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हैं। लद्दाख भी यही मांग करता है।
- **राजनीतिक स्वायत्तता** - लेह और कारगिल में वर्तमान लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (एलएचडीसी) के पास एडीसी की तुलना में सीमित शक्तियां हैं।
- **संसदीय स्थायी समिति (2021)** ने लद्दाख में उच्च जनजातीय घनत्व का हवाला देते हुए इसे छठी अनुसूची का दर्जा देने की सिफारिश की।

लद्दाख में छठी अनुसूची का विस्तार करने में चुनौतियाँ :

1. **संवैधानिक सीमा** - छठी अनुसूची स्पष्ट रूप से पूर्वोत्तर भारत पर लागू होती है। इसे विस्तारित करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है।
- **उदाहरण:** त्रिपुरा एडीसी (1985) में संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता थी।
2. **रणनीतिक चिंताएँ** - लद्दाख की सीमा चीन और पाकिस्तान से लगती है। केंद्र रक्षा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे, सड़कें, हवाई अड्डे, सैन्य रसद) पर सीधा नियंत्रण चाहता है।
3. **हितों का संतुलन** - लेह (बौद्ध बहुल) में समावेशन का पुरजोर समर्थन है, जबकि कारगिल (शिया मुस्लिम बहुल) में असमान प्रतिनिधित्व के डर से मिश्रित विचार हैं।
4. **विकास बनाम स्वायत्तता** - पूर्ण स्वायत्तता से राष्ट्रीय परियोजनाओं (जल विद्युत, पर्यटन, राजमार्ग, रक्षा) में देरी हो सकती है।
- **उदाहरण:** पूर्वोत्तर में, एडीसी सहमति प्रक्रियाओं के कारण गारो हिल्स में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी हुई।
5. **मिसाल प्रभाव** - लद्दाख को छठी अनुसूची प्रदान करने से पूर्वोत्तर के बाहर अन्य जनजातीय क्षेत्रों (जैसे, झारखंड का पत्थलगड़ी आंदोलन, छत्तीसगढ़ के आदिवासी) से भी इसी तरह की मांग उठ सकती है।

आगे की राह :

1. **विशेष संवैधानिक सुरक्षा** - या तो छठी अनुसूची का विस्तार करें या लद्दाख के लिए "छठी अनुसूची प्लस" बनाएँ।

- **उदाहरण:** बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद समझौते (2020) ने बोडो अधिकारों को बढ़ाने के लिए छठी अनुसूची में संशोधन किया।
- 2. **पहाड़ी विकास परिषदों (एलएचडीसी) को मजबूत करना** - एडीसी के निकट विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्रदान करना।
- 3. **भूमि एवं सांस्कृतिक संरक्षण कानून** - हिमाचल प्रदेश की तरह राज्य-विशिष्ट भूमि अधिकार अधिनियमित करें (बाहरी लोग बिना अनुमति के भूमि नहीं खरीद सकते)।
- 4. **सहभागी शासन** - ध्रुवीकरण से बचने के लिए किसी भी नए ढांचे में लेह और कारगिल का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- 5. **स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में संतुलन** - लद्दाख में भारत की रणनीतिक परियोजनाओं को कमजोर किए बिना जनजातीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला एक मॉडल विकसित करना।
- 6. **संवाद और आम सहमति बनाना** - एक साझा रोडमैप तैयार करने के लिए एलएचडीसी लेह, एलएचडीसी कारगिल, नागरिक समाज और धार्मिक निकायों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना।

निष्कर्ष :

1. छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा करती है, इसके लिए एडीसी को भूमि, रीति-रिवाजों, कानून और शासन पर अधिकार प्रदान किए जाते हैं।
2. लद्दाख, अपनी विशाल आदिवासी आबादी और नाज़ुक पारिस्थितिकी के साथ, 2019 के बाद जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक खतरों को रोकने के लिए इसी तरह के सुरक्षा उपायों की मांग करता है।
3. त्रिपुरा एडीसी (1985) और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (2003, 2020 समझौता) जैसे पिछले उदाहरण दर्शाते हैं कि संवैधानिक नवाचार संभव हैं।
4. हालाँकि, लद्दाख में रणनीतिक संवेदनशीलता, संवैधानिक बाधाओं और आंतरिक विविधता के लिए एक सूक्ष्म समाधान की आवश्यकता है।
5. स्वायत्तता, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने वाला एक अनुकूलित "छठी अनुसूची प्लस" मॉडल आगे का रास्ता हो सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

- Q. **भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यह पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान करता है।
2. एडीसी की विधायी शक्तियों में भूमि, वन, उत्तराधिकार और जनजातीय समुदायों के बीच विवाह संबंधी कानून शामिल हैं।
3. छठी अनुसूची के प्रावधान वर्तमान में जनजातीय आबादी वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

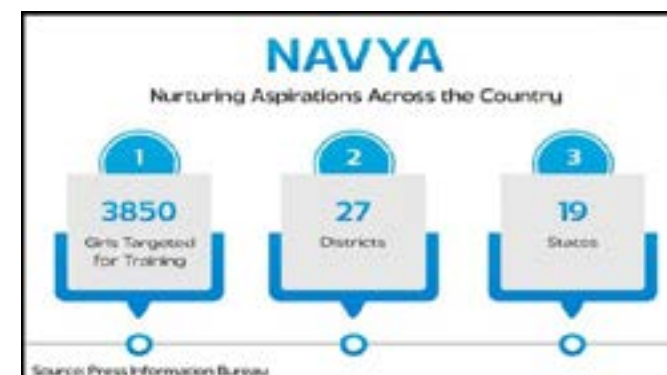
मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न:

- Q. **भारतीय संविधान की छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। छठी अनुसूची के प्रावधानों की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए।**

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

नव्या (NAVYA) - भारत को विकसित भारत @2047 विजन के लिए युवा महिलाओं को कौशल प्रदान करना

समाचार में क्यों?



- भारत सरकार ने 24 जून, 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नव्या (युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण) पहल की शुरुआत की।
- यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) का एक संयुक्त प्रयास है।

- जिसका उद्देश्य विशेष रूप से वंचित और आदिवासी क्षेत्रों में किशोरियों (16-18 वर्ष, न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण) को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- इस कार्यक्रम में 3,850 लड़कियों को शामिल किया जाएगा, और उन्हें उभरते क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक कौशल से लैस किया जाएगा, साथ ही व्यक्तिगत स्वच्छता, संचार, कार्यस्थल सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, आत्मविश्वास, रोजगारपरकता और उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्य उद्देश्य :



1. "नव्या किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी साझा प्रतिबद्धता लड़कियों को ऐसे कौशल प्रदान करना है जिससे वे स्वतंत्र और सशक्त नागरिक बन सकें।
- यह पहल उन्हें सम्मान और आत्मविश्वास से भरा जीवन जीने में मदद करेगी।" ---- (श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)
2. नव्या पहल युवा महिलाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करती है, जिससे वे प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजारों में सफल होने या उद्यमशीलता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित कर पाती हैं।
3. इस समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से, नव्या यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिभागी सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपने समुदायों में सार्थक योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार हों।
4. यह पहल मानकीकृत, उद्योग-सम्बन्धित प्रशिक्षण और प्रमाणन तक पहुँच सुनिश्चित करती है, जिससे रोजगार क्षमता को बढ़ावा मिलता है।

5. 19 राज्यों के 27 आकांक्षी और पूर्वोत्तर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्यान्वित, और पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत 3,850 लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ, नव्या पहल प्रधानमंत्री के विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इस पहल के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों के अनुरूप मांग-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. नव्या, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और शिल्प जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करता है।
3. जिसमें पारंपरिक कौशल को एआई और डिजिटल मार्केटिंग जैसी आधुनिक भूमिकाओं के साथ मिश्रित किया जाता है।
4. पाठ्यक्रम वर्तमान उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे प्रासंगिकता और रोजगारपरकता सुनिश्चित होती है।
5. स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता, जीवन कौशल और कानूनी जागरूकता पर मॉड्यूल के माध्यम से समग्र विकास की सुविधा प्रदान करना
6. नव्या किशोरियों को आवश्यक जीवन कौशल से सशक्त बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल एकीकृत करती है।
7. इनमें स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता के लिए वित्तीय साक्षरता, और अधिकारों व सुरक्षा के लिए कानूनी जागरूकता शामिल है।
8. रोजगारपरकता, स्व-रोजगार, तथा इंटरनशिप, प्रशिक्षुता और नौकरी के अवसरों जैसे अग्रिम संबंधों को बढ़ावा देना।
9. यह कार्यक्रम उच्च मांग वाले क्षेत्रों में इंटरनशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से प्रशिक्षुओं को नौकरी के बाज़ार से जोड़ता है।
10. यह स्व-रोजगार उद्यमों के लिए संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उद्यमिता को भी बढ़ावा देता है।
11. लिंग-समावेशी कौशल को मजबूत करना और एक सुरक्षित, सहायक प्रशिक्षण वातावरण बनाना।
12. यह पहल वजीफे और लचीले कार्यक्रम के साथ सुरक्षित, महिला-अनुकूल प्रशिक्षण स्थलों को प्राथमिकता देती है।
13. यह साइबर सुरक्षा जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में लड़कियों को प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देती है।

समावेशी विकास :

शिक्षा और आजीविका के बीच की खाई को पाटना, विशेष रूप से वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों की लड़कियों के लिए:

- आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों की लड़कियों को लक्षित करते हुए, नव्या शिक्षा को स्थायी आजीविका से जोड़ती है। यह दूरदराज के क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को दूर करने के लिए प्रमाणपत्र और नौकरी के अवसर प्रदान करती है।

- विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया 7 घंटे का पूरक प्रशिक्षण मॉड्यूल कार्यक्रम के प्रभाव को और बढ़ाता है।

चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना :

1. **पारस्परिक कौशल:** व्यावसायिक आचरण के निर्माण के लिए स्वच्छता, आत्म-प्रस्तुति और संघर्ष प्रबंधन को शामिल करना
 2. **संचार कौशल:** कार्यस्थल पर बातचीत को बढ़ाने के लिए सक्रिय श्रवण और प्रभावी संचार पर जोर देना
 3. **कार्यस्थल सुरक्षा:** सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए POSH (यौन उत्पीड़न निवारण) और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) कानूनों का ज्ञान प्रदान करना
 4. **वित्तीय साक्षरता:** आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बजट, आय प्रबंधन और बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं को पढ़ाना।
- यह व्यापक ढांचा यह सुनिश्चित करता है कि नव्या प्रतिभागी तकनीकी विशेषज्ञता और आवश्यक जीवन कौशल दोनों से लैस हों, जिससे वे भारत की समावेशी विकास गाथा में उत्प्रेरक के रूप में स्थापित हो सकें।
 - वर्तमान में, यह पहल 9 राज्यों - महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रही है। नीति आयोग ने इन जिलों को 'आकांक्षी' जिलों के रूप में चिह्नित किया है।

निष्कर्ष :

- नव्या पहल भारत के आकांक्षी और पूर्वोत्तर जिलों में किशोरियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- PMKVY 4.0 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण को समग्र जीवन कौशल विकास के साथ एकीकृत करके, नव्या युवा महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और भारत के 'विकसित भारत@2047' के दृष्टिकोण में सक्रिय योगदान देने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करती है।
- डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे आवश्यक कौशलों के माध्यम से, यह पहल शिक्षा और स्थायी आजीविका के बीच की खाई को पाटती है।

- नौ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन से समावेशी, लैंगिक-समान अवसर पैदा करने और प्रतिभागियों में लचीलापन और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने की इसकी क्षमता प्रदर्शित होती है।

- जैसे-जैसे नव्या का विकास जारी है, यह आशा का प्रतीक बनकर युवा लड़कियों को भारत के समावेशी विकास की आत्मविश्वासी, कुशल और आत्मनिर्भर चालक बनने के लिए सशक्त बना रही है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई (NAVYA) पहल के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
2. इसे पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कार्यान्वित किया गया है जिसका पायलट लक्ष्य 3,850 किशोरियों को प्रशिक्षित करना है।
3. यह पहल केवल हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक कौशल क्षेत्रों पर केंद्रित है तथा डिजिटल मार्केटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
4. इसे प्रारम्भ में नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी जिलों में शुरू किया जा रहा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

- (a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. नव्या पहल भारत में किशोरियों के लिए शिक्षा और स्थायी आजीविका के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। इसके उद्देश्यों, महत्व और विकसित भारत@2047 के विज़न में इसके संभावित योगदान पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

न्यायालय की अवमानना: न्यायिक अधिकार और संवैधानिक स्वतंत्रता में संतुलन

समाचार में क्यों?

- अक्टूबर 2025 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक नाटकीय घटना घटी जब अधिवक्ता राकेश किशोर ने अदालती कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंका।
- यह घटना विष्णु की मूर्ति से जुड़े एक मामले में मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई पूर्व टिप्पणियों से उपजी थी, जिसे कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं का उपहास माना था।
- उकसावे के बावजूद, मुख्य न्यायाधीश शांत रहे और अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का कोई आरोप नहीं लगाया गया।
- इस कृत्य की राजनीतिक और कानूनी हलकों में व्यापक आलोचना हुई, और प्रधानमंत्री ने इसे "बेहद निंदनीय" कहा।



न्यायालय की अवमानना की अवधारणा और अर्थ :

- **परिभाषा:** न्यायालय की अवमानना से तात्पर्य ऐसे किसी भी कृत्य से है जो न्यायालय के प्राधिकार, गरिमा या कार्यप्रणाली का अनादर करता है, जिससे न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न होती है।
- **मुख्य विचार:** यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय अपना सम्मान और अधिकार बनाए रखें ताकि हस्तक्षेप, आलोचना या अवज्ञा के कारण न्याय से समझौता न हो।
- **दायरा:** न्यायाधीशों, कार्यवाहियों, वकीलों, मीडिया और नागरिकों पर लागू होता है।

- **उदाहरण:** अदालती कार्यवाही के बारे में गलत जानकारी प्रकाशित करना अवमानना माना जा सकता है।



न्यायालय की अवमानना से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद / प्रावधान	सामग्री / प्रासंगिकता
अनुच्छेद 129	सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और उसके पास स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।
अनुच्छेद 215	प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और उसके पास स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।
अनुच्छेद 141	सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं; उनकी अवज्ञा अवमानना मानी जाएगी।
अनुच्छेद 19(1)(a) बनाम 19(2)	अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 19(2) के तहत न्यायालय की अवमानना, सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता हेतु उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

हमें अवमानना शक्तियों की आवश्यकता क्यों है?

1. **न्यायालयों के अधिकार को संरक्षित रखें :** इससे न्यायपालिका की गरिमा और वैधता की रक्षा होती है। उदाहरण: बरदकांत मिश्रा बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (1973), जिसमें अवमानना को विधि के शासन के लिए आवश्यक माना गया था।
2. **न्यायिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना :** न्यायालयों के पास कार्यकारी शक्तियाँ नहीं होतीं, इसलिए अवमानना अवज्ञा को हतोत्साहित करती है।
3. **जब सरकारी एजेंसियाँ न्यायिक निर्देशों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो नागरिक अवमानना का आरोप लगाया जाता है।**

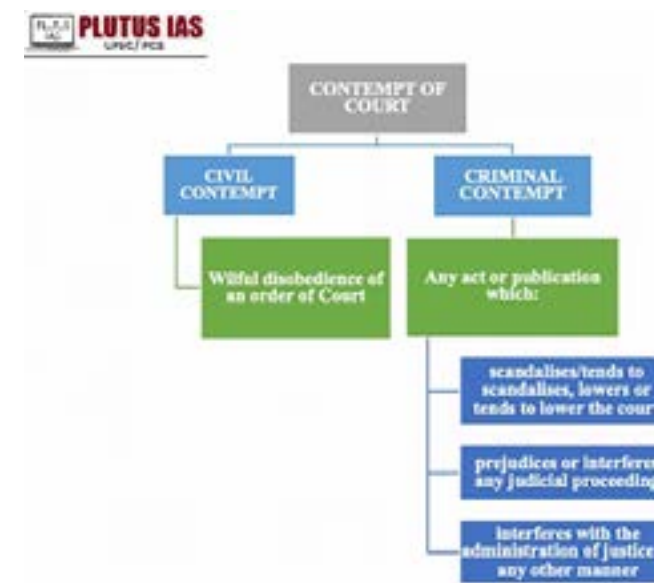
4. **जनता का विश्वास बनाए रखें :** इससे न्यायपालिका में विश्वास कमजोर करने वाले हानिकारक हमलों को रोका जा सकेगा। उदाहरण के लिए, प्रशांत भूषण के ट्विटर को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कमजोर करने वाला माना गया।
5. **न्यायिक कार्यवाही की सुरक्षा :** इससे चल रहे मामलों में व्यवधान और पक्षपातपूर्ण टिप्पणियों से बचा जा सकता है।
6. **हाई-प्रोफाइल मामलों में मीडिया ट्रायल जनमत को प्रभावित कर सकता है और न्याय को प्रभावित कर सकता है।**

न्यायालय अवमानना अधिनियम (COCA), 1971 के उद्देश्य

1. **न्यायालयों की गरिमा बनाए रखें :** इस अधिनियम का उद्देश्य न्यायपालिका के अधिकार, सम्मान और विश्वसनीयता की रक्षा करना है।
 - न्यायालयों का अपमान या अपमान करने वाले कृत्यों को दंडित करके, यह न्यायिक संस्थाओं की आवश्यक प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद करता है। यह कानून के शासन को बनाए रखने और न्यायिक निर्णयों का जनता द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2. **न्याय का निर्बाध प्रशासन सुनिश्चित करना :** अवमानना शक्तियाँ अदालती कार्यवाही में व्यवधान को रोकती हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति, वकील या मीडिया की टिप्पणियों के कारण हो।
 - इससे अदालतें बिना किसी हस्तक्षेप, देरी या बाधा के सुचारू और कुशलतापूर्वक कार्य कर पाती हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनी रहती है।
3. **जनता का विश्वास बनाए रखें :** एक लोकतांत्रिक समाज के लिए न्यायपालिका में जनता का विश्वास आवश्यक है।
 - यह अधिनियम ऐसे बयानों या कार्यों को दंडित करके इस विश्वास की रक्षा करता है जो न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्षता और निष्पक्षता के बारे में गुमराह कर सकते हैं, गलत सूचना दे सकते हैं या अनुचित संदेह पैदा कर सकते हैं।
4. **न्यायाधीशों को धमकी से बचाना:** न्यायिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूल है। COCA न्यायाधीशों को उन धमकियों या धमकी से बचाता है जो उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।
 - यह न्यायाधीशों को बिना किसी भय या पूर्वाग्रह के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाता है, जिससे निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित होता है।
5. **मीडिया और सार्वजनिक टिप्पणियों को विनियमित करें :** हालांकि अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, यह अधिनियम एक संतुलन बनाए रखता है।
 - यह उन चल रहे मामलों पर रिपोर्टिंग या टिप्पणी करने से रोकता है जो परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं या जनमत को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर विचाराधीन मामलों में।

6. **अवज्ञा रोकें:** यह अधिनियम न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयों, निर्देशों और प्रतिबद्धताओं का पालन किया जाए।
 - यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब कार्यकारी या प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक निर्देशों में देरी या उपेक्षा कर सकते हैं। अवमानना ऐसी अवज्ञा के विरुद्ध एक निवारक के रूप में कार्य करती है।
7. **कानूनी ढांचा प्रदान करें:** COCA स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि दीवानी और आपराधिक अवमानना किसे माना जाएगा, कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है, और दी जा सकने वाली सजाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
 - यह ढाँचा स्पष्टता लाता है, अनिश्चितता को कम करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि अवमानना शक्तियों का निष्पक्ष और संरचित तरीके से उपयोग किया जाए।

COCA, 1971 के अंतर्गत अवमानना के प्रकार



न्यायालय अवमानना के प्रकार

प्रकार	परिभाषा / दायरा	उदाहरण
नागरिक अवमानना (Civil Contempt)	न्यायालय के आदेश, निर्णय, रिट या निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा या वचनबद्धता (undertaking) का उल्लंघन।	न्यायालय द्वारा दिए गए भरण-पोषण आदेश या निर्देश का पालन न करना।

आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt)	ऐसा कोई कार्य, प्रकाशन या वक्तव्य जो न्यायालय की बदनामी करे, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करे या न्याय के प्रशासन में बाधा डाले।	किसी चल रहे मामले के दौरान न्यायाधीश की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाने वाला लेख प्रकाशित करना या सोशल मीडिया पर न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना।
-------------------------------------	---	--

आपराधिक अवमानना के उपप्रकार:

- **न्यायालय को बदनाम करना** – न्यायपालिका की गरिमा को कम करना।
- **न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप** – कार्यवाही में बाधा डालना या उसे प्रभावित करना।
- **न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा** – कभी-कभी यह नागरिक अवमानना से भी मेल खाता है।
- **उदाहरण :** मीडिया रिपोर्टों में जनता की राय को प्रभावित करने के लिए चल रहे एक हाई-प्रोफाइल मुकदमे का विवरण उजागर किया गया।

COCA से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ

1. "स्कैंडलाइजिंग कोर्ट" में अस्पष्टता, व्यक्तिपरक व्याख्या के दुरुपयोग का खतरा है।
2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम अवमानना, अनुच्छेद 19(1)(ए) और अवमानना क्षेत्राधिकार के बीच तनाव है।
3. विलंबित या चयनात्मक कार्रवाई, असंगत प्रवर्तन के कारण कभी-कभी उच्च-प्रोफाइल वाले व्यक्ति बच निकलते हैं।
4. सिविल और आपराधिक अवमानना के बीच ओवरलैप प्रक्रियागत भ्रम पैदा करता है।
5. मीडिया एवं कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दुरुपयोग, वैध आलोचना को कभी-कभी अवमानना के रूप में देखा जाता है।
6. दंड में स्पष्टता का अभाव, COCA के अंतर्गत व्यापक विवेकाधिकार के कारण सजा में असंगतता आती है।
7. सोशल मीडिया के युग में सीमित सार्वजनिक जागरूकता विशेष रूप से समस्याग्रस्त है।

न्यायालय अवमानना से संबंधित ऐतिहासिक मामले कानून

मामला	सिद्धांत / महत्व
अरुंधति रॉय केस (2002)	सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया के माध्यम से न्यायालय की आलोचना को अवमानना माना और रॉय पर जुर्माना लगाया — न्यायिक गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल।
के.के. वर्मा (1982)	सिविल और आपराधिक अवमानना के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया — आदेश की अवहेलना बनाम न्याय की बदनामी।
राजीव शुक्ला (2019)	न्यायाधीशों के विरुद्ध सोशल मीडिया पोस्टों पर न्यायालय ने टिप्पणी की — डिजिटल युग में अवमानना की परिधि स्पष्ट करने की आवश्यकता।
एस. मुलगांवकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1979)	सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल आलोचना को अवमानना नहीं माना जाना चाहिए; न्याय में हस्तक्षेप करने का इरादा होना आवश्यक है।
सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ (2016)	न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न्यायिक गरिमा दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है — संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(2) की व्याख्या की गई।

न्यायालयों की गरिमा को प्रबंधित और संरक्षित करने के तरीके

- जन जागरूकता और कानूनी साक्षरता, जिम्मेदार आलोचना को बढ़ावा देना।
- मीडिया दिशानिर्देश, चल रहे परीक्षणों की रिपोर्टिंग में स्व-नियमन को प्रोत्साहित करें।
- न्यायिक पारदर्शिता, तर्कपूर्ण निर्णय गलत सूचना को कम करते हैं।
- विधायी समीक्षा, COCA में संशोधन करके “अदालत को बदनाम करने” जैसे अस्पष्ट प्रावधानों को स्पष्ट किया जाएगा।
- वकीलों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, अनजाने में अवमानना से बचें।
- मामूली अवमानना के लिए एडीआर, मामूली उल्लंघनों को अपराधमुक्त करना।
- अनुच्छेद 19 और COCA के बीच संतुलन, अवमानना शक्तियों के प्रयोग में न्यायिक संयम।

निष्कर्ष :

- न्यायालय की अवमानना कानून न्यायपालिका के अधिकार और संचालन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है।
- हालाँकि, इसका व्यापक और व्यक्तिपरक अनुप्रयोग, विशेष रूप से “न्यायालय को बदनाम करने” से संबंधित, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए चुनौतियाँ पैदा करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय में जूता फेंकने की घटना न्यायिक गरिमा की रक्षा के लिए कड़े उपायों और दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी दिशानिर्देशों की आवश्यकता को उजागर करती है।
- भारत को न्यायालयों को व्यवधान से बचाने और वैध आलोचना की गुंजाइश रखने के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।
- अवमानना कानून में लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

Q. निम्नलिखित में से कौन सा/से न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 का/के उद्देश्य है/हैं?

- न्यायालयों की गरिमा बनाए रखें
- न्यायाधीशों को धमकी से बचाएं
- मीडिया और सार्वजनिक टिप्पणियों को विनियमित करें
- अवमानना पर कानून बनाने की संसद की शक्तियों को सीमित करें

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न :

Q. “न्यायालय की अवमानना संबंधी शक्तियाँ न्यायिक प्राधिकार और विधि के शासन के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं।” न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

लोकतंत्र का प्रहरी : भारत का निर्वाचन आयोग और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

खबरों में क्यों?



- हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग (Election Commission of India - ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तिथियों की घोषणा कर दी है।
- बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर 2025 को की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है।
- बिहार के कुल 243 विधानसभा सीटों के लिए लगभग 7.43 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनके लिए 90,700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
- इस संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951 - RPA, 1951) की प्रासंगिकता पुनः प्रमुखता से सामने आती है, जिसने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए विधिक ढांचा तैयार किया।



जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की पृष्ठभूमि :

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत अस्थायी संसद (Provisional Parliament) द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। इसका प्रारूप संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तुत किया था। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और व्यवस्थित चुनावों को सुनिश्चित करना था।
- यह अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का पूरक (complementary) है। जहाँ 1950 का अधिनियम निर्वाचन क्षेत्रों के गठन और मतदाता सूची के निर्माण से संबंधित है, वहीं 1951 का अधिनियम चुनाव की प्रक्रिया, योग्यता-अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण, अपराध और विवादों के निपटान से जुड़ा है।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की प्रमुख विशेषताएँ :

विशेषता	विवरण
1. चुनावों का संचालन	लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया, जिसमें नामांकन, मतदान, मतगणना और परिणाम शामिल हैं। निर्वाचन आयोग को अधिकार प्रदान करता है।
2. सदस्यता की योग्यता	भारतीय नागरिक होना अनिवार्य। आयु: लोकसभा/विधानसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा/विधान परिषद के लिए 30 वर्ष।
3. अयोग्यता के प्रावधान	अपराध सिद्ध होना, लाभ का पद धारण करना, दिवालिया होना, अस्वस्थ मानसिक स्थिति या भ्रष्ट आचरण में लिप्त होना।
4. भ्रष्ट आचरण और चुनावी अपराध	रिश्वत, दबाव, मतदाता प्रतिरूपण (impersonation), जाति/धर्म के नाम पर घृणा फैलाना, बूथ कैपचरिंग और झूठे बयान देना।
5. चुनावी विवाद	परिणाम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है; अपील सर्वोच्च न्यायालय में। 1966 संशोधन द्वारा चुनाव न्यायाधिकरण समाप्त किए गए।
6. राजनीतिक दलों का पंजीकरण (धारा 29A)	प्रत्येक दल को निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना होता है, संविधान व पदाधिकारियों की सूची प्रस्तुत करनी होती है। मान्यता मिलने पर चुनाव चिन्ह आवंटित होता है।

7. दोष सिद्ध होने पर अयोग्यता (धारा 8)	गंभीर अपराधों (भ्रष्टाचार, बलात्कार, आतंकवाद) में दोष सिद्ध होने पर तत्काल अयोग्यता। लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में इसे और सशक्त किया गया।
8. चुनाव व्यय विवरण (धारा 10A)	प्रत्याशी को निर्धारित समय में व्यय विवरण देना आवश्यक; उल्लंघन पर तीन वर्ष तक अयोग्यता संभव।
9. लाभ का पद (Sec 9A)	यदि कोई विधायक या सांसद सरकारी पद से निजी लाभ लेता है तो अयोग्यता लागू।
10. लोकतांत्रिक जवाबदेही में भूमिका	यह अधिनियम चुनावों में पारदर्शिता, निष्पक्षता और नैतिक आचरण सुनिश्चित करता है — जो लोकतंत्र की जड़ को मजबूत करता है।

प्रमुख संशोधन और उनकी विशेषताएँ :

वर्ष / संशोधन	प्रमुख परिवर्तन	महत्व
1966 संशोधन	चुनाव न्यायाधिकरण समाप्त; विवादों का अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया।	न्यायिक प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाया गया।
2002 संशोधन	प्रत्याशियों की आपराधिक, शैक्षिक एवं वित्तीय पृष्ठभूमि का खुलासा अनिवार्य (PUCL बनाम भारत संघ, 2002 के आधार पर)।	पारदर्शिता और सूचित मतदान को बढ़ावा।
2010 संशोधन	प्रवासी भारतीयों (NRIs) को मतदान अधिकार।	मतदाता आधार का विस्तार।
2013 संशोधन और वैलिडेशन अधिनियम	दोषसिद्ध विधायकों को तत्काल अयोग्यता से बचाने का प्रयास, लेकिन लिली थॉमस केस के बाद रद्द।	तत्काल अयोग्यता की संवैधानिक पुष्टि।
2020 (वित्त अधिनियम)	चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की व्यवस्था।	वित्त पोषण को वैध रूप दिया गया, पर पारदर्शिता पर सवाल उठे।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की प्रमुख उपलब्धियाँ :

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की गारंटी** : इस अधिनियम ने भारत में निर्वाचन प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1952 से 2024 तक 18 आम चुनाव और असंख्य विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण, विधिसम्मत और लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न हुए।
- लोकतांत्रिक सशक्तिकरण** : सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समान मतदान अधिकार प्रदान कर लोकतंत्र को जन-आधारित स्वरूप दिया गया।
- पात्रता और अयोग्यता का स्पष्ट निर्धारण** : उम्मीदवारों की योग्यता एवं अयोग्यता का वैधानिक निर्धारण कर राजनीति में नैतिकता और पात्रता के मानक स्थापित किए गए।
- भ्रष्ट आचरण पर नियंत्रण** : रिश्वत, मतदाता प्रलोभन, बूथ कब्जा और हिंसा जैसे अपराधों को दंडनीय घोषित कर चुनावों की पवित्रता को सुरक्षित किया गया।
- पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन** : प्रत्याशियों के लिए संपत्ति, शिक्षा, और व्यय विवरण का खुलासा अनिवार्य कर राजनीतिक पारदर्शिता को संस्थागत स्वरूप दिया गया।
- राजनीतिक दलों का विनियमन** : धारा 29A के तहत पंजीकरण प्रणाली द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र को संगठित और उत्तरदायी ढांचे में परिवर्तित किया गया।
- न्यायिक पर्यवेक्षण और निष्पक्षता** : 1966 के संशोधन द्वारा चुनावी विवादों की सुनवाई हेतु उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका को सुदृढ़ किया गया।
- युवा सशक्तिकरण** : 61वें संविधान संशोधन (1988) से मतदान आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई, जिससे युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व बढ़ा।
- राजनीतिक भागीदारी के तहत वंचित वर्गों का समावेशन** : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षण ने राजनीतिक भागीदारी के अवसरों का विस्तार किया और सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार किया।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ :

- राजनीति का अपराधीकरण** : गंभीर आपराधिक आरोपों वाले उम्मीदवार केवल दोषसिद्धि के बाद ही अयोग्य ठहराए जाते हैं, जिससे लोकतंत्र की नैतिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- चुनावी व्यय और वित्तीय अपारदर्शिता** : वैधानिक सीमा के बावजूद चुनावों में अघोषित और अपारदर्शी व्यय व्यापक रूप से जारी है।
- धन और बाहुबल का प्रभाव** : आर्थिक रूप से सशक्त एवं प्रभावशाली प्रत्याशी चुनावी प्रतिस्पर्धा पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बना लेते हैं।

- अयोग्यता निर्धारण में देरी** : भ्रष्ट आचरण और आपराधिक मामलों में दीर्घ न्यायिक प्रक्रिया के कारण त्वरित निर्णय नहीं हो पाते।
- महिलाओं का सीमित प्रतिनिधित्व** : स्थानीय निकायों में आरक्षण के बावजूद संसद एवं विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपर्याप्त है।
- प्रवर्तन और निगरानी की कठिनाइयाँ** : बूथ कब्जा, रिश्वत और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर वास्तविक समय में नियंत्रण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव** : अधिकांश दलों में आंतरिक चुनाव, जवाबदेही और पारदर्शी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया अनुपस्थित है।
- प्रौद्योगिकी संबंधी आशंकाएँ** : ईवीएम और वीवीपैट से पारदर्शिता बढ़ी है, परंतु देश में चुनाव के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ एवं सॉफ्टवेयर अखंडता पर संदेह और अविश्वास समय-समय पर उठते रहते हैं।

समाधान की राह : जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के उपाय :

- राजनीति का अपराधमुक्तिकरण को सुनिश्चित करना** : गंभीर अपराधों में आरोप तय होते ही उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त की जाए। ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएँ, ताकि राजनीति में शुचिता और नैतिकता को पुनर्स्थापित किया जा सके।
- चुनावी वित्त में पारदर्शिता को अनिवार्य बनाया जाना** : चुनावी बॉन्ड जैसी अपारदर्शी व्यवस्थाओं को समाप्त कर सभी चंदों और व्ययों को सार्वजनिक रूप से घोषित करना अनिवार्य बनाया जाए। डिजिटल ऑडिट और AI आधारित व्यय निगरानी प्रणाली विकसित की जाए।
- महिला सशक्तिकरण और समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना** : संसद एवं विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू किया जाए तथा राजनीतिक दलों को अधिक महिला उम्मीदवार देने पर वित्तीय या प्रचार प्रोत्साहन प्रदान किए जाएँ।
- युवा मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना** : 18-25 वर्ष आयु वर्ग के लिए विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। ऑनलाइन पंजीकरण, सत्यापन और मतदान सूचना प्रणाली को सरल एवं सुलभ बनाया जाए।
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र** : दलों में नियमित आंतरिक चुनाव कराना और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना अनिवार्य किया जाए। आयोग को धारा 29A के तहत इस पर निगरानी की शक्ति सक्रिय रूप से प्रयोग करनी चाहिए।
- मतदाता सूची की शुद्धता को सुनिश्चित करना** : बायोमेट्रिक सत्यापन, आधार लिंकिंग और डिजिटल अद्यतन प्रणाली के

माध्यम से मृत या दोहराए गए नाम हटाए जाएँ, ताकि मतदाता सूची वास्तविकता के अनुरूप रहे।

- प्रौद्योगिकी-सक्षम चुनाव प्रबंधन सुनिश्चित करना** : ईवीएम और वीवीपैट के साथ-साथ ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षित वोटिंग सिस्टम विकसित किया जाए, जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों सुनिश्चित हों।
- वंचित समुदायों का सशक्तिकरण करना** : अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए लक्षित जागरूकता अभियान तथा सुलभ मतदान सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ।
- त्वरित एवं निर्धारित समयसीमा में न्यायिक समाधान को सुनिश्चित करने की आवश्यकता** : चुनावी विवादों के निपटान हेतु विशेष निर्वाचन न्यायपीठ (Election Benches) गठित की जाएँ, ताकि निर्णय निर्धारित समयसीमा में दिए जा सकें।
- डिजिटल और मीडिया आचार प्रवर्तन को सशक्त करने की आवश्यकता** : चुनाव आयोग को AI, बिग डेटा और डिजिटल एनालिटिक्स के माध्यम से सोशल मीडिया निगरानी को सशक्त करना चाहिए, ताकि घृणास्पद भाषण, फर्जी समाचार और आचार संहिता उल्लंघन की पहचान शीघ्र हो सके।
- सतत लोकतांत्रिक शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत** : आयोग को राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के बीच आदर्श आचार संहिता (MCC) के महत्व पर निरंतर प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि यह केवल कानूनी औपचारिकता न रहकर राजनीतिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन जाए।

निष्कर्ष :



- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारतीय लोकतंत्र की विधिक और संस्थागत नींव है, जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को क्रियान्वित कर प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समान सहभागी बनाया। इसने चुनावी आचरण को नियमबद्ध किया, भ्रष्ट प्रथाओं पर नियंत्रण स्थापित किया और पारदर्शिता एवं जवाबदेही को लोकतंत्र की स्थायी विशेषता बनाया। इसके

माध्यम से भारत ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी साख और संस्थागत परिपक्वता को प्रमाणित किया है।

2. वर्तमान समय में राजनीति का अपराधीकरण, वित्तीय अपारदर्शिता, तकनीकी अविश्वास तथा लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियाँ इस अधिनियम की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। अतः इसके सतत् पुनरीक्षण और सुधारात्मक संशोधनों के माध्यम से पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समावेशिता को सुदृढ़ करना समय की मांग है।

3. इसी परिप्रेक्ष्य में, आदर्श आचार संहिता भारत के निर्वाचन आयोग के लिए एक संविधानिक अस्त्र (Constitutional Weapon) के रूप में उभरकर सामने आई है। इसने अनुच्छेद 324 में निहित आयोग की शक्तियों को व्यावहारिक रूप दिया है और भारतीय लोकतंत्र की अखंडता, नैतिकता एवं विश्वसनीयता को अभूतपूर्व रूप से सशक्त किया है।

4. यह केवल एक चुनावी आचार नियमावली भर नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील और विकसित होती लोकतांत्रिक परंपरा है, जो बदलते राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी परिदृश्यों के अनुरूप स्वयं को निरंतर अनुकूलित करती रहती है।

5. इसी निरंतर अनुकूलनशीलता के कारण भारतीय लोकतंत्र आज भी मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बने रहने में सफल है, यही इस अधिनियम और भारत के निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

स्त्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : [UPSC 2020]

- संविधान के अनुसार, जो व्यक्ति राज्य का मतदाता है, उसे छह माह तक मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह विधानमंडल का सदस्य न हो।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, पाँच वर्ष की सजा पाए व्यक्ति को आजीवन चुनाव लड़ने से वंचित किया जाता है।

कूट के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर - (d) न तो 1 न ही 2

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. “आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें।”

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15) (UPSC - 2022)

भारत में गैलेट्री अवार्ड्स : सेवा और बलिदान की भावना को मजबूत करना

समाचार में क्यों?



- केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न अभियानों के दौरान असाधारण साहस का परिचय देने वाले रक्षा कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार सूची की एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है।
- वीर चक्र से सम्मानित होने वालों में कर्नल कोषांक लांबा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, ग्रुप कैप्टन रणजीत सिंह सिद्धू और ग्रुप कैप्टन अनिमेष पाटनी शामिल हैं, जिन्हें असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

वीरता पुरस्कार क्या हैं?

- वीरता पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस और नागरिकों को युद्धकाल या शांतिकाल में असाधारण वीरता, पराक्रम और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं।

- ये पुरस्कार साहस और बलिदान के प्रति भारत के गहरे सम्मान का प्रतीक हैं, जो सम्मान, कर्तव्य और देशभक्ति के मूल्यों को प्रतिबिम्बित करते हैं।

वीरता पुरस्कारों की पृष्ठभूमि और इतिहास

भारत ने 1947 के भारत-पाक युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की बहादुरी को मान्यता देने के लिए, स्वतंत्रता के तीन साल बाद 26 जनवरी 1950 को अपने वीरता पुरस्कारों की शुरुआत की। प्रारंभ में, तीन युद्धकालीन वीरता पुरस्कार थे:

- परम वीर चक्र (PVC)
- महावीर चक्र (MVC)
- वीर चक्र (VrC)

भारत में वीरता पुरस्कार : वीरता पुरस्कारों के प्रकार

पुरस्कारों के प्रकार	पुरस्कार	विवरण	प्रथम प्राप्तकर्ता	नवीनतम प्राप्तकर्ता (2025)
A. युद्धकालीन वीरता पुरस्कार	परम वीर चक्र (PVC)	भूमि, समुद्र या वायु पर दुश्मन का सामना करने पर वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान।	मेजर सोमनाथ शर्मा (मरणोपरांत, 1947 भारत-पाक युद्ध)	कैप्टन अंशुमान सिंह (मरणोपरांत, 2024, ऑपरेशन कारगिल)
	महावीर चक्र (MVC)	शत्रु की उपस्थिति में असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया गया।	लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह स्पैरो (1947-48 युद्ध)	ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत (2024)
	वीर चक्र (VrC)	युद्ध क्षेत्र में बहादुरी के कार्यों के लिए प्रदान किया गया।	लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रणजीत राय (मरणोपरांत, 1947-48 युद्ध)	कर्नल कोषांक लांबा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट, ग्रुप कैप्टन आर.एस. सिद्धू, ग्रुप कैप्टन ए. पाटनी (2025, ऑपरेशन सिंदूर)

भारत में शांतिकालीन वीरता पुरस्कार

पुरस्कारों के प्रकार	पुरस्कार	विवरण	प्रथम प्राप्तकर्ता	नवीनतम प्राप्तकर्ता (2025)
B. शांतिकालीन वीरता पुरस्कार	अशोक चक्र (AC)	युद्धक्षेत्र से दूर बहादुरी या आत्म-बलिदान के लिए शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार।	नाइक नर बहादुर थापा (1952)	कॉर्पोरल दीपक कुमार (2024)
	कीर्ति चक्र (KC)	गैर-युद्ध स्थितियों में विशिष्ट वीरता के लिए सम्मानित किया जाता है।	नायक जदुनाथ सिंह (1952)	सूबेदार संदीप सिंह (2024)
	शौर्य चक्र (SC)	शांतिकालीन अभियानों के दौरान वीरता, साहसी कार्यवाई या आत्म-बलिदान के लिए।	विंग कमांडर जग मोहन नाथ (1952)	मेजर अमित तोमर (2025)

वीरता पुरस्कार बनाम पद्म पुरस्कार

विशेषता (Feature)	वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards)	पद्म पुरस्कार (Padma Awards)
उद्देश्य	युद्ध या शांति में वीरता और साहस के कार्यों का सम्मान करना।	विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण सेवा को मान्यता देना।
स्थापित	26 जनवरी 1950 (युद्धकालीन); 1952 (शांतिकालीन)	1954
श्रेणियाँ	युद्धकालीन (परम वीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र) और शांतिकालीन (अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र)	पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री
पात्रता	सशस्त्र बल, पुलिस, तथा बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले नागरिक।	सभी नागरिक (और चुनिंदा विदेशी)।
द्वारा प्रदत्त	भारत के राष्ट्रपति (रक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर)।	भारत के राष्ट्रपति (गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर)।
आवृत्ति	वर्ष में दो बार – गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर घोषित।	गणतंत्र दिवस पर प्रतिवर्ष घोषित।
वरीयता क्रम	नागरिक पुरस्कारों से अधिक (परम वीर चक्र सभी पद्म पुरस्कारों से ऊपर है)।	वरीयता क्रम में निम्न।
पदक डिजाइन	राष्ट्रीय प्रतीकों और पार की हुई तलवारों वाले गोलाकार पदक (युद्धकालीन) / गोलाकार (शांतिकालीन)।	कमल के आकार का या गोलाकार जिस पर "पद्म" (कमल) लिखा हो।

निष्कर्ष :

- भारत के वीरता पुरस्कार उन पुरुषों और महिलाओं के साहस और बलिदान के ज्वलंत प्रमाण हैं जो कर्तव्य से परे राष्ट्र की सेवा करते हैं।
- कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे गुप्त अभियानों तक, उनकी कहानियाँ भारत की अदम्य वीरता और लचीलेपन की भावना को दर्शाती हैं।

- जैसे-जैसे केंद्र नए नायकों को सम्मानित करता रहता है, ये पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत वीरता का सम्मान करते हैं, बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के शाश्वत आदर्श वाक्य - "स्वयं से पहले सेवा" को भी मूर्त रूप देते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी।
- वीर चक्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है।
- वीरता पुरस्कार नागरिकों के साथ-साथ सशस्त्र बलों के सदस्यों को भी प्रदान किए जा सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. “भारत में वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards) सैनिकों और नागरिकों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान की भावना को किस प्रकार सुदृढ़ करते हैं? इन पुरस्कारों के सामाजिक और नैतिक महत्व का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

PLUTUS IAS UPSC/PCS

हिंदी साहित्य वैकल्पिक

ONLINE BATCH

CHANDIGARH

BATCH STARTING FROM

06th November 2025

05:20PM - 07:20PM

Dr. Akhilesh Kr. Srivastava

2nd Floor, Aggarwal Arcade, Kirti Nagar Metro Station Gate No. - 5, New Delhi-110015

011-26108000

011-26108001

011-26108002

011-26108003

011-26108004

011-26108005

011-26108006

011-26108007

011-26108008

011-26108009

011-26108010

011-26108011

011-26108012

011-26108013

011-26108014

011-26108015

011-26108016

011-26108017

011-26108018

011-26108019

011-26108020

011-26108021

011-26108022

011-26108023

011-26108024

011-26108025

011-26108026

011-26108027

011-26108028

011-26108029

011-26108030

011-26108031

011-26108032

011-26108033

011-26108034

011-26108035

011-26108036

011-26108037

011-26108038

011-26108039

011-26108040

011-26108041

011-26108042

011-26108043

011-26108044

011-26108045

011-26108046

011-26108047

011-26108048

011-26108049

011-26108050

011-26108051

011-26108052

011-26108053

011-26108054

011-26108055

011-26108056

011-26108057

011-26108058

011-26108059

011-26108060

011-26108061

011-26108062

011-26108063

011-26108064

011-26108065

011-26108066

011-26108067

011-26108068

011-26108069

011-26108070

011-26108071

011-26108072

011-26108073

011-26108074

011-26108075

011-26108076

011-26108077

011-26108078

011-26108079

011-26108080

011-26108081

011-26108082

011-26108083

011-26108084

011-26108085

011-26108086

011-26108087

011-26108088

011-26108089

011-26108090

011-26108091

011-26108092

011-26108093

011-26108094

011-26108095

011-26108096

011-26108097

011-26108098

011-26108099

011-26108100

011-26108101

011-26108102

011-26108103

011-26108104

011-26108105

011-26108106

011-26108107

011-26108108

011-26108109

011-26108110

011-26108111

011-26108112

011-26108113

011-26108114

011-26108115

011-26108116

011-26108117

011-26108118

011-26108119

011-26108120

011-26108121

011-26108122

011-26108123

011-26108124

011-26108125

011-26108126

011-26108127

011-26108128

011-26108129

011-26108130

011-26108131

011-26108132

011-26108133

011-26108134

011-26108135

011-26108136

011-26108137

011-26108138

011-26108139

011-26108140

011-26108141

011-26108142

011-26108143

011-26108144

011-26108145

011-26108146

011-26108147

011-26108148

011-26108149

011-26108150

011-26108151

011-26108152

011-26108153

011-26108154

011-26108155

011-26108156

011-26108157

011-26108158

011-26108159

011-26108160

011-26108161

011-26108162

011-26108163

011-26108164

011-26108165

011-26108166

011-26108167

011-26108168

011-26108169

011-26108170

011-26108171

011-26108172

011-26108173

011-26108174

011-26108175

011-26108176

011-26108177

011-26108178

011-26108179

011-26108180

011-26108181

011-26108182

011-26108183

011-26108184

011-26108185

011-26108186

011-26108187

011-26108188

011-26108189

011-26108190

011-26108191

011-26108192

011-26108193

011-26108194

011-26108195

011-26108196

011-26108197

011-26108198

011-26108199

011-26108200

011-26108201

011-26108202

011-26108203

011-26108204

011-26108205

011-26108206

011-26108207

011-26108208

011-26108209

011-26108210

011-26108211

011-26108212

011-26108213

011-26108214

011-26108215

011-26108216

011-26108217

011-26108218

011-26108219

011-26108220

011-26108221

011-26108222

011-26108223

011-26108224

011-26108225

011-26108226

011-26108227

011-26108228

011-26108229

011-26108230

011-26108231

011-26108232

011-26108233

011-26108234

011-26108235

011-26108236

011-26108237

011-26108238

011-26108239

011-26108240

011-26108241

011-26108242

011-26108243

011-26108244

011-26108245

011-26108246

011-26108247

011-26108248

011-26108249

011-26108250

011-26108251

011-26108252

011-26108253

011-26108254

011-26108255

011-26108256

011-26108257

011-26108258

011-26108259

011-26108260

011-26108261

011-26108262

011-26108263

011-26108264

011-26108265

011-26108266

011-26108267

011-26108268

011-26108269

011-26108270

011-26108271

011-26108272

011-26108273

011-26108274

011-26108275

011-26108276

011-26108277

011-26108278

011-26108279

011-26108280

011-26108281

011-26108282

011-26108283

011-26108284

011-26108285

011-26108286

011-26108287

011-26108288

011-26108289

011-26108290

011-26108291

011-26108292

011-26108293

011-26108294

011-26108295

011-26108296

011-26108297

011-26108298

011-26108299

011-26108300

011-26108301

011-26108302

011-26108303

011-26108304

011-26108305

011-26108306

011-26108307

011-26108308

011-26108309

011-26108310

011-26108311

011-26108312

011-26108313

011-26108314

011-26108315

011-26108316

011-26108317

011-26108318

011-26108319

011-26108320

011-26108321

011-26108322

011-26108323

011-26108324

011-26108325

011-26108326

011-26108327

011-26108328

011-26108329

011-26108330

011-26108331

011-26108332

011-26108333

011-26108334

011-26108335

011-26108336

011-26108337

011-26108338

011-26108339

011-26108340

011-26108341

011-26108342

011-26108343

011-26108344

011-26108345

011-26108346

011-26108347

011-26108348

011-26108349

011-26108350

011-26108351

011-26108352

011-26108353

011-26108354

011-26108355

011-26108356

011-26108357

011-26108358

011-26108359

011-26108360

011-26108361

011-26108362

011-26108363

011-26108364

011-26108365

011-26108366

011-26108367

011-26108368

011-26108369

011-26108370

011-26108371

011-26108372

011-26108373

011-26108374

011-26108375

011-26108376

011-26108377

011-26108378

011-26108379

011-26108380

011-26108381

011-26108382

011-26108383

011-26108384

011-26108385

011-26108386

011-26108387

011-26108388

011-26108389

011-26108390

011-26108391

011-26108392

011-26108393

011-26108394

011-26108395

011-26108396

011-26108397

011-26108398

011-26108399

011-26108400

011-26108401

011-26108402

011-26108403

011-26108404

011-26108405

011-26108406

011-26108407

011-26108408

011-26108409

011-26108410

011-26108411

011-26108412

011-26108413

011-26108414

011-26108415

011-26108416

011-26108417

011-26108418

011-26108419

011-26108420

011-26108421

011-26108422

011-26108423

011-26108424

011-26108425

011-26108426

011-26108427

011-26108428

011-26108429

011-26108430

011-26108431

011-26108432

011-26108433

011-26108434

011-26108435

011-26108436

011-26108437

011-26108438

011-26108439

011-26108440

011-26108441

011-26108442

011-26108443

011-26108444

011-26108445

011-26108446

011-26108447

011-26108448

011-26108449

011-26108450

011-26108451

011-26108452

011-26108453

011-26108454

011-26108455

011-26108456

011-26108457

011-26108458

011-26108459

011-26108460

011-26108461

011-26108462

011-26108463

011-26108464

011-26108465

011-26108466

011-26108467

011-26108468

भारत पर संभावित प्रभाव :

- सेवा निर्यात :** भारत का आईटी उद्योग (इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, आदि) सालाना लगभग 250 अरब डॉलर कमाता है, जिसमें से अमेरिका का योगदान 60% से ज्यादा है। वीजा की बढ़ती लागत अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर देगी।
- आईटी सेवाओं के निर्यात की वृद्धि दर, खासकर परामर्श और आउटसोर्सिंग क्षेत्र में, धीमी पड़ सकती है।
- प्रेषण :** अमेरिका में काम करने वाले भारतीय बड़ी मात्रा में धन भेजते हैं (सालाना 120 अरब डॉलर से ज्यादा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है)। कम H-1B कर्मचारी → मध्यम अवधि में कम धन-प्रेषण प्रवाह।
- भारत में रोजगार :** अगर अमेरिकी ग्राहक महंगे भारतीय श्रम के कारण आउटसोर्सिंग सौदों में कटौती करते हैं, तो भारतीय आईटी कंपनियाँ कम नियुक्तियाँ कर सकती हैं, जिससे भारत के आईटी क्षेत्र में युवाओं के रोजगार पर असर पड़ेगा। घरेलू प्रभाव: कम आय → कम खपत।
- वैकल्पिक बाजार चुनौती :** भारत यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आईटी सेवाओं का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अभी भी विकास के चरण में हैं। अल्पावधि में अमेरिका पर निर्भरता बहुत अधिक बनी हुई है।
- द्विपक्षीय व्यापार तनाव :** यह निर्णय व्यापार संबंधी मतभेदों (जैसे वस्तुओं पर शुल्क, डिजिटल कराधान संबंधी मुद्दे) को और बढ़ाएगा। इससे भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों पर दबाव पड़ सकता है, खासकर तब जब भारत सेवाओं के निर्यात में और अधिक पहुँच के लिए दबाव बना रहा है।
- व्यापक आर्थिक प्रभाव: अल्पकालिक :** प्रबंधनीय, क्योंकि कंपनियाँ लागत वहन कर सकती हैं।
- दीर्घकालिक :** यदि प्रतिबंध जारी रहते हैं, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि, निर्यात, रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ सकता है।
- मोदी की 2025 की अमेरिकी यात्रा और "मिशन 500":** फरवरी 2025 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया (12-15 फरवरी)।
- उस यात्रा के दौरान, भारत और अमेरिका ने "मिशन 500" की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। द्विपक्षीय बैठकों के दौरान, उन्होंने ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा की।

वर्तमान चुनौतियाँ :

- व्यापार तनाव :** टैरिफ विवाद और प्रस्तावित 100,000 डॉलर H-1B शुल्क जैसे नए अमेरिकी उपाय भारतीय आईटी निर्यात को प्रभावित करते हैं।
- भू-राजनीतिक विचलन :** रूस के साथ भारत के ऊर्जा संबंध और वैश्विक संघर्षों (यूक्रेन, पश्चिम एशिया) पर सतर्क रुख कभी-कभी अमेरिकी अपेक्षाओं के विपरीत होता है।
- संरक्षणवाद :** अमेरिका द्वारा वीजा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिबंधों को कड़ा करने से भारत के सेवा क्षेत्र की गति धीमी हो सकती है।
- चीन कारक :** हालांकि दोनों ही चीन के खिलाफ हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण अलग-अलग हैं - अमेरिका सैन्य दृष्टि से अधिक आगे है, जबकि भारत रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देता है।

परिदृश्य को प्रबंधित करने के उपाय :

- संस्थागत संवाद :** व्यापार और वीजा संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता और उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों का विस्तार करना। **उदाहरण :** 2023 पीएम मोदी-बाइडेन राजकीय यात्रा में नए सेमीकंडक्टर और रक्षा सहयोग की घोषणा।
- व्यापार पुनर्संतुलन :** आईटी सेवाओं, कृषि और डिजिटल व्यापार नियमों को कवर करने वाले सीमित व्यापार समझौते पर जोर दें।
- प्रौद्योगिकी साझेदारी :** सेमीकंडक्टर (गुजरात में माइक्रोन), महत्वपूर्ण खनिजों और एआई गवर्नेंस में सहयोग को गहरा करना।
- रक्षा सह-उत्पादन :** संयुक्त लड़ाकू जेट इंजन (जीई-एचएएल सौदा) और ड्रोन के माध्यम से मेक इन इंडिया-मेक फॉर वर्ल्ड का विस्तार करें।
- ऊर्जा सहयोग :** आपूर्ति संबंधी झटकों को कम करने के लिए एलएनजी, हरित हाइड्रोजन और परमाणु ऊर्जा सहयोग में विविधता लाएं।
- लोगों की गतिशीलता :** वीजा और छात्र संबंधी सुगमता के लिए बातचीत करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान देते रहें।
- वैश्विक दक्षिण सहयोग :** एकजुट नेतृत्व प्रस्तुत करने के लिए जलवायु वित्त, विकास सहायता और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर एकजुट होना।

निष्कर्ष :

भारत-अमेरिका संबंध एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के रूप में परिपक्व हो गए हैं। हालांकि एच-1बी वीजा शुल्क या

टैरिफ विवाद जैसी अल्पकालिक चुनौतियाँ टकराव पैदा कर सकती हैं, लेकिन निरंतर संवाद, तकनीकी सहयोग और साझा हिंद-प्रशांत लक्ष्य दीर्घकालिक रूप से संबंधों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:**Q. H-1 B वीजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

- यह एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो विशिष्ट व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को अनुमति देता है।
- प्रतिवर्ष H-1B वीजा स्वीकृतियों में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 60-70% होती है।
- वीजा 10 वर्षों के लिए वैध है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपरोक्त सभी।

उत्तर: B**मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न:****Q. शीत युद्ध काल से लेकर वर्तमान तक भारत-अमेरिका संबंधों के विकास पर चर्चा कीजिए। व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारियों में प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए।****(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)****भारत और रूस संबंध : सांस्कृतिक – सामरिक संबंध और उभरती चुनौतियाँ****समाचार में क्यों?**

- सोची (रूस) में व्लादीमिर चर्चा समूह में बोलते हुए, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय फिल्मों के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया।
- उन्होंने कहा कि रूस में संभवतः दुनिया का एकमात्र ऐसा टीवी चैनल है जो विशेष रूप से भारतीय सिनेमा पर केंद्रित है।
- उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भारत और रूस अपने राजनीतिक संबंधों के अलावा सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को भी साझा करते हैं।
- यह भारत-रूस संबंधों के निरंतर सॉफ्ट पावर पहलू को रेखांकित करता है, जो अक्सर रक्षा और रणनीतिक चर्चाओं के कारण फीका पड़ जाता है।

भारत और रूस के बीच सहयोग के क्षेत्र**A. रक्षा और सुरक्षा**

- भारत के लगभग 60 से 70% सैन्य उपकरण रूस से आते हैं।
- उन्होंने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित की।
- भारत उत्तर प्रदेश के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन करता है।
- भारत वार्षिक इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित करता है जिसमें थलसेना, नौसेना और वायुसेना शामिल होती हैं।
- उनके पास आईएनएस चक्र जैसी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों को पट्टे पर देने के लिए एक अद्वितीय विश्वास-आधारित व्यवस्था है।

B. परमाणु ऊर्जा

- रूस तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 3 से 6 का निर्माण कर रहा है।
- परमाणु सुरक्षा, रिएक्टर प्रौद्योगिकी और ईंधन आपूर्ति पर उनका सहयोग मजबूत हो रहा है।
- भारत और रूस असैन्य परमाणु दायित्व ढांचे और दीर्घकालिक ईंधन समझौतों पर भी मिलकर काम करते हैं।

C. अंतरिक्ष सहयोग

- रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस, अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण और प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ प्रदान करके भारत के गगनयान मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग में ऐतिहासिक साझेदारी 1970 के दशक से चली आ रही है, जिसमें रूसी वाहनों पर भारतीय उपग्रहों का प्रक्षेपण भी शामिल है।

- भविष्य की संभावनाओं में उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, गहन अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता पर सहयोग करना शामिल है।

D. व्यापार और ऊर्जा

- वित्त वर्ष 2023 से 2024 तक द्विपक्षीय व्यापार 65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसका मुख्य कारण यूक्रेन युद्ध के बाद तेल आयात में छूट है।
- 2023 में, रूस इराक और सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) के विकास से माल परिवहन के समय में 40% की कमी आने की उम्मीद है।
- पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए रुपया-रुबल व्यापार, डिजिटल निपटान और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर चर्चा चल रही है।

क्षेत्र	प्रमुख घटनाक्रम	रणनीतिक मूल्य
ऊर्जा	2022 के बाद तेल आयात 800% से अधिक बढ़ गया	भारत के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना और लागत कम करना
कनेक्टिविटी	INSTC (International North-South Transport Corridor) का परीक्षण पूरा हुआ	स्वेज नहर की तुलना में यह एक छोटा और सस्ता मार्ग बनाता है
वित्त	रुपया-रुबल व्यापार और वैकल्पिक भुगतान चैनल प्रगति पर	प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है

E. स्वास्थ्य और शिक्षा

- 18,000 से अधिक भारतीय छात्र, जिनमें से अधिकांश चिकित्सा के छात्र हैं, रूसी विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं (2024)।
- उन्होंने भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन परीक्षण, उत्पादन और वितरण के माध्यम से COVID-19 पर सहयोग किया है।

- नियमित शैक्षणिक आदान-प्रदान और छात्रवृत्ति कार्यक्रम लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करते हैं।

F. सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध

- स्वर्ण युग के बॉलीवुड आइकन, जैसे राज कपूर, रूस में सांस्कृतिक प्रतीक बने हुए हैं।
- रूस ने महत्वपूर्ण जन भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
- एक समर्पित भारतीय सिनेमा टीवी चैनल बॉलीवुड फिल्मों का प्रसारण करता है, जो सॉफ्ट पावर को उजागर करती हैं।
- पर्यटन और भाषा सीखने के कार्यक्रम धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं।

रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र:

1. राजनीतिक एवं बहुपक्षीय सहयोग:

- संयुक्त राष्ट्र, BRICS, SCO, G20 जैसे मंचों में साझा दृष्टिकोण।
- क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोधी सहयोग में रणनीतिक समझ।

2. रक्षा सहयोग:

- भारत की रक्षा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा रूस से आता है (टी-90 टैंक, सुखोई, ब्रह्मोस मिसाइल)।
- संयुक्त हथियार अनुसंधान और रक्षा तकनीकी विकास।

3. ऊर्जा एवं विज्ञान-प्रौद्योगिकी :

- परमाणु ऊर्जा (कुडनकुलम), तेल और गैस परियोजनाओं में सहयोग।
- अंतरिक्ष (ISRO-Roscosmos), डिजिटल और औद्योगिक क्षेत्रों में साझा निवेश।

चुनौतियाँ और अवसर:

चुनौतियाँ:

- रूस-चीन निकटता और पश्चिमी प्रतिबंधों का असर।
- भारत-अमेरिका और QUAD सहयोग के कारण संतुलन बनाए रखना।
- रक्षा उपकरणों में विविधीकरण की आवश्यकता।
- ऊर्जा, फार्मा, डिजिटल, आर्कटिक निवेश में विस्तार।
- बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक प्रभाव बढ़ाना।

द्विपक्षीय संबंधों में बाधाएँ :

चुनौती	विवरण	आशय
भू-राजनीतिक विचलन	रूस-चीन-पाकिस्तान की धुरी भारत-अमेरिका/QUAD साझेदारी के विपरीत है।	रणनीतिक असुविधा पैदा करता है
प्रतिबंध और रणनीतिक दबाव	यूक्रेन पर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण वित्तीय लेनदेन और रक्षा सौदे जटिल हो गए हैं।	भुगतान में देरी और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं
आर्थिक कमजोर प्रदर्शन	व्यापार बहुत हद तक ऊर्जा पर निर्भर है, जिससे इसमें विविधता कम है।	आर्थिक गहराई को सीमित करता है
रक्षा विविधीकरण	भारत अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से अधिक खरीद कर रहा है।	रूसी सैन्य आपूर्ति में क्रमिक गिरावट
कनेक्टिविटी की अड़चनें	INSTC अभी भी अविकसित है और इसका कोई सीधा भूमि मार्ग नहीं है।	व्यापार रसद में चुनौतियाँ पैदा करता है
निजी क्षेत्र की अनुपस्थिति	रक्षा क्षेत्र के बाहर बहुत कम संयुक्त उद्यम हैं।	नवाचार के अवसर चूक गए

आगे की राह :

- रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखें : सभी प्रमुख शक्तियों के साथ जिम्मेदारीपूर्वक बातचीत करें।
- सहयोग में विविधता लाना : हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, फार्मास्यूटिकल्स, एआई और कृषि में विकल्पों का अन्वेषण करें।
- सांस्कृतिक कूटनीति एक सेतु के रूप में : लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सिनेमा, शिक्षा और पर्यटन का उपयोग करें।
- कनेक्टिविटी बढ़ाएँ : आईएनएसटीसी को पूर्णतः क्रियाशील बनाना तथा आर्कटिक शिपिंग मार्गों का अन्वेषण करना।
- नवीन वित्तीय चैनल : प्रतिबंधों से बचने के लिए रुपया-रुबल व्यापार, स्थानीय मुद्रा निपटान या डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित करें।

- क्षमता निर्माण : रूसी बाजारों में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा इसके विपरीत भी।

निष्कर्ष :

- भारत-रूस संबंध सुस्थापित, बहुआयामी और तेजी से लोगों पर केंद्रित होते जा रहे हैं। पुतिन का भारतीय सिनेमा के प्रति सम्मान, रणनीतिक संबंधों के पूरक, सौम्य शक्ति (Soft Power) संबंधों का प्रतीक है।
- जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति गतिशीलता बदलती है, दोनों देशों को अपनी साझेदारी का आधुनिकीकरण और विविधता लानी होगी।
- रणनीतिक विश्वास, ऊर्जा सहयोग और सांस्कृतिक संबंध नई भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल ढलने के लिए एक ठोस आधार तैयार कर सकते हैं।
- एक व्यावहारिक दृष्टिकोण यह सुनिश्चित कर सकता है कि यह ऐतिहासिक मित्रता आने वाले वर्षों में भी प्रासंगिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी बनी रहे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- भारत और रूस ने इंद्र सैन्य अभ्यास किया।
- रूस एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- भारत और रूस ने संयुक्त रूप से ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली विकसित की।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न :

- “ भारत-रूस संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, लेकिन नई भू-राजनीतिक वास्तविकताएँ पुनर्संतुलन की माँग करती हैं।” चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत का वायु रक्षा आधुनिकीकरण बनाम मिशन 'सुदर्शन चक्र'

खबरों में क्यों?



- हाल ही में भारतीय सेना ने अपने व्यापक वायु रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम मिशन सुदर्शन चक्र के तहत छह AK-630 (30 मिमी एयर डिफेंस गन) की खरीद के लिए एक सरकारी स्वामित्व वाली रक्षा कंपनी को एक निविदा जारी की है।
- इन अत्याधुनिक तोपों की तैनाती भारत-पाकिस्तान सीमा के समीप उन संवेदनशील नागरिक एवं धार्मिक स्थलों पर की जाएगी जो अक्सर शत्रु की हवाई गतिविधियों के निशाने पर रहते हैं।
- यह पहल भारत की बहुस्तरीय वायु सुरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मिशन सुदर्शन चक्र क्या है ?

- मिशन सुदर्शन चक्र भारतीय सेना की एक पहल है जिसका उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले शत्रुतापूर्ण हवाई खतरों के खिलाफ, वायु रक्षा तैयारी को मजबूत करना है। यह आगे के क्षेत्रों में रणनीतिक संपत्तियों और नागरिक आबादी दोनों को सुरक्षित करने के लिए एक बहुस्तरीय, आधुनिक और प्रतिक्रियाशील वायु रक्षा ढाल बनाने पर केंद्रित है।
- यह मिशन भारत की रक्षा रणनीति में एक बदलाव को दर्शाता है, जहाँ सुरक्षा का ध्यान अब केवल सैन्य प्रतिष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सीमावर्ती गाँवों, सांस्कृतिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी शामिल है, जो अतीत में हवाई हमलों का निशाना रहे हैं। यह एक व्यापक दृष्टिकोण है जो सैन्य और नागरिक सुरक्षा दोनों को एक एकीकृत रक्षा वास्तुकला के तहत लाता है।

मिशन सुदर्शन चक्र के प्रमुख उद्देश्य :

- भारत की जमीनी वायु रक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना।
- सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित महत्वपूर्ण नागरिक, धार्मिक और सैन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- ड्रोन, विमान और मिसाइल जैसे आधुनिक हवाई खतरों के विरुद्ध बहु-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली का निर्माण।
- पूर्व संघर्षों से मिले अनुभवों के आधार पर वायु रक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना और भविष्य की आकस्मिक परिस्थितियों के लिए तत्पर रहना।

मिशन सुदर्शन चक्र का महत्व :

- राष्ट्रीय सुरक्षा कवच के रूप में महत्व :** यह मिशन भारत की सीमाओं पर हवाई खतरों, जैसे कि ड्रोन, लड़ाकू विमान और मिसाइल हमलों — के विरुद्ध एक मजबूत सुरक्षा परत प्रदान करता है। इससे सीमा पार से होने वाले हवाई हमलों को समय रहते निष्क्रिय किया जा सकता है।
- नागरिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के रूप में महत्व :** भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक स्थित कई धार्मिक स्थल और गाँव अक्सर शत्रु के निशाने पर रहते हैं। यह मिशन इन क्षेत्रों को सुदृढ़ सुरक्षा प्रदान करता है जिससे स्थानीय जनजीवन और सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह सके।
- सामरिक लाभ या रणनीतिक लाभ के रूप में महत्व :** यह पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और अग्रिम तैनाती (forward deployments) में विश्वास का निर्माण करता है। एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली किसी भी संभावित संघर्ष में रणनीतिक बढ़त देती है। यह भारत की डिटरेंस (Deterrence) नीति को मजबूत करता है और पाकिस्तान के संभावित हवाई हमलों को रोकने की दिशा में संतुलन स्थापित करता है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती और मनोबल दोनों को बल मिलता है।
- बहु-स्तरीय रक्षा प्रणाली के रूप में महत्व :** मिशन सुदर्शन चक्र भारत की मौजूदा वायु रक्षा प्रणालियों जैसे यह एस-400 ट्राइम्फ, आकाश और स्पाइडर जैसी अन्य प्रणालियों का पूरक है, जो भारत के वायु रक्षा ग्रिड को मजबूत करता है। यह विभिन्न ऊँचाइयों और दूरियों पर खतरों को बेअसर करने की क्षमता प्रदान करता है।
- स्वदेशीकरण को बढ़ावा (Indigenization Push) के रूप में महत्व :** यह रक्षा में घरेलू विनिर्माण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है। एके-630 तोपों को एक राज्य-स्वामित्व वाली फर्म से प्राप्त करने का निर्णय इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- अतीत के अभियानों से सीखना (Learning from Past Operations) के रूप में महत्व :** यह ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) जैसे संघर्षों से सबक लेता है, जहाँ नागरिक

क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी घटनाएँ भविष्य में न हों।

मिशन सुदर्शन चक्र की प्रमुख विशेषताएँ :

- उन्नत हथियार प्रणालियों की खरीद :** मिशन के तहत अत्याधुनिक AK-630 (30 मिमी एयर डिफेंस गन), मिसाइल आधारित इंटरसेप्टर, राडार प्रणाली और फायर-कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। ये प्रणालियाँ शत्रु के हवाई खतरों को कुछ ही सेकंड में निष्क्रिय करने में सक्षम हैं।
- बहु-स्तरीय रक्षा संरचना :** इसमें लघु दूरी, मध्यम दूरी और लंबी दूरी की प्रणालियाँ सम्मिलित हैं, जिससे 360° सुरक्षा कवच निर्मित होता है।
- स्वदेशी रक्षा उद्योग की भागीदारी :** यह 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत राज्य-स्वामित्व वाली और निजी दोनों फर्मों को शामिल करता है। यह न केवल सैन्य क्षमता बढ़ाता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है।
- त्वरित तैनाती क्षमता :** इस मिशन का डिजाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में वायु रक्षा उपकरणों को सीमावर्ती क्षेत्रों में तुरंत तैनात किया जा सके।
- महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा :** मिशन का एक बड़ा लक्ष्य धार्मिक स्थलों, नागरिक बस्तियों, सैन्य ठिकानों और ऊर्जा संयंत्रों जैसी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की रक्षा करना है।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण :** अत्याधुनिक राडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली (EW Systems) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी तंत्र के उपयोग से संभावित हवाई खतरों की पहचान से पहचान कर उन्हें निष्क्रिय किया जा सकेगा।

भारत की रक्षा प्रणाली के लिए मिशन सुदर्शन चक्र क्यों महत्वपूर्ण है?

मिशन सुदर्शन चक्र भारत की रक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण कारणों से एक मूलभूत भूमिका निभाएगा :

- बहुस्तरीय सुरक्षा को मजबूत करता है (Strengthens Multi-Layered Security) :** यह तोपों, मिसाइलों और राडार को एकीकृत करके 360-डिग्री वायु रक्षा कवरेज प्रदान करता है। यह कम ऊँचाई वाले विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है।
- सीमावर्ती नागरिक क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों की रक्षा करता है (Protects Border Civilian Areas & Religious Sites) :** चूंकि पाकिस्तान ने अक्सर सीमावर्ती गाँवों और सांस्कृतिक/धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया है, यह मिशन संघर्ष क्षेत्रों के करीब नागरिक आबादी और विरासत संरचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह एक मानवीय सुरक्षा कवच (humanitarian security shield) भी प्रदान करता है।

3. **नए युग के खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होना (Counter to New-Age Threats) :** शत्रु तेजी से सशस्त्र ड्रोन, सटीक-निर्देशित युद्ध सामग्री (precision-guided munitions) और लोइटरिंग गोला-बारूद (loitering ammunition) का उपयोग कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र भारत को इन कम लागत वाले लेकिन खतरनाक खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने में मदद करता है।

4. **दीर्घकालिक रक्षा आधुनिकीकरण का समर्थन करता है (Supports Long-Term Defence Modernization) :** यह एस-400, आकाश और बराक-8 जैसी उन्नत प्रणालियों का पूरक है। यह लघु-सीमा से लेकर लंबी-सीमा तक के अवरोधों के लिए एक स्तरीय रक्षा छत्र बनाता है।

5. **पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिरोध को बढ़ाता है (Boosts Deterrence Against Pakistan) :** यह पश्चिमी मोर्चे पर भारत की विश्वसनीयता और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह सीमा पार हवाई हमले या आश्चर्यजनक हमले (surprise offensives) करने की पाकिस्तान की क्षमता को कम करता है।

6. **रक्षा में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देता है (Promotes Atma Nirbhar Bharat in Defence) :** राज्य-स्वामित्व वाली फर्मों और भारतीय निजी क्षेत्र से खरीद घरेलू रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करती है। यह महंगा आयात पर निर्भरता कम करता है और रक्षा तैयारी में आत्म-निर्भरता का निर्माण करता है।

7. **अतीत के संघर्षों से सबक (Lesson from Past Conflicts) लेने में सक्षम :** ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं के दौरान, पाकिस्तान ने हवाई गोलाबारी से नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया था। यह मिशन सुनिश्चित करता है कि भारत भविष्य की आकस्मिकताओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार है।

AK-630 (30 मिमी एयर डिफेंस गन) की भूमिका :

- AK-630 एक अत्याधुनिक स्वचालित क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CIWS) है, जो हवाई लक्ष्यों जैसे ड्रोन, मिसाइल या लो-फ्लाइटिंग एयरक्राफ्ट को नष्ट करने में सक्षम है।
- यह प्रति मिनट 4000-5000 राउंड फायर कर सकता है।
- यह प्रणाली राडार-निर्देशित फायर-कंट्रोल से संचालित होती है।
- इसका उपयोग नौसेना और अब भूमि आधारित वायु रक्षा के रूप में भी किया जा रहा है।
- सुदर्शन चक्र के तहत इन तोपों की तैनाती सीमावर्ती क्षेत्रों में "पहली प्रतिक्रिया प्रणाली" के रूप में की जाएगी।

रणनीतिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से महत्व :

- यह मिशन भारत की वायु रक्षा नीति को नई दिशा देता है।
- यह जियो-पॉलिटिकल संतुलन को पाकिस्तान की ओर झुकने से रोकता है।

3. यह आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास का उदाहरण है।
4. यह भारत को ड्रोन युद्ध और हाइब्रिड युद्ध (Hybrid Warfare) के नए स्वरूप के लिए तैयार करता है।

निष्कर्ष :

- मिशन सुदर्शन चक्र भारत की वायु रक्षा आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक मील का पत्थर है। यह केवल सैन्य परिसंपत्तियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिक क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों को भी अपने संरक्षण कवच में सम्मिलित करता है, जिससे समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा (Comprehensive National Security) की अवधारणा को व्यावहारिक रूप में बल मिलता है।
- यह मिशन आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को सशक्त बनाते हुए विदेशी तकनीकी निर्भरता को घटाता है तथा भारत की रक्षा प्रणाली को भविष्य की तकनीकी चुनौतियों (Emerging Technological Threats) के अनुरूप रूपांतरित करता है।
- आधुनिक युद्ध के दौर में, जब ड्रोन, सटीक-निर्देशित हथियार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे खतरे निरंतर बढ़ रहे हैं, मिशन सुदर्शन चक्र भारत के लिए एक निर्णायक रक्षा कवच और विश्वसनीय प्रतिरोधक शक्ति (Decisive Shield and Credible Deterrent) के रूप में उभरता है।
- यह मिशन स्वदेशी तकनीक, स्तरित सुरक्षा तंत्र और त्वरित तैनाती क्षमता के समन्वय से न केवल भारत की वायु रक्षा को सुदृढ़ करता है, बल्कि राष्ट्र की दीर्घकालिक रणनीतिक लचीलापन (Strategic Resilience) और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था की दिशा में एक ठोस कदम के रूप में एक निर्णायक ढाल और निवारक के रूप में काम करेगा, जो बाहरी खतरों के खिलाफ भारत की रक्षात्मक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा।

स्रोत - पी.आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**Q. मिशन सुदर्शन चक्र के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. यह भारतीय सेना की एक पहल है जिसका उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ एक बहुस्तरीय वायु रक्षा ढाल बनाना है।
2. इस मिशन में एक राज्य-स्वामित्व वाली फर्म से एके-630 30मिमी वायु रक्षा तोपों की खरीद शामिल है।

3. यह केवल सैन्य संपत्तियों की सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसमें नागरिक क्षेत्र और सांस्कृतिक स्थल शामिल नहीं हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर - (a) केवल 1 और 2

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**Q. चर्चा कीजिए कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सामरिक संतुलन के परिप्रेक्ष्य में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों की भारत-रूस रक्षा साझेदारी की तुलना में क्या रणनीतिक प्रासंगिकता है?**

(शब्द सीमा – 250 अंक - 15) (UPSC - 2020)

भारत – अफगानिस्तान संबंधों में नया अध्याय : तालिबान के विदेश मंत्री की नई दिल्ली यात्रा**खबरों में क्यों ?**

- हाल ही में अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा ने दक्षिण एशिया की जटिल और तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। यह यात्रा न केवल भारत-अफगानिस्तान संबंधों के एक नए चरण का प्रतीक है, बल्कि यह अफगानिस्तान में 2021 के सत्ता परिवर्तन के बाद भारत की विदेश नीति के एक व्यावहारिक और विकसित होते दृष्टिकोण को भी रेखांकित करती है। यह घटनाक्रम भारत की क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने, मानवीय दायित्वों को निभाने, और कट्टरता तथा आतंकवाद के खतरों को नियंत्रित करने की उसकी अनिवार्यता को दर्शाता है।

- वर्ष 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान के काबुल पर नियंत्रण के बाद, भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने दूतावास को बंद कर दिया था। हालांकि, 2022 में भारत ने एक "तकनीकी मिशन" के माध्यम से सीमित कूटनीतिक वापसी की, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मानवीय सहायता, चिकित्सा सहायता, और व्यापार को सुगम बनाना था। मुत्ताकी की यात्रा, भारत द्वारा तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दिए बिना भी, बातचीत के चैनल को खुला रखने की उसकी नीति का स्पष्ट प्रमाण है। यह एक राजनीतिक-आर्थिक पुल बनाने का प्रयास है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों की सेवा कर सके।

ऐतिहासिक मित्रता और आधुनिक चुनौतियाँ :

- भारत और अफगानिस्तान के संबंध प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत जुड़ाव पर आधारित रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता में गंधार और काबुल घाटी का विशेष स्थान रहा है। स्वतंत्र भारत ने हमेशा अफगानिस्तान को एक विश्वसनीय साझेदार और मध्य एशिया का द्वार माना है।
- लेकिन अगस्त 2021 में अमेरिकी सेनाओं की अचानक वापसी और तालिबान की सत्ता में वापसी ने इस संबंध को अस्थिर कर दिया। भारत ने अपने 3 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के विकास परियोजनाओं को असुरक्षा के चलते रोक दिया और दूतावास बंद कर दिया।
- फिर भी भारत ने 2022 में "टेक्निकल मिशन" के रूप में काबुल में सीमित उपस्थिति बहाल की ताकि मानवीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएँ, शिक्षा और व्यापारिक संवाद जारी रखा जा सके। यही "सॉफ्ट एंगेजमेंट" अब मुत्ताकी की यात्रा के साथ "पॉलिटिकल एंगेजमेंट" में बदलती दिखाई दे रही है।

यात्रा का मुख्य उद्देश्य :

1. द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और राजनीतिक संवाद पुनः प्रारंभ करना।
2. व्यापारिक विनिमय बढ़ाना, विशेषकर अफगान सूखे मेवे, केसर, और खनिज निर्यात के अवसरों को विस्तारित करना।
3. स्वास्थ्य और मानवीय सहयोग पर चर्चा तथा वीजा और कांसुलर सेवाओं को आसान बनाना।
4. क्षेत्रीय संपर्क (Connectivity) को बढ़ाने हेतु चाबहार जैसे बंदरगाहों के उपयोग पर विचार करना।

यात्रा का महत्व :**राजनीतिक और कूटनीतिक आयाम :**

- यह यात्रा भारत और तालिबान के बीच तनाव में कमी और संवाद की पुनः शुरुआत का प्रतीक है।

- भारत ने अभी तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन व्यावहारिक कूटनीति (Pragmatic Diplomacy) अपनाकर अपने रणनीतिक हितों की रक्षा कर रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति द्वारा मुत्ताकी के लिए यात्रा प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाना इस कूटनीतिक पहल को संभव बना सका है।
- यह तालिबान के लिए क्षेत्रीय वैधता (Regional Legitimacy) हासिल करने का प्रयास भी है।

आर्थिक और व्यापारिक आयाम :

- अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर निर्भरता घटाने के लिए भारत जैसे नए व्यापारिक भागीदारों की तलाश में है।
- भारत पहले से ही अफगानिस्तान को गेहूं, दवाइयाँ और COVID-19 टीके जैसी मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है।
- सूखे मेवे, केसर, फलों और खनिजों का व्यापार अफगान अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत बन सकता है।
- चाबहार बंदरगाह भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए व्यापारिक जीवनरेखा बनता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भूमि मार्ग अवरुद्ध रखता है।

क्षेत्रीय और सामरिक आयाम :

- यह यात्रा मॉस्को क्षेत्रीय सम्मेलन के तुरंत बाद हुई जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, चीन और मध्य एशियाई देशों ने भाग लिया। वहाँ विदेशी सैन्य ठिकानों (विशेषकर अमेरिकी) का विरोध किया गया।
- भारत के लिए यह संवाद आतंकवाद, चरमपंथ और मादक पदार्थ तस्करी जैसी चुनौतियों के विरुद्ध सहयोग का मंच है।
- भारत अपने अफगान परियोजनाओं – जैसे सलमा बांध, काबुल संसद भवन, और जर्नलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर – को सुरक्षित रखने की दिशा में भी काम कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में महत्व :

- वर्तमान में केवल रूस ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दी है, जबकि चीन, ईरान और पाकिस्तान कार्यात्मक संबंध (Functional Ties) बनाए हुए हैं।
- भारत का दृष्टिकोण "Functional Engagement without Formal Recognition" पर आधारित है — यानी मानवीय और आर्थिक संवाद बिना औपचारिक मान्यता के।
- मुत्ताकी की यह यात्रा तालिबान की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता की दिशा में संतुलित कूटनीतिक प्रयास है।

भारत - अफगानिस्तान संबंधों की मुख्य चुनौतियाँ :

- सुरक्षा और आतंकवाद का खतरा :** तालिबान के शासन में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) जैसे भारत-विरोधी संगठनों के पुनर्सक्रिय होने की संभावना भारत की चिंता का विषय है। अफगानिस्तान पुनः आतंकवाद का अड्डा न बन जाए, यह भारत की प्राथमिक चिंता है।
- राजनीतिक वैधता का अभाव :** तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता न मिलने के कारण भारत जैसे देशों के लिए दीर्घकालिक समझौते या निवेश संरक्षण कठिन है।
- मानवाधिकार और लैंगिक असमानता :** महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक जीवन पर प्रतिबंध तालिबान शासन की अलोकतांत्रिक छवि को पुष्ट करते हैं, जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खाती।
- कूटनीतिक संतुलन का दबाव :** भारत को तालिबान के साथ संवाद करते हुए अमेरिका और पश्चिमी सहयोगियों के विरोध का सामना न करना पड़े, इसके लिए अत्यंत संतुलित नीति अपनानी होगी।
- व्यापार और संपर्क की सीमाएँ :** पाकिस्तान की भू-राजनीतिक बाधाएँ और अफगानिस्तान की कमजोर अवसंरचना व्यापार को सीमित करती हैं। चाबहार बंदरगाह इस स्थिति में महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरता है।
- पाकिस्तान का प्रभाव :** तालिबान और पाकिस्तान के गहरे संबंध भारत की रणनीतिक क्षमता को सीमित करते हैं। इस वजह से भारत की क्षेत्रीय पहुँच (Regional Outreach) प्रभावित होती है।
- भारतीय निवेश की अनिश्चितता :** भारत की 3 अरब डॉलर से अधिक की परियोजनाएँ—जैसे सड़कें, बांध, संसद भवन और अस्पताल—राजनीतिक अस्थिरता के कारण जोखिम में हैं।

भारत की नीति और दृष्टिकोण :

- सावधानीपूर्वक व्यावहारिक संलग्नता (Pragmatic & Cautious Engagement) :** भारत तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता दिए बिना अपनी रणनीतिक और सुरक्षा हितों की रक्षा कर रहा है।
- मानवीय सहायता :** भारत अब तक 50,000 टन गेहूँ, दवाइयों और COVID-19 टीके भेज चुका है। इससे भारत की छवि एक सहायता-प्रदाता राष्ट्र (Humanitarian Partner) के रूप में मजबूत हुई है।
- स्वास्थ्य और शिक्षा में सहयोग :** भारत अफगान छात्रों को ICCR छात्रवृत्तियाँ देता है और अफगान मरीजों के लिए मेडिकल वीजा की सुविधा जारी रखे हुए है।

- क्षेत्रीय संवादों में सक्रिय भागीदारी :** भारत “मॉस्को फॉर्मेट” और “शंघाई सहयोग संगठन (SCO)” जैसे मंचों पर अफगान शांति और स्थिरता की दिशा में योगदान दे रहा है।
- जनकेंद्रित दृष्टिकोण (People-centric Focus) :** भारत की नीति अफगान जनता के कल्याण पर केंद्रित है, जिससे न केवल सकारात्मक जनधारणा (Positive Perception) बनती है बल्कि दीर्घकालिक मित्रता भी सुदृढ़ होती है।

आगे की राह :

- संलग्नता का क्रमिक विस्तार :** भारत को मानवीय और आर्थिक सहायता बढ़ाते हुए राजनीतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। धीरे-धीरे “टेक्निकल मिशन” को “डिप्लोमैटिक मिशन” में बदला जा सकता है।
- क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना :** ईरान, रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद-रोधी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से संवाद :** भारत को यूएन-मध्यस्थित कूटनीति के तहत अफगान शासन को उत्तरदायित्व, मानवाधिकार और समावेशिता की दिशा में प्रेरित करना चाहिए।
- शर्त आधारित सामान्यीकरण (Conditional Normalization) :** तालिबान द्वारा महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, और समावेशी शासन को स्वीकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाने पर ही पूर्ण कूटनीतिक संबंध बहाल किए जाएँ।
- भारतीय परियोजनाओं की सुरक्षा :** भारत को अपनी परियोजनाओं—विशेषकर सलमा बांध और काबुल संसद भवन—की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तालिबान प्रशासन से संस्थागत गारंटी लेनी चाहिए।
- जनकेंद्रित योजनाओं पर बल :** स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके भारत लोक-आधारित कूटनीति (Public Diplomacy) को मजबूत कर सकता है।
- सुरक्षा जोखिमों की सतर्क निगरानी :** भारत को आतंकवादी गतिविधियों, मादक पदार्थ तस्करी और सीमा-पार नेटवर्क्स पर निरंतर निगरानी रखनी चाहिए।

निष्कर्ष :

- आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा दक्षिण एशिया में यथार्थवादी कूटनीति (Pragmatic Diplomacy) की जीत का प्रतीक है। यह इस बात की स्वीकृति है कि भू-राजनीति में, किसी देश की सरकार की विचारधारा के बावजूद, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए संचार के चैनल खुले रखना महत्वपूर्ण है।

भारत – ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध : रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए आयाम**खबरों में क्यों ?**

- यह यात्रा अफगानिस्तान के प्रति भारत के विकसित दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाती है—जो मानवीयता के प्रति प्रतिबद्ध, सुरक्षा के प्रति सतर्क, और व्यापारिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह दक्षिण एशिया में एक नए क्षेत्रीय क्रम की शुरुआत का संकेत है, जहाँ भू-राजनीतिक अनिवार्यताएँ वैचारिक असहमतियों पर भारी पड़ रही हैं। भारत के लिए, यह एक नाजुक संतुलनकारी कार्य है, लेकिन यह एक अपरिहार्य कार्य भी है जो उसके दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है।

- तालिबान के लिए यह यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता और आर्थिक सहयोग की दिशा में एक अवसर है। यदि अफगान शासन अंतरराष्ट्रीय मानदंडों, महिला अधिकारों और समावेशी शासन की दिशा में ठोस कदम उठाता है, तो भारत-अफगान संबंध भविष्य में फिर से साझा विकास और स्थिरता के स्तंभ बन सकते हैं।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।**प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :****Q. निम्नलिखित देशों पर विचार करें:**

- अज़रबैजान
- किर्गिस्तान
- ताजिकिस्तान
- तुर्कमेनिस्तान
- उज़्बेकिस्तान

उपरोक्त में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है?

- | | |
|-------------------|----------------------|
| A. केवल 1, 2 और 5 | B. केवल 1, 2, 3 और 4 |
| C. केवल 3, 4 और 5 | D. 1, 2, 3, 4 और 5 |

उत्तर - C**मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

- “अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह यात्रा भारत की अफगानिस्तान नीति और दक्षिण एशिया में बदलते क्षेत्रीय समीकरणों को किस प्रकार दर्शाती है?”

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

- **भारत-यूके व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) :** जुलाई 2025 में संपन्न व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) को दोनों देशों ने "ऐतिहासिक मील का पत्थर" बताया। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार बाधाओं को घटाने, निवेश को सुगम बनाने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्य बिंदु :

- भारत ने ब्रिटिश वस्तुओं पर औसत टैरिफ 15% से घटाकर 3% कर दिया।
- कस्टम प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाया गया।
- डिजिटल व्यापार के लिए विशेष प्लेटफॉर्म और समर्थन चैनल शुरू किए गए ताकि MSMEs को लाभ मिल सके।

क्षेत्रीय लाभ :

- ह्विस्की पर आयात शुल्क 150% से घटाकर तुरंत 75% किया गया, जो अगले 10 वर्षों में 40% तक कम होगा।
- सॉफ्ट ड्रिंक, कॉस्मेटिक, ऑटोमोबाइल और मेडिकल उपकरण क्षेत्रों में बाजार पहुंच आसान होगी।
- छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs) को डिजिटल व्यापार और निर्यात चैनलों से नई गति मिलेगी।

आर्थिक प्रभाव :

- ब्रिटेन की GDP में £4.8 बिलियन प्रति वर्ष की वृद्धि का अनुमान।
- भारत को निर्यात में 60% की वृद्धि होने की संभावना।
- ब्रिटेन में £2.2 बिलियन अतिरिक्त वेतन और नई नौकरियों के अवसर उत्पन्न होंगे।
- भारत में भी निवेश और रोजगार सृजन के नए अवसर बनेंगे, विशेषकर विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में।

रक्षा और रणनीतिक सहयोग :

- **वायु रक्षा क्षमता को बढ़ावा :** £350 मिलियन का मिसाइल सौदा भारत की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करेगा।
- **समुद्री सुरक्षा सहयोग (Maritime Security Cooperation)** के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी और संयुक्त अभ्यासों को बढ़ावा मिलेगा।
- **रक्षा अनुसंधान और सह-उत्पादन (Co-production)** के लिए संयुक्त परियोजनाओं पर सहमति बनी।
- **संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और सैन्य शिक्षा साझेदारी :** दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और सैन्य शिक्षा साझेदारी को भी सुदृढ़ किया गया।

- **दिल्ली-लंदन के बीच तीसरी दैनिक उड़ान शुरू करने की घोषणा :** व्यापार के साथ-साथ दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है और इसके साथ ही साथ , British Airways ने 2026 तक दिल्ली-लंदन के बीच तीसरी दैनिक उड़ान शुरू करने की घोषणा की, जिससे व्यापार और पर्यटन संबंध और गहरे होंगे।

भारत - ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने के संदर्भ में शीर्ष नेतृत्व के मुख्य वक्तव्य:

- **प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा —** “ यह व्यापार समझौता विकास का लॉन्चपैड है। भारत हमारे लिए न केवल एक आर्थिक साझेदार है, बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी भी है जो वैश्विक संतुलन में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।”
- **ब्रिटिश व्यापार सचिव पीटर काइल ने कहा —** “यह समझौता ब्रिटिश व्यवसायों को भारत के तेजी से बढ़ते बाजार तक प्राथमिक पहुंच प्रदान करेगा।”
- **भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि -** “ यह साझेदारी भारत-यूके रोडमैप 2030 को साकार करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।”

भारत के लिए ब्रिटेन का महत्व :

- **रणनीतिक साझेदार :** ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (P5) और G7 दोनों का सदस्य है। यह भारत की वैश्विक आकांक्षाओं और बहुपक्षीय कूटनीति में सहयोग करता है।
- **निवेश और व्यापार केंद्र :** ब्रिटेन भारत में वित्तीय सेवाएँ, हरित ऊर्जा, फिनटेक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अग्रणी निवेशक है।
- **अनुसंधान और तकनीकी / प्रौद्योगिकी सहयोग :** ब्रिटिश विश्वविद्यालयों और भारत के संस्थानों के बीच संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ औषधि, जैव-प्रौद्योगिकी और AI क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावशाली रही हैं।
- **शिक्षा और रोजगार के अवसर :** ब्रिटेन भारतीय छात्रों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। साथ ही, भारतीय पेशेवर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में आईटी, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
- **यूरोप और वैश्विक वित्त का द्वार :** ब्रेक्सिट के बाद भी लंदन वैश्विक वित्तीय केंद्र बना हुआ है, जो भारतीय कंपनियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश का मार्ग प्रदान करता है।

ब्रिटेन के लिए भारत का महत्व :

- **आर्थिक विकास साझेदार :** भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह ब्रिटेन के लिए निवेश, व्यापार और सेवा क्षेत्र में विशाल अवसर प्रदान करता है।

- **इंडो-पैसिफिक रणनीतिक सहयोगी :** भारत की भौगोलिक और सामरिक स्थिति ब्रिटेन के इंडो-पैसिफिक क्षेत्रीय हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों देश क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और मुक्त नौवहन (Free Navigation) को सुनिश्चित करने में सहयोगी हैं।
- **तकनीकी नवाचार का केंद्र :** भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप पारिस्थितिकी ब्रिटेन की नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था को पूरक करती है।
- **कुशल मानव संसाधन :** भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और वित्तीय विशेषज्ञ ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की श्रम कमी को पूरा कर रहे हैं।
- **सांस्कृतिक और प्रवासी सेतु :** यूके में लगभग 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं।

समाधान / आगे की राह :



1. **भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और व्यापार विविधीकरण :** दोनों पक्षों को भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (FTA) वार्ता को शीघ्रता से अंतिम रूप देना चाहिए, विशेष रूप से सेवाओं और निवेश संरक्षण जैसे शेष विवादास्पद मुद्दों को हल करके, व्यापार को पारंपरिक क्षेत्रों से परे ग्रीन एनर्जी, स्वास्थ्य सेवा, और फिनटेक जैसे उभरते क्षेत्रों में विविधता प्रदान करनी चाहिए।
2. **रक्षा और सुरक्षा साझेदारी का गहराव :** रक्षा सहयोग को केवल खरीद-बिक्री तक सीमित न रखकर संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D), सह-उत्पादन (Co-production), और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके साथ ही दोनों देशों को समुद्री सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
3. **उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग का विस्तार :** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त नवाचार निधि (Joint Innovation Funds) स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) में भारत के अनुभव का लाभ उठाना और इसे यूके के साथ साझा करना चाहिए।

4. **जलवायु और ऊर्जा सहयोग :** जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देना और दोनों ही देशों को जलवायु वित्त जुटाने के लिए वैश्विक मंचों पर सहयोग करना चाहिए।
5. **लोगों से लोगों के बीच संपर्क को आसान बनाना :** वीजा और आप्रवासन नीतियों को लचीला बनाना, ताकि छात्रों, शोधकर्ताओं और कुशल पेशेवरों की आवाजाही आसान हो सके। यंग प्रोफेशनल्स स्कीम के दायरे और कोटे का विस्तार करना चाहिए। इसके साथ ही सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रवासी भारतीयों के साथ रचनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना चाहिए।
6. **राजनीतिक संवाद को मजबूत करना :** उच्च-स्तरीय राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद को नियमित बनाना ताकि संवेदनशीलता और विवाद के मुद्दों (जैसे खालिस्तानी अतिवाद) को विश्वास और पारदर्शिता के माहौल में संबोधित किया जा सके।
7. **इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक साझेदारी को मजबूत करना :** इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक साझेदारी को और मजबूत बनाना, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निष्कर्ष :



1. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की 2025 की भारत यात्रा भारत-ब्रिटेन संबंधों में एक नए और रणनीतिक युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों को वार्ता से क्रियान्वयन (Negotiation to Action) की दिशा में ठोस रूप से आगे बढ़ाया है।
2. व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते (CETA) ने जहां व्यापारिक संबंधों को नई गहराई दी है, वहीं रक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग ने इस साझेदारी को बहुआयामी और दीर्घकालिक बनाया है।
3. भारत-ब्रिटेन संबंध अब केवल पारंपरिक कूटनीति तक सीमित न रहकर आर्थिक विकास, नवाचार, जलवायु उत्तरदायित्व और वैश्विक स्थिरता पर आधारित एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हो रहे हैं।

4. “India-UK Roadmap 2030” के अंतर्गत दोनों लोकतंत्र अब एक ऐसे भविष्य की ओर अग्रसर हैं, जो आपसी समृद्धि, तकनीकी प्रगति और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगा।

5. अंततः, यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देती है, बल्कि 21वीं सदी के लिए एक आधुनिक, विकासोन्मुख और टिकाऊ वैश्विक साझेदारी की आधारशिला रखती है, जो दोनों देशों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को भी अधिक संतुलित और सहयोगपूर्ण बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत-यूके संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. भारत और ब्रिटेन व्यापार बढ़ाने हेतु एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता कर रहे हैं।
2. यूके-इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (TSI) कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है।
3. भारत-यूके “यंग प्रोफेशनल्स स्कीम” बिना किसी प्रतिबंध के श्रमिकों की स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति देती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- A. केवल एक
- B. केवल दो
- C. सभी तीन।
- D. इनमें से कोई नहीं।

उत्तर - B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. “ व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग के संदर्भ में भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। इसके साथ ही, भारत-ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और बताइए कि दोनों देश आपसी सहयोग को और अधिक सशक्त एवं परिणामोन्मुख कैसे बना सकते हैं?”

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

इजराइल - हमास शांति समझौता : गाज़ा में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की नई उम्मीद

खबरों में क्यों ?



- इजराइल और हमास के बीच हाल ही में हुआ शांति समझौता मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक कदम माना जा रहा है। यह समझौता गाज़ा पट्टी में महीनों तक चली भीषण लड़ाई, मानवीय संकट और व्यापक विनाश के बाद सामने आया है। इसके तहत अस्थायी संघर्षविराम, बंधक-कैदी विनिमय, और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति जैसे प्रावधान शामिल हैं, जो क्षेत्र में स्थिरता और पुनर्निर्माण की दिशा में आशा की नई किरण हैं।
- इस कूटनीतिक पहल को बल देने के लिए यूनाइटेड किंगडम (संयुक्त राजशाही) ने गाज़ा के पुनर्निर्माण और पुनर्वास पर एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है।
- यह सम्मेलन मिस्र के शर्म-अल-शेख में होने वाले बहु-देशीय शांति सम्मेलन से पहले आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सहित कई वैश्विक नेता भाग ले रहे हैं।
- ब्रिटेन ने गाज़ा में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) सेवाओं के लिए 20 मिलियन पाउंड की सहायता राशि की घोषणा की है, जिसे UNICEF, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल (NRC) जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
- यह समझौता केवल युद्धविराम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवीय संवेदना की पुनर्स्थापना का प्रतीक है।
- इसका उद्देश्य गाज़ा में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और राजनीतिक स्थिरता की दिशा में ठोस नींव रखना है। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इजराइल और हमास के बीच गहरे अविश्वास, राजनीतिक मतभेद और प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे जटिल मुद्दों को किस प्रकार सुलझाया जाता है।

संघर्ष की पृष्ठभूमि :

- 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए व्यापक हमलों के बाद इजराइल-हमास युद्ध शुरू हुआ। इस हमले में सैकड़ों निर्दोष नागरिक मारे गए, जिसके बाद इजराइल ने गाज़ा पर सैन्य अभियान शुरू किया।
- लगातार बमबारी, नाकेबंदी और सैन्य अभियानों के कारण गाज़ा का अधिकांश बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया और लाखों नागरिक विस्थापित हुए।
- पिछले दो वर्षों में मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के बावजूद कोई स्थायी युद्धविराम नहीं हो सका। प्रमुख अड़चनें — बंधक विनिमय, सीमा नियंत्रण और गाज़ा में राजनीतिक प्रशासन — रहीं, जिन्हें लेकर सहमति नहीं बन पाई थी।

शांति योजना के प्रमुख बिंदु :

- **युद्धविराम** : इजराइल और हमास के बीच अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई है, ताकि मानवीय सहायता पहुँचाने और आगे की बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके।
- **बंधक-कैदी विनिमय** : हमास 20 जीवित इजराइली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले इजराइल 2,000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जिनमें 250 आजीवन कारावास पाए हुए कैदी और 1,700 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति शामिल हैं। यह विनिमय समझौते के लागू होने के 72 घंटों के भीतर सम्पन्न होगा।
- **मानवीय सहायता की पहुँच** : युद्धविराम के तहत गाज़ा में खाद्य, जल, चिकित्सा और राहत सामग्री की आपूर्ति को अनुमति दी जाएगी। यह सहायता अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों — WFP, UNICEF और NRC — के माध्यम से पहुँचाई जाएगी।
- **एक बहु-चरणीय शांति प्रक्रिया का प्रारंभिक भाग** : यह समझौता एक बहु-चरणीय शांति प्रक्रिया का प्रारंभिक भाग है। इसके आगामी चरणों में गाज़ा के पुनर्निर्माण, शासन सुधारों और दीर्घकालिक क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और प्रमुख देशों की भूमिका :

- इस समझौते को सफल बनाने में अमेरिका, मिस्र, कतर और ब्रिटेन की सक्रिय भूमिका रही।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इसे “स्थायी शांति की दिशा में निर्णायक कदम” बताया।
- मिस्र ने शर्म-अल-शेख में तैयारियाँ कीं, जहाँ 20 से अधिक देशों के नेता — जिनमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर भी शामिल थे — गाज़ा की पुनर्बहाली और राजनीतिक समाधान पर विचार-विमर्श के लिए एकत्र हुए।

• यूनाइटेड किंगडम ने वेस्ट ससेक्स में एक अलग गाज़ा रिकवरी शिखर सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की, जिससे युद्धग्रस्त क्षेत्र के पुनर्निर्माण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता दोहराई गई।

ब्रिटेन की मानवीय और पुनर्निर्माण सहायता :

- ब्रिटिश सरकार ने गाज़ा के लिए £20 मिलियन की सहायता राशि निर्धारित की है, जो विशेष रूप से जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) परियोजनाओं पर केंद्रित होगी।
- इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की एजेंसी “Wilton Park” एक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण, सऊदी अरब, जॉर्डन, जर्मनी, इटली, और विश्व बैंक तथा यूरोपीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (EBRD) जैसी संस्थाएँ भाग लेंगी।
- इस सम्मेलन का उद्देश्य गाज़ा के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण और निवेश रणनीतियों पर समन्वय बनाना है।

वर्तमान समय में समझौते का महत्व :

- **मानवीय राहत** : युद्धविराम के माध्यम से लाखों गाज़ावासियों तक राहत सामग्री और स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँच सकेंगी, जो वर्षों से नाकेबंदी और संघर्ष की त्रासदी झेल रहे हैं। यह कदम गाज़ा की मानवीय स्थिति में तत्काल सुधार लाने का प्रयास है।
- **विश्वास निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक कदम** : बंधक और कैदी विनिमय दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। यह प्रक्रिया आगे की स्थायी शांति वार्ताओं के लिए अनुकूल माहौल बनाएगी।
- **एक ठोस और व्यावहारिक समाधान के रूप में कूटनीतिक उपलब्धि** : पिछले महीनों में कई बार युद्धविराम के प्रयास विफल रहे, किंतु यह समझौता पहली बार एक ठोस और व्यावहारिक समाधान के रूप में सामने आया है। इससे क्षेत्रीय राजनीति में कूटनीतिक गतिशीलता आई है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित करना** : गाज़ा में संघर्षविराम का असर केवल इजराइल-फ़िलिस्तीन पर नहीं, बल्कि लेबनान, सीरिया, और लाल सागर क्षेत्र पर भी पड़ेगा, जहाँ युद्ध के फैलाव की आशंका बनी हुई थी। इस शांति से क्षेत्रीय तनावों में कमी आएगी।

समझौते का व्यापक प्रभाव :

- यह समझौता न केवल गाज़ा में बल्कि व्यापक मध्य-पूर्वी भू-राजनीति पर भी असर डालेगा। यदि यह स्थायी शांति में बदलता है, तो यह अब्राहम समझौते जैसे अन्य क्षेत्रीय गठबंधनों को नई दिशा देगा।
- इसके अलावा, यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह प्रमाणित करेगा कि कूटनीति और वार्ता अब भी हिंसा और आतंकवाद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

स्थायी शांति की राह में मुख्य आगामी चुनौतियाँ :

1. **नाजुक भरोसा का होना** : इजराइल और हमास दोनों ही पक्षों के बीच दशकों से चली आ रही अविश्वास की भावना इस समझौते की स्थिरता को प्रभावित कर सकती है। छोटी सी उकसावे की घटना भी युद्धविराम को तोड़ सकती है।
2. **आंतरिक राजनीतिक दबाव** : इजराइल और हमास दोनों के भीतर कठोर विचारधारात्मक समूह हैं जो किसी भी समझौते को “कमज़ोरी” मानते हैं। राजनीतिक नेतृत्व को अपने-अपने घरेलू दबावों का सामना करना पड़ेगा।
3. **शासन में हमास की भूमिका का विवाद** : ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों ने गाज़ा के प्रशासन में “हमास की कोई भूमिका नहीं” की नीति अपनाई है। परंतु गाज़ा की जमीनी हकीकत में हमास की उपस्थिति को नज़रअंदाज़ करना प्रशासनिक जटिलताएँ उत्पन्न कर सकता है।
4. **वित्तीय पारदर्शिता और पुनर्निर्माण** : गाज़ा का पुनर्निर्माण एक दीर्घकालिक और महंगा कार्य होगा, जिसके लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय विश्वास आवश्यक है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता इस प्रक्रिया में बाधक बन सकती हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. **फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका को सशक्त बनाने की आवश्यकता** : गाज़ा के प्रशासन और पुनर्निर्माण में फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (PA) की भागीदारी को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि एक स्थायी और वैध शासन प्रणाली विकसित हो सके।
2. **मानवीय सहायता की निरंतरता सुनिश्चित करना** : अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि सहायता की आपूर्ति राजनीतिक अवरोधों से मुक्त रहे और नागरिकों तक सीधे पहुँचे।
3. **समावेशी संवाद को बढ़ावा देने की जरूरत** : शांति प्रक्रिया केवल इजराइल और हमास तक सीमित न रहकर व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों — मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ — को शामिल करे।
4. **निगरानी और अनुपालन व्यवस्था की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाए जाने की जरूरत** : युद्धविराम के पालन, राहत वितरण और पुनर्निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय तंत्र बनाया जाना चाहिए।
5. **दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता** : अंतराष्ट्रीय समुदाय को गाज़ा संघर्ष के समाधान को व्यापक इजरायल-फिलिस्तीनी शांति प्रक्रिया से जोड़ना होगा, जिसमें अंततः एक दो-राज्य समाधान की दिशा में काम करना शामिल है।

निष्कर्ष :

1. इजराइल-हमास शांति समझौता आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल और रक्तंजित संघर्षों में से एक को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और निर्णायक अवसर प्रस्तुत करता है। यह केवल हथियारों की खामोशी नहीं, बल्कि कूटनीति की पुनर्स्थापना, मानवीय करुणा की विजय और साझा वैश्विक उत्तरदायित्व का प्रतीक है।
2. इस शांति समझौता की इस राह में अविश्वास, राजनीतिक मतभेद और पुनर्निर्माण की चुनौतियाँ गंभीर हैं, फिर भी यह पहल उस सामूहिक इच्छा का परिचायक है कि दुनिया अब हिंसा के चक्र को समाप्त कर स्थायी शांति की ओर बढ़ना चाहती है।
3. अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र और क़तर जैसे देशों की मध्यस्थता इस तथ्य को पुष्ट करती है कि यदि अंतरराष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर कार्य करे, तो गाज़ा जैसी त्रासदी भी पुनर्निर्माण और स्थिरता की भूमि बन सकती है। गाज़ा के लाखों पीड़ितों के लिए यह समझौता केवल एक राजनीतिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि जीवन, गरिमा और भविष्य की नई आशा है।
4. इजराइल-हमास शांति समझौता में हालाँकि स्थायी शांति का मार्ग अभी लंबा और कठिन है, परंतु यह क्षण एक नई शुरुआत का प्रतीक है — एक ऐसा समय जब संवाद, सहयोग और संवेदना के माध्यम से विनाश पर मानवता की विजय संभव है।
5. यदि सभी पक्ष धैर्य, विश्वास और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें, तो यह समझौता न केवल गाज़ा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व को स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर कर सकता है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।**प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

Q. गाज़ा में हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यूनाइटेड किंगडम वेस्ट ससेक्स में गाज़ा के पुनर्निर्माण पर एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।
2. शांति योजना के पहले चरण में एक अस्थायी युद्धविराम और इजराइल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों का आदान-प्रदान शामिल है।
3. गाज़ा के लिए यूनाइटेड किंगडम की सहायता यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम और नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद जैसी एजेंसियों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

नीचे दिए गए में से कौन- सा / से कथन सही हैं?

(a) 1 और 2 ही

(b) 2 और 3 ही

(c) 1 और 3 ही

(d) 1, 2 और 3

उत्तर - (d)**मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**

Q. “ इजराइल-हमास शांति समझौता आधुनिक युग के सबसे दीर्घकालिक संघर्षों में से एक को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ” इस कथन के संदर्भ में इस समझौते के महत्व, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की भूमिका तथा आगामी चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान**समाचार में क्यों?****मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत:**

भारत नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो वैश्विक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपनी अग्रणी भूमिका की पुष्टि करता है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक वैश्विक पहल है।
- शांति सेना, जिन्हें अक्सर "ब्लू हेलमेट" कहा जाता है, में सैन्य, पुलिस और नागरिक कर्मी शामिल होते हैं जो युद्धविराम की निगरानी, नागरिकों की सुरक्षा, लड़ाकों को निरस्त्र करने, चुनावों में सहायता और संस्थाओं के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं।
- ये अभियान सुरक्षा परिषद द्वारा निर्देशित होते हैं और संघर्ष से शांति की ओर बढ़ रहे देशों की सहायता के लिए बनाए गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की सफलता की कहानियाँ

1. **नामीबिया (UNTAG, 1989-1990)** : देश की स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्ण संक्रमण को सुगम बनाया और स्वतंत्र चुनाव आयोजित किए।
2. **मोज़ाम्बिक (ONUMOZ, 1992-1994)** : गृहयुद्ध की समाप्ति, निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण चुनावों की देखरेख की।
3. **सिएरा लियोन (UNAMSIL, 1999-2005)** : 75,000 से अधिक लड़ाकों को निरस्त्र किया गया तथा लोकतांत्रिक शासन बहाल किया गया।
4. **लाइबेरिया (यूएनएमआईएल, 2003-2018)** : राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित की, चुनाव कराए और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण में सहयोग दिया।
5. **कोटे डी आइवर (यूएनओसीआई, 2004-2017)** : वर्षों के गृहयुद्ध के बाद सुलह, चुनाव और सुरक्षा क्षेत्र में सुधार को सुगम बनाया।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की भूमिका: पाँच प्रमुख अभियान

1. **कांगो (ओएनयूसी, 1960-1964)** : भारत के सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक, राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शांति बनाए रखना।

2. **सोमालिया (यूएनओएसओएम, 1993-1994)** : हिंसक अशांति के बीच मानवीय राहत और स्थानीय सुरक्षा बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

3. **लाइबेरिया (यूएनएमआईएल, 2007-2018)** : स्थानीय समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए पहली महिला पुलिस इकाई तैनात की गई।

4. **दक्षिण सूडान (UNMISS, 2011)** : नागरिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पैदल सेना इकाइयां प्रदान की गईं।

5. **कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (MONUSCO, 1999)** : भारतीय सैनिकों ने क्षेत्र को स्थिर करने और कमजोर आबादी की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत की भागीदारी

मिशन का नाम	स्थान	वर्ष	भारत का योगदान
मध्य अफ्रीकी गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन (MINUSCA)	केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य	2014-वर्तमान	गठित पुलिस इकाइयाँ (FPUs) और सैन्य पर्यवेक्षक
दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMISS)	दक्षिण सूडान	2012-वर्तमान	पैदल सेना बटालियन, चिकित्सा कर्मी, इंजीनियरिंग इकाइयाँ
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन (MONUSCO)	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	2010-वर्तमान	पैदल सेना बटालियन, चिकित्सा इकाइयाँ, सहायक कर्मचारी
गोलान हाइट्स में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNDOF)	गोलान हाइट्स	2006-वर्तमान	रसद सुरक्षा हेतु रसद बटालियन (188 कर्मी)
सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन (UNMIS/UNMISS)	सूडान / दक्षिण सूडान	2005-वर्तमान	बटालियन समूह, इंजीनियर कंपनी, सिग्रल कंपनी, अस्पताल, MILOBs और स्टाफ अधिकारी
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन मिशन (MONUC/MONUSCO)	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	2005-वर्तमान	इन्फैंट्री ब्रिगेड समूह (तीन बटालियन), अस्पताल, MILOBs, स्टाफ अधिकारी और दो एफपीयू
लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL)	लेबनान	1998-वर्तमान	पैदल सेना बटालियन समूह (762 कार्मिक और 18 स्टाफ अधिकारी)

समितियों और आयोगों द्वारा सुझाव

- यथार्थवादी और केंद्रित अधिदेश परिभाषित करें : मिशनों को स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के साथ संरचित करें।
- पर्याप्त वित्तपोषण और रसद सुनिश्चित करें : विश्वसनीय और समय पर संसाधन आवंटन आवश्यक है।
- जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना : व्यावसायिक अनुशासन लागू करें और कदाचार का निर्णायक ढंग से समाधान करें।
- स्थानीय स्वामित्व को बढ़ावा देना : स्थायी शांति स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं को एकीकृत करें।
- प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता बढ़ाना : उभरती चुनौतियों के लिए शांति सेना का आधुनिकीकरण करना।

6. **क्षेत्रीय संगठनों के साथ समन्वय में सुधार** : प्रभावी तैनाती के लिए अफ्रीकी संघ, यूरोपीय संघ और क्षेत्रीय ब्लॉकों के साथ साझेदारी को मजबूत करना।

निष्कर्ष :

- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य साधन बनी हुई है।
- परिचालन, वित्तीय और नैतिक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, यह जीवन बचाती और मेल-मिलाप को बढ़ावा देती रही है।
- जवाबदेही, जवाबदेही और सहयोग में सुधार लाने वाले सुधारों को एकीकृत करके इसकी वैधता को मजबूत किया जा सकता है।

4. भारत का दृढ़ योगदान और नेतृत्व वैश्विक शांति के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

5. सामूहिक प्रयासों को मजबूत करने से यह सुनिश्चित होगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में आशा की किरण बनी रहे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की भागीदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले प्रथम देशों में से एक था।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना तहत लाइबेरिया में दुनिया की पहली पूरी तरह से महिला पुलिस यूनिट तैनात की।
- भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में कोई कर्मचारी नहीं भेजता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों (United Nations Peacekeeping Operations) में भारत की भूमिका और योगदान का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, वैश्विक शांति स्थापना प्रयासों को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक चुनौतियों और सुधारात्मक उपायों पर प्रकाश डालिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत – आसियान द्विपक्षीय संबंध

समाचार में क्यों?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 2025) में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे, क्योंकि उन्होंने मलेशिया की यात्रा न करने का निर्णय दीपावली के त्योहारों के कारण लिया है।

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि "आसियान भारत की एक ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है।"



- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन (अक्टूबर 2025) में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे, क्योंकि उन्होंने मलेशिया की यात्रा न करने का निर्णय दीपावली के त्योहारों के कारण लिया है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि "आसियान भारत की एक ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है।"

भारत-आसियान संबंधों का विकास

चरण	अवधि	प्रमुख विशेषताएँ / हाइलाइट्स
प्रारंभिक जुड़ाव	1967-1990 के दशक	शीत युद्ध की राजनीति के कारण सीमित संपर्क; भारत की आंतरिक आर्थिक नीतियाँ और आसियान का पश्चिमी झुकाव संबंधों में दूरी का कारण बना।
"पूर्व की ओर देखो" नीति	1992 के बाद	भारत आसियान का एक क्षेत्रीय संवाद भागीदार (1992), पूर्ण संवाद साथी (1995) और शिखर-स्तरीय भागीदार (2002) बना।
रणनीतिक गहनता का चरण	2010-2017	2012 में वार्ता साझेदारी के 20 वर्ष और शिखर साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने पर भारत-आसियान रणनीतिक साझेदारी की स्थापना।
"एक्ट ईस्ट" नीति युग	2014-वर्तमान	नीति का फोकस "Look East" से "Act East" की ओर स्थानांतरित; कनेक्टिविटी, वाणिज्य, संस्कृति, क्षमता निर्माण और भारत-प्रशांत सहयोग पर बल दिया गया।

भारत के लिए आसियान का महत्व :**1. पूर्वी एशिया का आर्थिक प्रवेशद्वार :**

- आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
- भारत-आसियान व्यापार 131.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24) रहा, जो भारत के कुल व्यापार का लगभग 11% है।
- निवेश प्रवाह: भारत में एफडीआई प्रवाह में आसियान का लगभग 18% योगदान होगा (2023)।

2. सामरिक एवं भू-राजनीतिक महत्व:

- आसियान हिंद-प्रशांत के केंद्र में स्थित है, जो हिंद और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है - जो भारत की समुद्री रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है।
- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, एडीएमएम+ और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) जैसे मंच भारत की रणनीतिक पहुंच को सक्षम बनाते हैं।
- दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता के विरुद्ध स्वतंत्र, खुली और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था बनाए रखने का साझा लक्ष्य।

3. संपर्क एवं सांस्कृतिक संबंध परियोजनाएँ:

- भारत-म्यांमार-थाईलैंड (आईएमटी) त्रिपक्षीय राजमार्ग (कंबोडिया, लाओस, वियतनाम तक विस्तारित किया जाएगा)।
- कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत के पूर्वोत्तर को म्यांमार बंदरगाहों से जोड़ती है।
- सांस्कृतिक कूटनीति बौद्ध धर्म, रामायण और प्राचीन समुद्री व्यापार मजबूत सभ्यतागत संबंध बनाते हैं।

4. लोगों से लोगों का संपर्क:

- पर्यटन - भारत और आसियान के बीच प्रतिवर्ष 2 मिलियन से अधिक लोग यात्रा करते हैं।
- आसियान- भारत थिंक टैंक नेटवर्क, आसियान-भारत छात्र विनिमय कार्यक्रम आदि के माध्यम से शिक्षा और कौशल का आदान-प्रदान।

मुद्दे और चुनौतियाँ :

- व्यापार असंतुलन** – भारत को आसियान के साथ लगभग 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आयात-भारी व्यापार, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी में, के कारण ऐसा हो रहा है।

- कनेक्टिविटी में देरी** – म्यांमार में वित्तपोषण, भूमि अधिग्रहण और उग्रवाद के मुद्दों के कारण आईएमटी राजमार्ग और कलादान परियोजना का धीमा कार्यान्वयन।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में सीमित एकीकरण** – आरसीईपी (2020) से भारत के बाहर निकलने से क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं तक उसकी पहुंच सीमित हो गई है। चीन और जापान (आसियान प्लस थ्री) के साथ आसियान का गहरा आर्थिक एकीकरण भारत की भूमिका को सीमित कर रहा है।
- समुद्री और सुरक्षा जटिलताएँ** – दक्षिण चीन सागर तनाव और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के प्रति आसियान की अलग-अलग प्रतिक्रियाओं के कारण भारत के लिए एकीकृत आसियान रुख अपनाना कठिन हो गया है।
- क्षेत्र में राजनीतिक परिवर्तन** – म्यांमार की अस्थिरता और आसियान के भीतर अलग-अलग राजनीतिक व्यवस्थाएं लगातार जुड़ाव में बाधा डालती हैं।

समाधान / आगे की राह :**1. व्यापार संबंधों को पुनः संतुलित करना**

- टैरिफ बाधाओं को दूर करने और निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एआईएफटीए) की समीक्षा करना।
- भारतीय एमएसएमई को आसियान के विनिर्माण नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना।

2. कनेक्टिविटी कॉरिडोर में तेजी लाना

- आईएमटी राजमार्ग का तेजी से पूरा होना तथा पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए कलादान परियोजना का संचालन।
- फिनटेक, साइबर सुरक्षा और ई-कॉमर्स साझेदारी के माध्यम से डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करना।

3. रणनीतिक सहयोग बढ़ाना

- इंडो-पैसिफिक (एओआईपी) पर आसियान आउटलुक के तहत संयुक्त समुद्री गश्त, खुफिया जानकारी साझा करने और नीती अर्थव्यवस्था पहल को मजबूत करना।
- तालमेल सुनिश्चित करने के लिए भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (आईपीओआई) को एओआईपी के साथ संरेखित करना।

4. सांस्कृतिक और शैक्षणिक कूटनीति को बढ़ावा देना

- बौद्ध विरासत मार्गों पर प्रकाश डालते हुए एक आसियान-भारत सांस्कृतिक गलियारा स्थापित करना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**Q. भारत-आसियान संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. भारत 1995 में आसियान का पूर्ण वार्ता साझेदार बन गया।
2. भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर को सिंगापुर से जोड़ना है।
3. आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (एआईएफटीए) पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**Q. भारत की एकट ईस्ट नीति के संदर्भ में भारत-आसियान संबंधों के विकास और महत्व पर चर्चा करें।**

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

- सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकियों पर छात्र आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना।

5. वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग करें

- जलवायु कार्रवाई, महामारी की तैयारी, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और एआई नैतिकता सहयोग के नए स्तंभ बन सकते हैं।

निष्कर्ष :

1. भारत-आसियान संबंध आर्थिक व्यावहारिकता से विकसित होकर रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं—जो शांति, समृद्धि और समावेशिता के साझा मूल्यों पर आधारित है।
2. चूँकि आसियान एकीकरण के पाँच दशकों से अधिक का जश्न मना रहा है और भारत जुड़ाव के तीन दशक पूरे कर रहा है, इसलिए इस रिश्ते को "संवाद" से "कार्यान्वयन" की ओर बढ़ना होगा।
3. कनेक्टिविटी को मजबूत करके, व्यापार को पुनः संतुलित करके तथा हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को संरेखित करके, भारत और आसियान मिलकर एक बहुध्रुवीय, नियम-आधारित एशियाई व्यवस्था को आकार दे सकते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्र के लिए विकास और स्थिरता सुनिश्चित करेगी।



भारत का समुद्री पुनर्जागरण : 'नीली अर्थव्यवस्था' के माध्यम से वैश्विक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़, पुनर्जीवित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जिस ₹69,725 करोड़ के ऐतिहासिक और व्यापक पैकेज को मंजूरी दी गई है, उसने देश के आर्थिक और रणनीतिक परिदृश्य में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया है।
- यह पहल न केवल भारत की "ब्लू इकोनॉमी" (नीली अर्थव्यवस्था) को एक अभूतपूर्व गति प्रदान करेगी, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय और अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भी कार्य करेगी।
- यह पैकेज, अपनी व्यापकता और महत्वाकांक्षा में बेजोड़ है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय समुद्री क्षेत्र में व्याप्त संरचनात्मक कमियों को दूर करना और उसे विश्व के अग्रणी समुद्री राष्ट्रों के समकक्ष लाना है।



पैकेज की मुख्य विशेषताएं और वित्तीय रूपरेखा :

केंद्र सरकार द्वारा घोषित इस बहुआयामी पैकेज की वित्तीय संरचना को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है, जो जहाज निर्माण

उद्योग को वित्तीय समर्थन, समुद्री विकास हेतु पूंजीगत निवेश और घरेलू क्षमता के विस्तार पर केंद्रित हैं:

जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) का विस्तार :

- इस योजना को वर्ष 2036 तक विस्तारित किया गया है।
- इसके लिए ₹24,736 करोड़ की एक महत्वपूर्ण कोष राशि आवंटित की गई है।
- उद्देश्य:** यह वित्तीय सहायता घरेलू शिपयार्ड्स को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए लागत संबंधी अंतर को पाटने (Cost Parity) और अत्याधुनिक जहाज निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय शिपयार्ड्स को अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त करने में मदद मिले।

समुद्री विकास कोष (MDF) और समुद्री निवेश कोष (MIF) की स्थापना :

- समुद्री विकास कोष (MDF) :** इसमें ₹25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य समग्र समुद्री अवसंरचना के विकास और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।
- समुद्री निवेश कोष (MIF) :** MDF का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ₹20,000 करोड़ के इस कोष में निहित है, जो बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह कोष आधुनिक बंदरगाह सुविधाओं, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और हरित समुद्री प्रौद्योगिकियों में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को आकर्षित करेगा।

जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) : क्षमता विस्तार पर बल :

- इस योजना को ₹19,989 करोड़ की राशि के साथ प्रारंभ किया गया है।
- रणनीतिक लक्ष्य :** इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को मौजूदा स्थिति से बढ़ाकर 4.5 मिलियन ग्रांस् टन (GT) के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचाना है। यह क्षमता विस्तार भारत को वैश्विक जहाज निर्माण मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाएगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था में 'ट्रिपल-ए' आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव :

इस व्यापक पहल के दूरगामी आर्थिक और सामाजिक लाभों को 'ट्रिपल-ए' (रोजगार, निवेश और आत्मनिर्भरता) फ्रेमवर्क के तहत समझा जा सकता है:

- रोजगार सृजन और सामाजिक उत्थान :** इस पैकेज का सबसे महत्वपूर्ण और तत्काल प्रभाव रोजगार के मोर्चे पर दिखाई देगा। यह अनुमान लगाया गया है कि इन पहलों के कारण 30 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह न केवल शिपयार्ड्स और बंदरगाहों पर सीधे रोजगार प्रदान करेगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स, समुद्री प्रशिक्षण, मरम्मत, इंजीनियरिंग और संबंधित सहायक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में भी नौकरियों का विस्तार करेगा, जिससे तटीय समुदायों की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।
- निवेश आकर्षण और आर्थिक संवर्धन :** यह पैकेज एक मजबूत नीतिगत संकेत देता है कि भारत समुद्री क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक निवेश के लिए एक स्थिर और आकर्षक गंतव्य है। उम्मीद है कि यह पहल लगभग ₹4.5 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित करेगी। यह निवेश उन्नत डॉकिंग सुविधाओं, आधुनिक कार्गो हैंडलिंग उपकरणों, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास और निजी शिपिंग बेड़े के विस्तार में लगेगा, जिससे क्षेत्र की समग्र दक्षता और क्षमता में वृद्धि होगी।
- आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन और आत्मनिर्भरता :** घरेलू जहाज निर्माण क्षमता में वृद्धि करके और बंदरगाहों को मजबूत बनाकर, यह पैकेज आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा में लचीलापन (Resilience) सुनिश्चित करेगा। अपनी महत्वपूर्ण नौवहन आवश्यकताओं के लिए विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता कम होगी, जिससे भू-राजनीतिक दबावों से बचाव होगा। यह भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान प्राप्त करने में निर्णायक रूप से मदद करेगा।

भारत का समुद्री क्षेत्र : वर्तमान स्थिति और संरचना :



भारतीय समुद्री क्षेत्र अर्थव्यवस्था की एक जीवन रेखा है, जिसके आयामों को निम्नलिखित आँकड़ों और घटकों से समझा जा सकता है:

समुद्री क्षेत्र के महत्वपूर्ण आँकड़े (2025 तक) :

विशेषता	आँकड़ा (2025 तक)	निहितार्थ
व्यापार की मात्रा	95% व्यापार समुद्री मार्ग से	व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण
व्यापार का मूल्य	70% व्यापार समुद्री मार्ग से	उच्च मूल्य वाले व्यापार का समुद्री निर्भरता
बंदरगाहों की संख्या	12 प्रमुख और 200+ गैर-प्रमुख/मध्यम बंदरगाह	विस्तृत तटीय पहुँच, लेकिन क्षमता का असमान वितरण
कार्गो यातायात	1,500 MTPA (2024-25 में)	विकास की तीव्र गति और अवसंरचना पर दबाव
जहाज निर्माण क्षमता लक्ष्य	4.5 मिलियन ग्रांस् टन (नई योजनाओं के तहत)	वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ाने की महत्वाकांक्षा
रोजगार (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष)	1.6 करोड़ से अधिक	विशाल रोजगार सृजन क्षमता

भारतीय समुद्री एवं शिपिंग क्षेत्र के प्रमुख घटक :



यह क्षेत्र एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं:

- जहाज निर्माण एवं मरम्मत उद्योग :** भारत के शिपयार्ड, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों शामिल हैं, बेड़े के निर्माण और रखरखाव में लगे हुए हैं।
- बंदरगाह (Ports) :** देश के आर्थिक प्रवेश द्वार - 12 प्रमुख बंदरगाह (जैसे JNPT, कांडला, विशाखापत्तनम) और 200 से अधिक गैर-प्रमुख/मध्यम बंदरगाह (राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित)।
- शिपिंग कंपनियाँ :** सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) और निजी बेड़े जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों

पर कार्गो और यात्रियों का परिवहन करते हैं।

4. **अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) :** गंगा, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों में परिवहन का एक लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल विकल्प।
5. **लॉजिस्टिक्स एवं समुद्री अवसंरचना :** इसमें कोल्ड चेन सुविधाएं, बड़े गोदाम, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क शामिल हैं।
6. **समुद्री प्रशिक्षण एवं शोध :** भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (IMU) और अन्य संस्थान जो समुद्री पेशेवरों को प्रशिक्षण देते हैं।
7. **जहाज पुनर्चक्रण उद्योग :** गुजरात का अलंग विश्व के सबसे बड़े जहाज तोड़ने वाले हब में से एक है, जो स्टील की पुनरावृत्ति में महत्वपूर्ण है।

आर्थिक विकास में भारत के बंदरगाहों की सामाजिक-आर्थिक भूमिका :

बंदरगाह केवल कार्गो के हस्तांतरण केंद्र नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र की सामाजिक-आर्थिक वृद्धि के इंजन हैं।

1. **व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) :** 95% व्यापार इनके माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए, जेएनपीटी (Jawaharlal Nehru Port Trust) अकेले भारत के 40% कंटेनरीकृत कार्गो को संभालता है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए इसकी केंद्रीय भूमिका को दर्शाता है।
2. **रोजगार सृजन :** बंदरगाह और संबद्ध समुद्री गतिविधियों से 1.6 करोड़ से अधिक नौकरियाँ जुड़ी हुई हैं, जो तटीय राज्यों के लिए एक प्रमुख आय स्रोत हैं।
3. **क्षेत्रीय विकास :** सागरमाला परियोजना जैसी पहलों के माध्यम से, बंदरगाह तटीय राज्यों और उनके भीतरी इलाकों में आर्थिक विकास के ग्रोथ हब के रूप में कार्य कर रहे हैं।
4. **निर्यात प्रतिस्पर्धा :** कुशल बंदरगाह लॉजिस्टिक्स को बढ़ाकर, भारत अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने का लक्ष्य रखता है (लक्ष्य 2030 तक GDP का 8%)। यह निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
5. **ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा :** देश के 80% कच्चे तेल का आयात बंदरगाहों से होता है। इसी तरह, कृषि अनाज का निर्यात और उर्वरकों का आयात देश की खाद्य सुरक्षा में बंदरगाहों की केंद्रीय भूमिका को स्थापित करता है।
6. **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) एवं औद्योगिक विकास :** बंदरगाहों पर सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल से बड़े पैमाने पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित होता है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) और तटीय औद्योगिक गलियारों के विकास को बढ़ावा देता है।

वैश्विक महाशक्ति बनने की राह में प्रमुख चुनौतियाँ :

भारत की समुद्री क्षमता अपार है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए कुछ गंभीर चुनौतियों का समाधान आवश्यक है:

1. **वैश्विक जहाज निर्माण में कम हिस्सेदारी :** भारत का योगदान 1% से भी कम है, जबकि चीन (~40%) और दक्षिण कोरिया (~25%) वैश्विक बाजार पर हावी हैं। यह कम हिस्सेदारी न केवल विदेशी मुद्रा का नुकसान है, बल्कि रणनीतिक निर्भरता को भी दर्शाता है।
2. **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत :** भारत की लॉजिस्टिक्स लागत GDP का 13-14% है, जो वैश्विक औसत (8-9%) से काफी अधिक है। यह उच्च लागत भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में महंगा बनाती है।
3. **अवसंरचना की कमी और अप्रचलन :** भारत में सीमित गहरे जल वाले बंदरगाह हैं। बहुत कम बंदरगाह ही 18,000 TEUs से अधिक क्षमता वाले अल्ट्रा-लार्ज कंटेनर जहाजों (ULCVs) को संभाल सकते हैं, जिससे जहाजों को पड़ोसी देशों के बंदरगाहों पर जाना पड़ता है।
4. **प्रौद्योगिकी घाटा :** घरेलू जहाज निर्माण अभी भी कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे उन्नत जहाज डिज़ाइन, इंजन और विशेष उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता रखता है, जिससे उत्पादन की लागत और समय बढ़ता है।
5. **पर्यावरण एवं सुरक्षा के मुद्दे :** गुजरात का अलंग शिपब्रेकिंग यार्ड जैसे क्षेत्र अभी भी प्रदूषण नियंत्रण और श्रमिक सुरक्षा मानकों के पालन में आलोचना का सामना करते हैं, जिसके लिए सतत और हरित प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।

समाधान / आगे की राह :

केंद्र सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बहु-आयामी और समन्वित नीतिगत दृष्टिकोण अपना रही है, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रमुख पहलों में देखा जा सकता है:

योजना/अधिनियम/समिति	फोकस क्षेत्र	स्थिति/प्रभाव
सागरमाला कार्यक्रम	बंदरगाह-आधारित औद्योगिक विकास और तटीय क्षेत्र का संवर्धन	802 परियोजनाएँ लक्षित; 233 पूर्ण, क्षेत्रीय विकास पर बल।
भारतमाला एवं गति शक्ति	मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना संपर्क	बंदरगाह क्लस्टरों के साथ सड़क, रेल और जलमार्गों का एकीकृत विकास।

SBFAS (2036 तक)	जहाज निर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और लागत अंतर को पाटना	₹24,736 करोड़ का कोष; घरेलू शिपयार्डों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना।
प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021	बंदरगाहों को स्वायत्तता, निर्णय लेने की गति बढ़ाना	PPP मॉडल को और अधिक प्रोत्साहन देना; कॉर्पोरेट प्रशासन को मजबूत करना।
बंदरगाह अधिनियम, 2025	1908 के पुराने अधिनियम का प्रतिस्थापन; आधुनिकीकरण	शासन, सुरक्षा और डिजिटलीकरण में सुधार लाना; नियमों का सरलीकरण।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, 2022	लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक औसत पर लाना	क्रियान्वयन जारी; डेटा-संचालित निर्णय और प्रक्रिया दक्षता में वृद्धि।
NMPT समिति	शिपबिल्डिंग एवं शिपिंग हेतु दीर्घकालिक रणनीति का खाका	आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के साथ समुद्री क्षेत्र को संरेखित करना।

निष्कर्ष :

1. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹69,725 करोड़ के इस व्यापक पैकेज की मंजूरी भारत के समुद्री पुनर्जागरण की औपचारिक घोषणा है। यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि भारत का जहाज निर्माण एवं समुद्री क्षेत्र अब केवल एक आर्थिक इंजन मात्र नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापारिक स्थिरता और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का एक अत्यधिक रणनीतिक स्तंभ है।
2. इस पैकेज के कार्यान्वयन से भारत बंदरगाह-आधारित औद्योगिकीकरण की ओर अग्रसर होगा, जिससे शिपयार्ड क्षमता का न केवल विस्तार होगा बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का एक नया मानक भी स्थापित होगा। यह एक ऐसा संगम होगा जो भारत को 'मेक इन इंडिया' के लक्ष्यों को समुद्री क्षेत्र में साकार करने की शक्ति देगा।
3. इतिहास साक्षी है कि जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति के दौर में रेलवे ने भारत की मुख्य भूमि को एक साथ जोड़कर देश की आर्थिक रीढ़ का निर्माण किया था, उसी प्रकार 21वीं सदी की वृद्धि की कहानी का आधार हमारी समुद्री शक्ति और ब्लू इकोनॉमी होगी।
4. यह निवेश भारत को हिंद महासागर क्षेत्र के एक अपरिहार्य शक्ति केंद्र के रूप में स्थापित करेगा और वैश्विक समुद्री व्यापार के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
5. यह ₹69,725 करोड़ का निवेश भारत को एक 'महान समुद्री राष्ट्र

(ग्रेट मैरीटाइम नेशन) ' के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक साहसिक कदम है।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. बंदरगाह अधिनियम, 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 का स्थान लेता है।
2. यह बंदरगाहों में डिजिटलीकरण और व्यापार सुगमता के लिए ढाँचा प्रदान करता है।
3. यह केवल संघ सूची के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बंदरगाहों पर लागू होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (a)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत के समुद्री एवं जहाज निर्माण क्षेत्र को 'भारी अभियांत्रिकी / इंजीनियरिंग की जननी' तथा सामरिक सुरक्षा के प्रमुख स्तंभ के रूप में क्यों माना जाता है? भारत की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इसके साथ - ही - साथ इस क्षेत्र के पुनर्जीवन हेतु सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र : वैश्विक प्रतिस्पर्धा और कृषि समृद्धि को बढ़ावा देना

समाचार में क्यों?

- भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने हाल ही में अपनी उल्लेखनीय वृद्धि, वैश्विक रुचि और कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी पहलों के कारण ध्यान आकर्षित किया है।



- भारत के सबसे बड़े खाद्य और कृषि अभिसरण में 95,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निवेश के अवसरों को उजागर किया।
- इस क्षेत्र में निर्यात में वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों और समुद्री खाद्य पदार्थों में, जिसे गुणवत्ता, सुरक्षा और स्थिरता पर केंद्रित नीतियों का समर्थन प्राप्त है।
- कार्यक्रम के दौरान हुई चर्चाओं में पोषण, नए जमाने के खाद्य पदार्थों और स्थायी प्रथाओं में नवाचार पर जोर दिया गया, जिससे भारत को एक वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक रणनीतिक प्रयास का संकेत मिला, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि और रोजगार सृजन भी हुआ।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग – प्रमुख योगदान

1. आर्थिक योगदान

- भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मूल्य : ~₹33 लाख करोड़ (2023-24)
- यह उद्योग भारत के विनिर्माण GVA में ~12% और कुल GDP में ~8% योगदान देता है।
- निर्यात योगदान : 2024-25 में \$49.4 बिलियन (2014-15 के \$30.5 बिलियन से वृद्धि)।

2. रोजगार क्षेत्र

- यह क्षेत्र भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है।
- पंजीकृत क्षेत्र → ~2.23 मिलियन श्रमिक
- अपंजीकृत क्षेत्र → ~4.68 मिलियन श्रमिक
- ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिला व युवा रोजगार।

3. किसानों व कृषि से संबंध :

- भारत में कृषि उत्पादन का ~10% प्रसंस्करण होता है (वैश्विक औसत >30%) → विशाल अवसर।

- प्रसंस्करण से कटाई-पश्चात हानि (Post-harvest losses) ~₹92,000 करोड़ प्रतिवर्ष घट सकती है।

4. निर्यात व वैश्विक स्थिति :

- भारत का वैश्विक कृषि-खाद्य निर्यात में हिस्सा ~3%।
- प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात हिस्सा 2014-15 के 13.7% से बढ़कर 2024-25 में 20.4%।
- प्रमुख निर्यात: चावल, समुद्री उत्पाद, मसाले, बिस्किट, रेडी-टू-ईट उत्पाद।

5. बुनियादी ढांचा व निवेश :

- 24 मेगा फूड पार्क, 289 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट, 22 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर चालू।
- 100% FDI अनुमति (ऑटोमैटिक रूट पर)।
- खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएलआई योजना (₹10,900 करोड़) – आरटीई/आरटीसी, बाजरा, फलों-भाजी उत्पादों पर जोर।
- NABARD को ₹2000 करोड़ विशेष कोष फूड पार्क हेतु।

6. पोषण एवं नवाचार

- बाजरा (Millets) – UN International Year of Millets 2023 से भारत अग्रणी।
- ICAR व CSIR द्वारा – बायो-फोर्टिफाइड फसलें, प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, फंक्शनल फूड्स पर शोध।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का महत्व :

आयाम	महत्व	कार्यान्वयन / उदाहरण
आर्थिक विकास	विनिर्माण GVA में ~12% योगदान, रोजगार में ~10% योगदान	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात 2014-15 में 30.5 बिलियन USD से बढ़कर 2024-25 में 49.4 बिलियन USD
रोजगार सृजन	ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार	पंजीकृत इकाइयों में 2.23 मिलियन, अपंजीकृत इकाइयों में 4.68 मिलियन श्रमिक कार्यरत
किसानों की आय	फसल बर्बादी कम, मूल्य संवर्धन और स्थिर आय	ऑपरेशन ग्रीन्स, पीएम किसान संपदा योजना (PMKSY) से किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त

निर्यात प्रतिस्पर्धा - त्मकता	वैश्विक कृषि-खाद्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत	प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2014-15 में 13.7% से बढ़कर 2024-25 में 20.4%
बुनियादी ढांचा विकास	आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला व कोल्ड स्टोरेज से कटाई-पश्चात नुकसान कम	24 मेगा फूड पार्क, 289 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट, 22 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर
पोषण एवं खाद्य सुरक्षा	विविध, पौष्टिक और लंबे समय तक सुरक्षित उत्पाद	PLIS-MBP के तहत बाजरा आधारित RTE/RTC खाद्य उत्पादों का विस्तार
एफडीआई व निजी निवेश	वैश्विक निवेश व प्रतिस्पर्धा में वृद्धि	100% एफडीआई की अनुमति, NABARD को 2,000 करोड़ रु. का विशेष कोष

भारत में खाद्य उद्योग विकास के लिए सरकारी पहल :

1. मेगा फूड पार्क और कृषि-क्लस्टर – 24 मेगा फूड पार्क, 22 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, 289 कोल्ड चेन परियोजनाएं और 305 संरक्षण इकाइयां पूरी हो चुकी हैं।
2. उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ – वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए बाजरा आधारित आरटीई/आरटीसी उत्पादों के लिए ₹10,900 करोड़ पीएलआईएसएफपीआई (2021-27) और पीएलआईएसएमबीपी।
3. निर्यात वृद्धि – कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2024-25) तक पहुंच गया, प्रसंस्कृत हिस्सा 13.7% (2014-15) से बढ़कर 20.4% हो गया।
4. रोजगार सृजन – पंजीकृत इकाइयों में 2.23 मिलियन और अपंजीकृत इकाइयों में 4.68 मिलियन।
5. एफडीआई और निवेश सहायता – खाद्य प्रसंस्करण में 100% एफडीआई की अनुमति; फूड पार्कों के लिए 2,000 करोड़ रुपये का नाबाई कोष, जिससे व्यापार करने में आसानी होगी।
6. औपचारिकरण और अनुसंधान एवं विकास – पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों की संख्या 25 लाख से बढ़कर 64 लाख हो गई; 225 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं से 20 पेटेंट और 52 प्रौद्योगिकियां प्राप्त हुईं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में चुनौतियां :

1. निम्न प्रसंस्करण स्तर – केवल ~10% फल और सब्जियां प्रसंस्कृत की जाती हैं, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा 40-60% है।

2. कटाई के बाद की हानियाँ – भंडारण और परिवहन अंतराल के कारण अनुमानित वार्षिक लागत ₹92,561 करोड़ (आईसीएआर, 2023)।
3. खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएँ – किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों के बीच खराब संबंध के कारण अकुशलताएं पैदा होती हैं।
4. ऋण और निवेश अंतराल – नाबाई के समर्थन के बावजूद सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को किफायती वित्त तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ रहा है।
5. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता – उच्च लॉजिस्टिक्स लागत (जीडीपी का 14%) भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी बनाती है।
6. गुणवत्ता और मानक – वैश्विक एसपीएस (सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी) मानकों का अनुपालन निर्यात के लिए एक बाधा बना हुआ है।

आगे की राह :

भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाने का दृष्टिकोण

सिफारिश	स्रोत / समिति	उदाहरण / संदर्भ
2030 तक खाद्य प्रसंस्करण स्तर को 25% तक बढ़ाना	नीति आयोग विजन 2047	कोल्ड चेन व मेगा फूड पार्क का विस्तार
किसान-प्रसंस्करणकर्ता संबंधों को मजबूत करना	किसानों की आय दोगुनी करने पर दलवर्द समिति	अनुबंध खेती, एफपीओ-आधारित क्लस्टर मॉडल
निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना	आर्थिक सर्वेक्षण 2024	रसद लागत कम करना, बंदरगाह संपर्क सुधारना
वित्त एवं प्रौद्योगिकी से सूक्ष्म इकाइयों को समर्थन	MSME समिति (RBI 2019)	पीएम-एफएमई योजना का विस्तार
बाजरा एवं पोषक-अनाज प्रसंस्करण का विस्तार	संयुक्त राष्ट्र बाजरा वर्ष 2023, MoFPI रोडमैप	वैश्विक RTE/RTC बाजरा ब्रांड विकसित करना
गुणवत्ता और प्रमाणन प्रणालियों में सुधार	FAO व APEDA दिशा-निर्देश	GI टैग, ट्रेसबिलिटी सिस्टम, निर्यात मानक
खाद्य प्रौद्योगिकी व R&D को बढ़ावा	ICAR और CSIR पैनल	प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, बायो-फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ

निष्कर्ष :

1. भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मजबूत कृषि उत्पादन, बढ़ते निर्यात और मजबूत सरकारी समर्थन के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है।
2. फिर भी, कम प्रसंस्करण, अपव्यय और प्रतिस्पर्धात्मकता की चुनौतियों को बेहतर बुनियादी ढाँचे, अनुसंधान एवं विकास, और किसान संपर्कों के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए।
3. समिति की सिफारिशों को लागू करके और पीएलआई, पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई जैसी पहलों को आगे बढ़ाकर, भारत एक वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र में तब्दील हो सकता है, जो विकसित भारत 2047 की गति देगा और खाद्य सुरक्षा, रोजगार और कृषि-खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं में वैश्विक नेतृत्व सुनिश्चित करेगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. मेगा फूड पार्क योजना (MFPPY) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा किया जाता है।
2. प्रत्येक मेगा फूड पार्क एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र और फार्म-स्तरीय प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों के साथ "हब और स्पोक" मॉडल पर आधारित है।
3. मेगा फूड पार्कों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

- (a) केवल एक (b) केवल दो
(c) तीनों (d) कोई नहीं

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में खाद्य प्रसंस्करण को "उभरता हुआ क्षेत्र" कहा गया है। इस उद्योग को बढ़ावा देने में सरकारी पहलों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

खाद्यान्न उत्पादन एवं भंडारण : भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़**खबरों में क्यों?**

- भारत का कृषि क्षेत्र, जो देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, विशेष रूप से चर्चा में है।
- सतत कृषि, फसल विविधीकरण और पोषण सुरक्षा पर बढ़ते विमर्श के साथ, सरकार और नीति-निर्माता चावल, गेहूँ, मोटे अनाज (मिलेट्स) और दलहन जैसी फसलों के उत्पादन को सशक्त करने पर बल दे रहे हैं। ये फसलें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर हैं, जो भारत की विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने और ग्रामीण आजीविका को समर्थन देने में केन्द्रीय भूमिका निभाती हैं।
- हाल के वर्षों में फसल उत्पादकता बढ़ाने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने तथा पोषण एवं जलवायु-संवेदनशील फसल के रूप में मोटे अनाज को बढ़ावा देने से कृषि क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ा है।
- कृषि वर्ष 2024-25 के तृतीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है — कुल 353.96 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जिसमें 117.51 मिलियन टन गेहूँ और 149.07 मिलियन टन चावल शामिल हैं।

खाद्यान्न भंडारण का महत्व :

- प्रभावी भंडारण अवसंरचना भारत की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन, अपव्यय में कमी और किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

खाद्यान्न भंडारण के प्रमुख उद्देश्य :

1. कटाई के बाद हानि में कमी : आधुनिक भंडारण सुविधाएँ जैसे वैज्ञानिक गोदाम और कोल्ड स्टोरेज, कृषि उत्पादों के अपव्यय को काफी हद तक कम करती हैं।

2. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना : पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है।
3. किसानों को संकटग्रस्त बिक्री से बचाना : पर्याप्त भंडारण सुविधा किसानों को अपनी फसल को उचित मूल्य मिलने तक सुरक्षित रखने का अवसर देती है।
4. मूल्य स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना : रणनीतिक बफर स्टॉक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचाता है।
5. गुणवत्ता बनाए रखना : वैज्ञानिक भंडारण नमी, तापमान और कीट नियंत्रण के माध्यम से अनाज की गुणवत्ता और पोषण स्तर को सुरक्षित रखता है।

भारत में खाद्यान्न भंडारण प्रणाली :**केंद्रीकृत भंडारण प्रणाली :**

- खाद्य निगम (FCI) भारत में खाद्यान्न के केंद्रीकृत भंडारण के लिए प्रमुख एजेंसी है। केंद्रीय पूल के तहत राज्यों या FCI द्वारा सीधे अनाज की खरीद की जाती है। राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए अनाज FCI को सौंपे जाते हैं, और उनकी लागत की प्रतिपूर्ति FCI द्वारा की जाती है। यह स्टॉक आगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) या अन्य राज्यों में भेजने के लिए उपयोग होता है।
- 1 जुलाई 2025 तक, FCI और राज्य एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल के खाद्यान्न के लिए कुल 917.83 लाख मीट्रिक टन (LMT) की ढकी हुई एवं CAP भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

- सम्मिलित या शामिल भंडारण क्षमता : सम्मिलित या शामिल भंडारण क्षमता से तात्पर्य खाद्यान्नों की उस कुल मात्रा से है जिसे पूरी तरह से छत और दीवारों से घिरे ढाँचों, जैसे गोदामों, वेयरहाउसों या साइलो में संग्रहित किया जा सकता है।
- कवर एंड प्लिंथ (CAP) : 'कवर एंड प्लिंथ' (CAP) भंडारण में खाद्यान्नों को ऊँचे प्लिंथ पर संग्रहित किया जाता है और लकड़ी के क्रेटों का उपयोग डनेज सामग्री के रूप में किया जाता है।

कोल्ड स्टोरेज अवसंरचना :

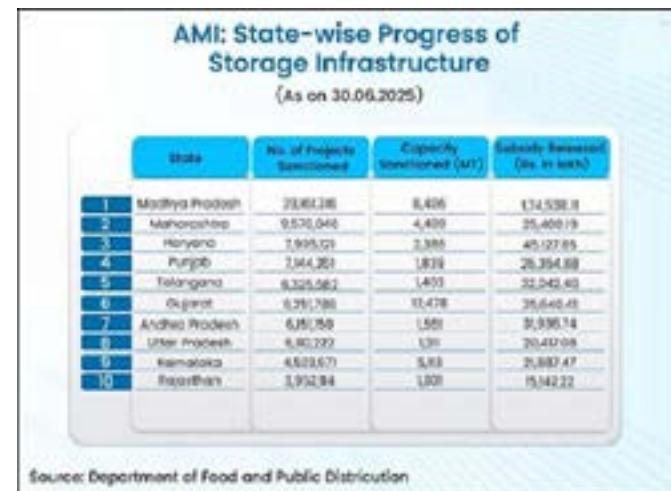
- फलों, सब्जियाँ, डेयरी उत्पाद, मांस, समुद्री उत्पाद आदि जैसे सड़ने वाली या नाशवान वस्तुओं के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज आवश्यक है। यह ताप-नियंत्रित श्रृंखला (cold chain) उत्पादों की ताजगी और पोषण बनाए रखती है तथा नुकसान घटाती है। इसमें प्री-कूलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर (CA) स्टोरेज, ब्लास्ट फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेटेड परिवहन शामिल हैं।

विकेन्द्रीकृत भंडारण और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की भूमिका :

- विकेन्द्रीकृत भंडारण योजना 1997-98 में शुरू की गई थी, जिसके तहत राज्य स्वयं NFSA के अंतर्गत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण करते हैं। इससे परिवहन लागत घटती है और स्थानीय खरीद को प्रोत्साहन मिलता है।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) किसानों को ऋण, विपणन और स्थानीय स्तर पर भंडारण की सुविधा प्रदान करती हैं। ये 500-2000 टन क्षमता वाले गाँव-स्तरीय गोदाम स्थापित करती हैं, जिससे किसानों को उचित मूल्य और कम परिवहन लागत का लाभ मिलता है।
- सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण हेतु ₹2,516 करोड़ की मंजूरी दी है। जून 2025 तक 73,492 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं और 5,937 नई PACS पंजीकृत की गई हैं।

खाद्यान्न भंडारण को सशक्त करने वाली प्रमुख योजनाएँ :

- कृषि अवसंरचना कोष (AIF) :** वर्ष 2020 में शुरू की गई यह योजना कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु मध्यम से दीर्घकालिक ऋण सुविधा प्रदान करती है। इसके अंतर्गत ब्याज सबवैशन और क्रेडिट गारंटी दी जाती है। यह योजना किसानों को फार्म-गेट स्तर पर भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स विकसित करने में मदद करती है।
- कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) :** यह संविलित कृषि विपणन योजना (ISAM) का प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों और भंडारण इकाइयों के निर्माण/सुधार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। 30 जून 2025 तक, 27 राज्यों में कुल 49,796 भंडारण परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनसे 982.94 लाख टन की भंडारण क्षमता विकसित हुई है। इन परियोजनाओं के लिए ₹4,829.37 करोड़ की सब्सिडी दी गई है।
- कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजी निवेश सब्सिडी योजना :** यह योजना सड़ने वाले या नाशवान उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण को प्रोत्साहित करती है। सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और उत्तर-पूर्वी, पहाड़ी व अनुसूचित क्षेत्रों में 50% सब्सिडी दी जाती है। इससे कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बढ़ती है, शेल्फ-लाइफ लंबी होती है और किसानों को बेहतर मूल्य मिलता है।



- सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना (2023) :** मई 2023 में प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के स्तर पर गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयाँ और उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करना है। यह योजना AIF, AMI, SMAM और PMFME जैसी मौजूदा योजनाओं के संसाधनों को एकीकृत करती है, जिससे भंडारण क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला और किसानों की आय में सुधार हो।

निष्कर्ष :

- कृषि भारत की जीवनरेखा है — यह करोड़ों लोगों की आजीविका, पोषण और आर्थिक विकास का आधार है। रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद, प्रभावी भंडारण और वितरण प्रणाली

सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि प्रत्येक अनाज उपभोक्ता तक पहुँचे।

- जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों को देखते हुए भंडारण क्षमता का विस्तार, तकनीकी उन्नयन और अपव्यय में कमी भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए निर्णायक होंगे।
- खाद्यान्न फसलें, केवल फसलें भर नहीं हैं, बल्कि वे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता और वैश्विक खाद्य प्रणाली की रीढ़ हैं।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की कृषि भंडारण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- जुलाई 2025 तक FCI और राज्य एजेंसियों के अंतर्गत कुल भंडारण क्षमता 900 LMT से अधिक है।
- प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) मुख्यतः गाँव-स्तरीय खरीद केंद्र और उचित मूल्य की दुकानों के रूप में कार्य करती हैं।
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF) कटाई के बाद प्रबंधन हेतु ब्याज सबवैशन और क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।

निम्न में से कौन-सा/से कथन सही हैं?

- (a) 1 और 2 केवल (b) 2 और 3 केवल
(c) 1 और 3 केवल (d) 1, 2 और 3

उत्तर - (d)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता के संदर्भ में खाद्यान्न भंडारण के महत्व का विश्लेषण कीजिए। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत भंडारण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए, कृषि अवसंरचना कोष (AIF), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) तथा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) जैसी सरकारी पहलों की इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने में भूमिका पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारतीय रेलवे : भारत के विकास को आगे बढ़ाने वाला इंजन**समाचार में क्यों?**

- 7 अक्टूबर 2025 को, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की चार मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी।
- ये परियोजनाएँ ₹24,634 करोड़ की हैं और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 894 किलोमीटर तक फैली हैं।



परियोजना अनुभाग	पंक्तियां	लंबाई (किमी)	कवर किए गए राज्य
वर्धा - भुसावल	तीसरा और चौथा	314	महाराष्ट्र
गोंदिया - डोंग-रगढ़	4	84	महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़

वडोदरा - रतलाम	तीसरा और चौथा	259	गुजरात एवं मध्य प्रदेश
इटारसी - भोपाल - बीना	4	237	मध्य प्रदेश

- ये 18 जिलों में सेवाएँ प्रदान करेंगे और 3,633 गाँवों को लाभान्वित करेंगे, जिनकी कुल जनसंख्या 85.84 लाख है। इनमें दो आकांक्षी जिले, विदिशा और राजनांदगांव भी शामिल हैं।
- इन परियोजनाओं से प्रति वर्ष 78 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई उत्पन्न होने की उम्मीद है। इनसे तेल आयात में 28 करोड़ लीटर की कमी आएगी और CO₂ उत्सर्जन में 139 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो 6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।
- ये पहल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य मल्टीमॉडल कनेक्शन को बेहतर बनाना, लॉजिस्टिक्स को और अधिक कुशल बनाना और सांची, भीमबेटका और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जैसे स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देना है।

निर्माता के रूप में भारतीय रेलवे :

- वंदे भारत एक्सप्रेस :** ये प्रमुख शहरों को टियर-2 और टियर-3 शहरों से जोड़ते हैं, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, दिल्ली से वाराणसी की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं।
- अमृत भारत स्टेशन योजना:** 1,275 स्टेशनों को वाई-फाई, लिफ्ट, एस्केलेटर सहित आधुनिक सुविधाओं से उन्नत करना तथा उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाना।
- पूर्वोत्तर संपर्क :** यह 2014 में मेघालय, 2015 में अरुणाचल प्रदेश, 2016 में मणिपुर और 2016 में मिजोरम पहुंची। इम्फाल को 2024 में पहली ट्रेन मिलेगी।
- माल ढुलाई गलियारे:** पूर्वी (1,337 किमी) और पश्चिमी (1,506 किमी) समर्पित माल ढुलाई गलियारे 97% चालू हो चुके हैं। इससे मालगाड़ियों की संख्या वर्ष 2023-24 के 247 से बढ़कर फरवरी 2025 तक 352 हो जाएगी।
- इंजीनियरिंग चमत्कार:**

- चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, जो नदी से 359 मीटर ऊपर है।
- बोगीबील पुल भारत का सबसे लंबा रेल-सह-सड़क पुल है, जिसकी लंबाई 4.94 किमी है।

रेलवे अवसंरचना का महत्व :

- आर्थिक रीढ़:**
- प्रत्येक वर्ष 8 अरब से अधिक यात्रियों का परिवहन करता है।

- प्रतिदिन 3.5 मिलियन टन से अधिक माल ढुलाई होती है, जिसमें माल ढुलाई राजस्व का लगभग 50% हिस्सा कोयले से आता है (सीएजी 2021-22)।

- लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है, क्योंकि भारत की लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी का 13-14% है। कुशल रेल इसे घटाकर 8-9% तक ला सकती है।

2. सामाजिक एकीकरण और समावेशन:

- ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों को शहरी केंद्रों से जोड़ता है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरियों तक पहुंच प्रदान करता है।
- उदाहरणों में पूर्वोत्तर में विस्तार और उन्नत स्टेशनों पर दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाएं शामिल हैं।

3. पर्यावरणीय स्थिरता:

- विद्युतीकृत मार्गों से सड़क माल ढुलाई की तुलना में 80% कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है।
- 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है।
- 80,000 से अधिक कोचों में जैव-शौचालय हैं, जिससे स्वच्छता में सुधार हुआ है।

4. रणनीतिक एवं सुरक्षा भूमिका:

- अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में सीमा रेल परियोजनाएं त्वरित सैन्य आवाजाही की सुविधा प्रदान करती हैं।
- समर्पित माल गलियारे सैन्य रसद और आपातकालीन राहत में सहायता करते हैं।

5. शहरी गतिशीलता और पर्यटन

- 1,000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइनें परिचालन में हैं, जबकि उपनगरीय विस्तार से शहर की भीड़भाड़ कम हो रही है।
- भारत गौरव रेलगाड़ियां सांस्कृतिक यात्रा को प्रोत्साहित करती हैं, जिनमें रामायण यात्रा और दक्षिण भारत दर्शन जैसे मार्ग शामिल हैं।

भारतीय रेलवे की प्रमुख पहल

1. **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** : यह पहल रेलवे नेटवर्क को बंदरगाहों, राजमार्गों और हवाई अड्डों से जोड़कर सुचारु मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। इसका उद्देश्य बेहतर योजना और शीघ्र मंजूरी के माध्यम से परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना भी है।
2. **राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी)**: एनएमपी के तहत, भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के

लिए स्टेशनों, माल टर्मिनलों और अधिशेष भूमि जैसी परिसंपत्तियों का मुद्राकरण करके धन जुटा रहा है।

3. **समर्पित माल गलियारा (डीएफसी)**: डीएफसी का विकास यात्री मार्गों पर भीड़भाड़ कम करने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने तथा मालगाड़ियों की औसत गति को 100 किमी/घंटा तक बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे रेल माल ढुलाई अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

4. **अमृत भारत स्टेशन योजना** : इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक परिवहन केन्द्रों के रूप में उन्नत करना है, जो बेहतर यात्री सुविधाएं प्रदान करें तथा परिवहन के अन्य साधनों के साथ बेहतर एकीकरण प्रदान करें।

5. **तकनीकी आधुनिकीकरण** : रेलवे सुरक्षा में सुधार के लिए भारत में निर्मित कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहा है। परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, वे IoT-आधारित परिसंपत्ति निगरानी और AI-संचालित पूर्वानुमानित रखरखाव को भी लागू कर रहे हैं।

6. **हरित पहल** : टिकाऊ संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें स्टेशनों पर सौर छतें लगाना, हरित बांड जारी करना, हाइड्रोजन ट्रेनों के लिए पायलट परियोजनाएं चलाना और बड़े पैमाने पर रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण शामिल है।

7. **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल** : हबीबगंज और गांधीनगर स्टेशनों जैसे स्टेशन पुनर्विकास परियोजनाओं, लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास और चयनित मार्गों पर निजी रेलगाड़ियां चलाने के लिए पीपीपी का उपयोग किया जा रहा है।

मुद्दे और चुनौतियाँ :

1. **वित्तीय तनाव**: 2021 में परिचालन अनुपात 107.39% रहा, जो दर्शाता है कि व्यय राजस्व से अधिक है। यात्री और माल ढुलाई सेवाओं के बीच भारी क्रॉस-सब्सिडी ने रेल माल ढुलाई को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है।
2. **पुराना बुनियादी ढांचा और सुरक्षा अंतराल**: 2023 में बालासोर तिहरी रेल दुर्घटना जैसी घटनाओं ने गंभीर सिग्नलिंग विफलताओं को उजागर किया है। ₹34,318 करोड़ की राशि का एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति नवीनीकरण लंबित है।
3. **धीमी कवच रोलआउट**: कवच सुरक्षा प्रणाली का कार्यान्वयन चुनिंदा मार्गों तक ही सीमित है, जिससे नेटवर्क-व्यापी सुरक्षा उन्नयन धीमा हो रहा है।
4. **माल बाजार हिस्सेदारी में गिरावट**: माल ढुलाई बाजार में रेलवे की हिस्सेदारी 1951 में 85% से घटकर 2022 में 27% रह गई है, तथा परिवहन की प्राथमिक वस्तु के रूप में कोयले पर अत्यधिक निर्भरता है।

5. **पर्यावरणीय अंतराल**: विद्युतीकरण के प्रयासों के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में अभी भी डीजल इंजनों का उपयोग किया जाता है, तथा अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियां अपर्याप्त हैं।

6. **हाई-स्पीड रेल विलंब**: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं, भूमि अधिग्रहण और वित्तपोषण संबंधी समस्याओं के कारण अब तक केवल 30% ही पूरी हो पाई हैं।

7. **पीएसयू की अक्षमताएं** : रेलवे से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) में 2017 में 9.17% से 2019 में 7.53% की गिरावट देखी गई है, जो परिचालन संबंधी कमियों को दर्शाता है।

8. **भीड़ प्रबंधन मुद्दे**: फरवरी 2025 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ ने प्रमुख स्टेशनों पर गंभीर डिजाइन दोषों और खराब भीड़ प्रबंधन को उजागर किया।

समाधान / आगे की राह :

1. **वित्तीय सुधार**: बिबेक देबरॉय समिति की सिफारिशों के अनुसार, गतिशील किराया मूल्य निर्धारण को लागू करना, टैरिफ को सुव्यवस्थित करना, भूमि परिसंपत्तियों का मुद्राकरण करना तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ाना, वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है।
2. **सुरक्षा आधुनिकीकरण में तेजी लाना**: कवच का विस्तार पूरे नेटवर्क में होना चाहिए। सुरक्षा में सुधार के लिए सिग्नलिंग अपग्रेड और पूर्वानुमानित रखरखाव के साथ-साथ इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
3. **माल विविधीकरण और एकीकरण**: रेलवे को कोयले से आगे बढ़ना होगा। उन्हें कंटेनरीकरण को बढ़ावा देना होगा, ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक्स का विकास करना होगा और माल ढुलाई बाजार में अपनी हिस्सेदारी फिर से हासिल करने के लिए बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में सुधार करना होगा।
4. **तकनीकी उन्नति** : माल ढुलाई कार्यों के लिए IoT और ब्लॉकचेन जैसी नई प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग परिचालन दक्षता को बेहतर बना सकता है।
5. **सतत गतिशीलता**: नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक एकीकरण, हाइड्रोजन ट्रेनों की शुरुआत और हरित वित्तपोषण तंत्र भारत के जलवायु लक्ष्यों को समर्थन देने में मदद करेंगे।
6. **हाई-स्पीड रेल और स्वदेशी विनिर्माण**: बुलेट ट्रेन परियोजना में तेजी लाने और मेक-इन-इंडिया रोलिंग स्टॉक में निवेश करने से घरेलू क्षमता और आधुनिक परिवहन विकल्प बढ़ेंगे।
7. **शहरी रेल एकीकरण**: भारतीय रेलवे, मेट्रो प्रणाली, रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और बस नेटवर्क के बीच सुचारु संपर्क एक एकीकृत शहरी गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

8. **संस्थागत सुधार**: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन, कार्यबल कौशल का विकास, तथा परियोजना कार्यान्वयन का विकेंद्रीकरण, शासन और वितरण दक्षता को बढ़ाएगा।

निष्कर्ष :

1. भारतीय रेल भारत की एकता, महत्वाकांक्षा और लचीलेपन का प्रतीक है। यह औपनिवेशिक ढाँचे से आर्थिक विकास और हरित गतिशीलता के वाहक के रूप में परिवर्तित हो गया है।
2. हाल ही में बहु-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मिली मंजूरी दर्शाती है कि कैसे रेल ढाँचा कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है, माल ढुलाई को बढ़ावा दे सकता है, पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है और साथ ही जलवायु लक्ष्यों को भी पूरा कर सकता है।
3. संरचनात्मक सुधारों, प्रौद्योगिकी अपनाने और टिकाऊ वित्तपोषण के साथ, भारतीय रेलवे भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक हरित लॉजिस्टिक्स में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है, जो वास्तव में "नए भारत के इंजन के रूप में रेलवे" के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारतीय रेलवे की हालिया बुनियादी ढांचा पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अक्टूबर 2025 में स्वीकृत मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से चार राज्यों में रेलवे नेटवर्क 800 किलोमीटर से अधिक बढ़ जाएगा।
2. ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप हैं।
3. वडोदरा-रतलाम खंड इस पहल के तहत स्वीकृत रेलवे लाइन विस्तारों में से एक है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारतीय रेलवे ने ऐतिहासिक रूप से राष्ट्र निर्माण में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। मूल्यांकन कीजिए कि

हाल की बुनियादी ढांचागत पहल किस प्रकार भारत के आर्थिक भूगोल को नया रूप दे रही हैं।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

विश्व खाद्य दिवस 2025 : सतत राष्ट्र के निर्माण में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का योगदान

समाचार में क्यों?

- विश्व खाद्य दिवस, जो हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, खाद्य सुरक्षा, पोषण और टिकाऊ कृषि सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
- यह खाद्य उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, भूख और कुपोषण की निरंतर वैश्विक चुनौती की एक सशक्त याद दिलाता है।
- भोजन जीवन का आधार है—स्वास्थ्य, विकास और कल्याण के लिए आवश्यक—और फिर भी दुनिया भर में लाखों लोग खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं।
- यह दिवस लचीली खाद्य प्रणालियों, समान पहुँच और टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करता है।



खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में भारत की प्रगति

- दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक होने के नाते, भारत ने नीतियों और कार्यक्रमों के एकीकृत ढाँचे के माध्यम से भूखमरी कम करने और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

- देश के ये प्रयास विश्व खाद्य दिवस 2025 की थीम - "बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाना" के अनुरूप हैं, जो खाद्य उपलब्धता, सामर्थ्य और स्थिरता के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- पिछले एक दशक में, भारत में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 90 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ा है, जबकि फल और सब्जियों का उत्पादन 64 मिलियन मीट्रिक टन से भी ज्यादा बढ़ा है।
- दूध और बाजरा उत्पादन में भारत दुनिया भर में पहले स्थान पर है, और मछली, फल और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
- शहद और अंडे का उत्पादन भी 2014 से दोगुना हो गया है। इसके अतिरिक्त, पिछले 11 वर्षों में कृषि निर्यात लगभग दोगुना हो गया है, जिससे वैश्विक खाद्य आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए प्रमुख सरकारी पहल

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) :** मूल रूप से 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के रूप में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य चावल, गेहूँ और दालों का उत्पादन बढ़ाना और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना था।
 - इसका नाम बदलकर NFSNM (2024-25) कर दिया गया है और अब यह खाद्य उत्पादन को पोषण संवर्धन के साथ जोड़ता है, और कृषि को जन स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ता है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013:**
 - एनएफएसए समतापूर्ण खाद्य वितरण सुनिश्चित करता है, जो अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के माध्यम से 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी—लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों—को कवर करता है।
 - एनएफएसएनएम और एनएफएसए मिलकर भारत की खाद्य सुरक्षा के दो स्तंभ हैं—एक उत्पादन को बढ़ावा देता है, दूसरा वितरण सुनिश्चित करता है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई):** कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई, PMGKAY ने सभी NFSA लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया।
 - ₹11.80 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ, जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक इसकी निरंतरता, भूखमरी उन्मूलन और गरीबों को आर्थिक संकट से बचाने के लिए भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- पीएम पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) योजना :** पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जानी जाने वाली, पीएम पोषण योजना सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक पका

हुआ भोजन प्रदान करती है, जिससे सीखने के परिणाम बेहतर होते हैं और कक्षा में उपस्थिति बढ़ती है।

- वित्त वर्ष 2024-25 में, इस कार्यक्रम के तहत 22.96 लाख मीट्रिक टन चावल और गेहूँ आवंटित किया गया था।
- चावल संवर्धन पहल:** सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए, सरकार ने आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 युक्त फोर्टिफाइड चावल की शुरुआत की।
- मार्च 2024 तक, पीएमजीकेवाई, आईसीडीएस और पीएम पोषण जैसी योजनाओं के तहत 100% चावल फोर्टिफाइड कर दिया गया। इस पहल को ₹17,082 करोड़ के वित्तपोषण के साथ दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।



खाद्य वितरण प्रणालियों का आधुनिकीकरण

- पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, भारत ने स्मार्ट-पीडीएस (प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार योजना) शुरू की है।
- इसमें जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ई-केवाईसी और डिजिटल राशन कार्ड प्रबंधन शामिल है।
- मेरा राशन 2.0 (2024) के शुभारंभ ने उचित मूल्य की दुकानों के लिए वास्तविक समय की पात्रता जानकारी और स्थान विवरण प्रदान करके पहुँच को और बेहतर बनाया है।
- लगभग 99.9% राशन कार्ड आधार से जुड़े हैं, जबकि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) पहल देश भर में लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है।

5. पूरक हस्तक्षेप

- खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस-डी):** ओएमएसएस(डी) के तहत, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अधिशेष खाद्यान्नों को खुले बाजार में बेचा जाता है।
- भारत आटा और भारत चावल जैसे उत्पादों को सामर्थ्य बनाए रखने के लिए रियायती दरों पर पेश किया गया है।
- दालों में आत्मनिर्भरता का मिशन (2025-31):** अक्टूबर 2025 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य 35 लाख हेक्टेयर तक खेती का विस्तार करके दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिससे लगभग 2 करोड़ किसानों को लाभ होगा और पोषण संबंधी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

भारत का वैश्विक खाद्य नेतृत्व

विश्व खाद्य भारत 2025:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 90 से अधिक देशों और 2,000 प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ, एक वैश्विक खाद्य केंद्र के रूप में भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, निवेश और स्थिरता पर जोर दिया गया।

भारतीय थाली वैश्विक सुखियों में:

- भारत की पारंपरिक वनस्पति-आधारित थाली को डब्ल्यूडब्ल्यूएफ लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट में इसके पोषण मूल्य और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए मान्यता दी गई है।
- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के आहार पैटर्न को अपनाने से 2050 तक वैश्विक संसाधनों का उपयोग 0.84 पृथ्वी तक कम हो सकता है, जो इसकी स्थिरता और जलवायु-अनुकूलता को प्रमाणित करता है।

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ

- लगातार कुपोषण और छिपी हुई भूख:** बेहतर खाद्य उपलब्धता के बावजूद, भारत में अभी भी कुपोषण, एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के उच्च स्तर हैं, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में।
- जलवायु परिवर्तन और कृषि भेद्यता:** अनियमित वर्षा, मृदा क्षरण और बढ़ता तापमान खाद्यान्न उत्पादन और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है।
- फसल-उपरांत हानियाँ और आपूर्ति श्रृंखला की अक्षमताएँ:** अपर्याप्त शीत भंडारण, परिवहन अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण खाद्यान्न की भारी बर्बाद होती है।

4. **क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताएँ:** विभिन्न राज्यों और सामाजिक-आर्थिक समूहों में पौष्टिक भोजन तक पहुंच असमान बनी हुई है, तथा जनजातीय और दूरदराज के क्षेत्र अक्सर पीछे छूट जाते हैं।
5. **अनाज आधारित आहार पर अत्यधिक निर्भरता:** यद्यपि खाद्यान्न सुरक्षा में सुधार हुआ है, फिर भी आहार विविधता सीमित बनी हुई है, जिससे पोषण संबंधी परिणाम प्रभावित हो रहे हैं।
6. **पीडीएस में कार्यान्वयन और लीकेज:** डिजिटलीकरण के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में समावेशन और बहिष्करण संबंधी त्रुटियां तथा सीमित शिकायत निवारण की समस्याएं बनी हुई हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. **पोषण-संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देना:** संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए दालों, बाजरा और जैव-प्रबलित फसलों की ओर फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करें।
2. **जलवायु-अनुकूल खेती को मजबूत करना:** जलवायु प्रभावों को कम करने के लिए सटीक कृषि, सूखा प्रतिरोधी बीज और एकीकृत जल प्रबंधन जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
3. **फसल कटाई के बाद और खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना:** पीएम किसान संपदा योजना और विश्व खाद्य भारत पहल जैसी योजनाओं के तहत कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों का विस्तार करें।
4. **महिलाओं और छोटे किसानों को सशक्त बनाना:** खाद्य उत्पादन और घरेलू पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला किसानों को लक्षित ऋण, प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करना।
5. **सुदृढ़ीकरण और जैव-सुदृढ़ीकरण प्रयासों को गहन करना:** जागरूकता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए, चावल के अलावा गेहूं, तेल और नमक जैसे अन्य प्रमुख खाद्य पदार्थों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
6. **डेटा और निगरानी में सुधार:** जिला और ब्लॉक स्तर पर एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पोषण और खाद्य सुरक्षा संकेतकों की वास्तविक समय निगरानी स्थापित करना।
7. **वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना:** खाद्य सुरक्षा, व्यापार और टिकाऊ कृषि में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग करना।

निष्कर्ष :

1. विश्व खाद्य दिवस 2025 "बेहतर भविष्य के लिए बेहतर खाद्य पदार्थ" प्राप्त करने के दृष्टिकोण को पुष्ट करता है।

2. भारत की समग्र रणनीति—उत्पादन वृद्धि, पोषण सुधार और डिजिटल सुधारों का संयोजन—यह दर्शाती है कि खाद्य सुरक्षा कैसे समावेशी और टिकाऊ दोनों हो सकती है।
3. NFSA, PMGKAY, NFSNM, SMART-PDS और चावल संवर्धन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के साथ, भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी नागरिक भूखा न रहे और साथ ही पोषण-आधारित विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।
4. ध्यान खाद्यान्न पर्याप्तता से हटकर पोषण पर्याप्तता, जलवायु लचीलापन और स्थिरता पर केंद्रित होना चाहिए, जिससे भारत भूख और कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में एक वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित हो सके।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

- Q. भारत में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से संबंधित सरकारी पहलों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:

क्रमांक	योजना / मिशन	उद्देश्य
A.	पीएम पोषण	1.स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना
B.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA)	2. सभी नागरिकों को खाद्यान्न की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करना
C.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM)	3. खाद्यान्न उत्पादकता और पोषण परिणामों में सुधार
D.	चावल संवर्धन पहल	4. सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

विकल्प:

- (a) केवल A-1, B-2, C-3, D-4
(b) केवल A-2, B-1, C-3, D-4
(c) केवल A-1, B-3, C-2, D-4
(d) केवल A-4, B-2, C-1, D-3

उत्तर: (a) कूट : A — 1, B — 2, C — 3, D — 4

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

- Q. “खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना केवल पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी के लिए समान पहुंच और पोषण सुनिश्चित करना भी है।” इस कथन के आलोक में, सतत खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्राप्त करने में भारत की हालिया पहलों, जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (NFSNM), PMGKAY और SMART-PDS की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत की दलहन क्रांति 2.0 : आत्मनिर्भरता और किसानों की समृद्धि का मार्ग

समाचार में क्यों?

- भारत के प्रधानमंत्री ने 11 अक्टूबर, 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) का शुभारंभ किया।
- ₹11,440 करोड़ के कुल परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाकर और खेती के रकबे को 310 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाकर भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।
- यह चार वर्षों तक तुअर, उड़द और मसूर की 100% न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद सुनिश्चित करता है, जिससे लगभग 2 करोड़ किसानों को मुफ्त बीज वितरण, गुणवत्तापूर्ण इनपुट और मूल्य श्रृंखला समर्थन के माध्यम से लाभ होगा।

पृष्ठभूमि :

- भारत ने पिछले एक दशक में दलहन उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएम) के अंतर्गत, उत्पादन 2013-14 के 192.6 लाख टन से बढ़कर 2024-25 (तीसरे अग्रिम अनुमान) में 252.38 लाख टन हो गया है - जो 31% की वृद्धि है।
- हालांकि, घरेलू मांग उत्पादन से आगे निकलने के बावजूद, भारत ने 2023-24 में 47.38 लाख टन दालों का आयात किया, जबकि 5.94 लाख टन का निर्यात किया।
- आयात पर इस निर्भरता ने आत्मनिर्भरता की ओर संरचनात्मक बदलाव की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- इस अंतर को पाटने के लिए, सरकार ने दिसंबर 2027 तक दालों में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

निर्धारित किया, जिसमें तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- नया मिशन विजन 2047 के साथ संरेखित है, जो किसानों को सशक्त बनाने के लिए टिकाऊ उत्पादन, आय आश्वासन और आधुनिक, जलवायु-लचीली तकनीकों के उपयोग पर जोर देता है।
- ऐतिहासिक रूप से, दलहन विकास में भारत की यात्रा में अखिल भारतीय समन्वित दलहन सुधार परियोजना (1966), त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम (A3P, 2010-14) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जैसी पहल शामिल हैं।

MISSION FOR AATMANIRBHARTA IN PULSES

Objectives

- To drive production to 350 lakh tonnes by 2030-31
- To benefit ~2 crore farmers
- To reduce import dependency & meet rising demand

Source: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare

मिशन के उद्देश्य

दालों में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31) का उद्देश्य है:

1. दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आयात पर निर्भरता कम करना।
2. एमएसपी आश्वासन और बाजार संपर्क के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि।
3. दलहन क्षेत्र को 35 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना, विशेष रूप से चावल की परती और शुष्क भूमि में।
4. अंतरफसल, फसल विविधीकरण और जलवायु-अनुकूल खेती को बढ़ावा देना।
5. उच्च उपज देने वाली, कीट प्रतिरोधी, सूखा सहनशील किस्मों का विकास और वितरण करना।

6. 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज और 88 लाख निःशुल्क बीज किट के माध्यम से बीज प्रणाली को मजबूत करना।

परिचालन रणनीति



1. राज्य कार्यान्वयन और निगरानी:

- राज्य पंचवर्षीय चलित बीज योजनाएँ तैयार करेंगे, जिनकी निगरानी आईसीएआर द्वारा की जाएगी।
- SATHI पोर्टल (seedtrace.gov.in) बीजों की ट्रेसबिलिटी और बैंकिंग सुनिश्चित करेगा।
- एकीकृत कृषि सहायता :** मृदा स्वास्थ्य, संतुलित उर्वरक उपयोग, मशीनीकरण और पौध संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आईसीएआर, केवीके और राज्य विभाग बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय प्रदर्शन आयोजित करेंगे।
- खरीद और मूल्य आश्वासन :** पीएम-आशा के तहत, नैफेड और एनसीसीएफ चार वर्षों तक एमएसपी पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करेंगे।
- इससे समय पर भुगतान, उचित मूल्य और बाजार में कम अस्थिरता की गारंटी मिलती है।
- मूल्य श्रृंखला विकास :** प्रति इकाई ₹25 लाख की सब्सिडी के साथ 1,000 प्रसंस्करण और पैकेजिंग इकाइयाँ स्थापित करें।
- संसाधनों के कुशल उपयोग और क्षेत्रीय विशेषज्ञता के लिए क्लस्टर-आधारित मॉडल (जैसा कि नीति आयोग द्वारा) अपनाएँ।

साथी पोर्टल : डिजिटल बैकबोन

कृषि मंत्रालय और एनआईसी द्वारा विकसित बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसिबिलिटी और समग्र सूची (साथी) पोर्टल, पारदर्शी और छेड़-छाड़-रहित बीज आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करता है।

यह सम्पूर्ण बीज जीवन चक्र को स्वचालित बनाता है - उत्पादन और प्रमाणीकरण से लेकर बिक्री और लाइसेंसिंग तक - जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को प्रामाणिक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त हों।

पीएम-आशा : किसानों के लिए मूल्य आश्वासन

2018 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) का उद्देश्य दलहन, तिलहन और खोपरा उगाने वाले किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करना है।

इसमें शामिल है:

- मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) :** एमएसपी पर सीधी खरीद।
 - मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (पीडीपीएस) :** मूल्य अंतराल के लिए मुआवजा।
 - बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) :** नाशवान वस्तुओं के लिए स्थिरीकरण।
- यह योजना, जो 2024 में भी जारी रहेगी, लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करके तथा दालों की ओर विविधीकरण को प्रोत्साहित करके नए मिशन का पूरक बनेगी।

नीति आयोग की सिफारिशें (सितंबर 2025)

- चावल की परती भूमि में दालों का विस्तार और क्लस्टर आधारित विविधीकरण।
- स्थानीय बीज प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए “एक ब्लॉक-एक बीज गांव” दृष्टिकोण।
- समय पर, उच्च गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति के लिए एफपीओ-आधारित बीज केंद्रों को बढ़ावा देना।
- बिचौलियों को न्यूनतम करने के लिए खरीद केंद्रों और स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों को मजबूत करना।
- पोषण बढ़ाने के लिए पीडीएस और मध्याह्न भोजन योजनाओं में दालों को शामिल करना।
- मशीनीकरण, कुशल सिंचाई, जैव-उर्वरक और जलवायु-अनुकूल किस्मों को अपनाना।
- वास्तविक समय प्रतिक्रिया के लिए डेटा-संचालित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और SATHI-आधारित निगरानी का उपयोग।

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31): 2030-31 तक अपेक्षित परिणाम

पैरामीटर	लक्ष्य / अनुमानित उपलब्धि
दालों की खेती का क्षेत्र	310 लाख हेक्टेयर

कुल उत्पादन	350 लाख टन
औसत उत्पादकता (कमाई)	1,130 किग्रा प्रति हेक्टेयर
किसानों को लाभ	लगभग 2 करोड़ किसान
प्रमाणित बीज वितरण	126 लाख क्विंटल
निःशुल्क बीज किट वितरण	88 लाख किट
प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना	1,000 इकाइयाँ (₹25 लाख सब्सिडी प्रति यूनिट)

मिशन का महत्व

- पोषण सुरक्षा:** प्रोटीन का सेवन बढ़ाता है और दालों की उपलब्धता बढ़ाकर कुपोषण को कम करता है।
- आर्थिक सशक्तिकरण :** एमएसपी आधारित खरीद के माध्यम से ग्रामीण आय को बढ़ावा मिलता है और स्थिर लाभ मिलता है।
- आयात प्रतिस्थापन :** आयातित दालों पर निर्भरता कम करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत होती है।
- स्थिरता :** नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है।
- रोजगार सृजन :** कृषि-उद्योगों, प्रसंस्करण इकाइयों और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।
- जलवायु लचीलापन :** बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल सूखा-सहिष्णु और कीट-प्रतिरोधी किस्मों को बढ़ावा देना।

समाधान / आगे की राह :

- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना :** उच्च उपज देने वाली, कम अवधि वाली तथा जलवायु-अनुकूल दालों की किस्मों के विकास के लिए आईसीएआर तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाना।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें :** बीज उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना ताकि परिचालन को कुशलतापूर्वक बढ़ाया जा सके।
- सिंचाई अवसंरचना का विस्तार :** वर्षा आधारित दलहन उत्पादन वाले क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज और जल-उपयोग दक्षता में वृद्धि करना।
- विस्तार सेवाओं को मजबूत करें उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए केवीके, एफपीओ और डिजिटल सलाहकार प्रणालियों के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाना।
- खाद्य योजनाओं में दालों को शामिल करना :** पोषण सुरक्षा और स्थिर घरेलू मांग सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस, मध्याह्न भोजन

और आईसीडीएस को मुख्यधारा में लाना।

- डिजिटल कृषि का लाभ उठाएँ :** वास्तविक समय फसल पूर्वानुमान और कीट प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग, एआई और जीआईएस-आधारित निगरानी जैसे उपकरणों का उपयोग करें।
- बाजार स्थिरता बनाए रखना :** बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान किसानों की सुरक्षा के लिए विकेन्द्रीकृत खरीद नेटवर्क और मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना करें।
- फसल बीमा कवरेज को प्रोत्साहित करें :** मौसम और कीट जोखिम को कम करने के लिए दालों के लिए पीएमएफबीवाई कवरेज सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष :

- दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन पोषण संबंधी आत्मनिर्भरता, किसानों की समृद्धि और टिकाऊ कृषि की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
- विज्ञान, नीति और किसान कल्याण को एकीकृत करके, यह मिशन न केवल आयात पर निर्भरता समाप्त करना चाहता है, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के अनुरूप एक सुदृढ़ कृषि-अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करना चाहता है।
- निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से, भारत वास्तव में "सतत दलहन उत्पादन का वैश्विक केंद्र" बन सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की गरिमा दोनों सुनिश्चित हो सकें।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।
- यह चार वर्षों के लिए तुअर, उड़द और मसूर की 100% एमएसपी खरीद सुनिश्चित करता है।
- SATHI पोर्टल का उपयोग बीज प्रमाणीकरण और पता लगाने के लिए किया जाता है।
- इसका क्रियान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 4 (d) 1, 2, 3, और 4

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

- Q. "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-31) का उद्देश्य भारत को शुद्ध आयातक से आत्मनिर्भर उत्पादक में बदलना है। इस पहल के महत्व, प्रमुख परिचालन रणनीतियों तथा इसके क्रियान्वयन में संभावित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इसके साथ ही, भारत में सतत दलहन उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए।"

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

PLUTUS IAS UPSC/PCS **UPSC CSE 2025-26**

इतिहास वैकल्पिक

बैच आरंभ: **21st नवंबर 2025**

ADMISSIONS OPEN

ONLINE BATCH AVAILABLE AT CHANDIGARH

HISTORY FOR UPSC WHATAPP CHANNEL

2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station
Gate No. - 8, New Delhi 110005

OUR CENTERS Delhi | Chandigarh | Shimla | Bilaspur

+91 8448440231 | www.plutusias.com | info@plutusias.com

By Sabiha Khan
UGC Net qualified and two times written
UPSC mains and one time interview faced
Green security in Delhi University

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारत की साइबर धोखाधड़ी पर प्रतिक्रिया : ऑनलाइन व्यवस्था से नागरिकों की सुरक्षा

समाचार में क्यों?

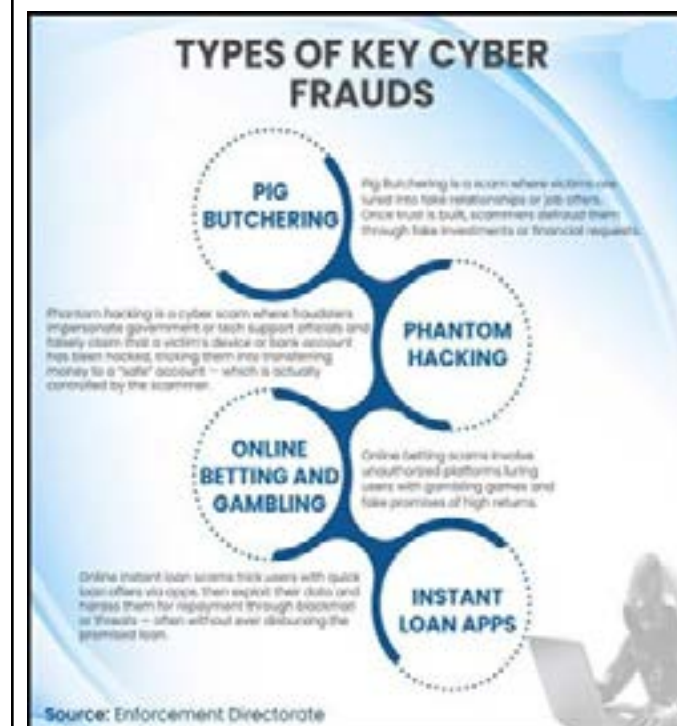


- भारत के साइबरस्पेस में साइबर धोखाधड़ी में नाटकीय वृद्धि देखी जा रही है, जिससे साइबर सुरक्षा एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गई है। 86% से ज़्यादा घरों के अब इंटरनेट से जुड़ने के साथ, डिजिटल इंडिया पहल ने ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच काफ़ी बढ़ा दी है।
- हालाँकि, इस वृद्धि ने साइबर अपराधियों के लिए हमले का दायरा भी बढ़ा दिया है।
- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के हालिया आंकड़ों से साइबर सुरक्षा की घटनाओं में वृद्धि का पता चलता है—2022 में 10.29 लाख मामलों से बढ़कर 2024 में 22.68 लाख मामले।
- 28 फ़रवरी, 2025 तक, ₹36.45 लाख मूल्य की साइबर धोखाधड़ी की सूचना मिली है, जो बढ़ते खतरों और बेहतर रिपोर्टिंग तंत्र, दोनों को दर्शाती है।

साइबर धोखाधड़ी के रुझानों पर नज़र रखना

साइबर धोखाधड़ी तेज़ी से विकसित हो रही है, और घोटाले अब एक तकनीक तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि विभिन्न तरीकों में फैल रहे हैं जो लगातार नई तकनीकों और बदलती उपयोगकर्ता आदतों के अनुकूल होते रहते हैं। प्रभावी रोकथाम रणनीतियों

को विकसित करने के लिए इन प्रवृत्तियों की पहचान और विश्लेषण आवश्यक है। दुनिया भर में हो रहे भारी वित्तीय नुकसान इन अपराधों के अंतरराष्ट्रीय स्तर को उजागर करते हैं, जो अक्सर संगठित आपराधिक नेटवर्क द्वारा संचालित होते हैं, जिनमें दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में संचालित तथाकथित "धोखाधड़ी कारखाने" भी शामिल हैं।



उभरते साइबर खतरे

- साइबर अपराधी विश्वसनीय स्रोत बनकर या भ्रामक संदेश भेजकर उपयोगकर्ताओं को ठगने के लिए स्फूर्ति, एआई-संचालित डीप फेक और फ़िशिंग स्कैम का इस्तेमाल तेज़ी से कर रहे हैं।
- ये विकसित हो रहे तरीके डिजिटल धोखाधड़ी को और व्यापक और पहचानना मुश्किल बना रहे हैं। भारत की लोकप्रिय भुगतान प्रणाली, यूपीआई, को हैक किए गए मोबाइल नंबरों के ज़रिए निशाना बनाया गया है।
- इससे निपटने के लिए, दूरसंचार विभाग (DoT) ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) लॉन्च किया है, जो संदिग्ध

नंबरों को मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के रूप में चिह्नित करता है।

- इस बीच, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स एक और खतरा बनकर उभरे हैं, जो उपयोगकर्ताओं को उच्च रिस्क के झूठे वादों से लुभाते हैं। इन घोटालों ने कथित तौर पर ₹400 करोड़ से ज़्यादा का आपराधिक मुनाफ़ा कमाया है।

भारत का साइबर सुरक्षा ढांचा: डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करना

- जैसे-जैसे भारत तेज़ी से डिजिटल होता जा रहा है, सरकार ने अपनी बढ़ती ऑनलाइन आबादी की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।
- इंटरनेट अब दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है—व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच को सशक्त बना रहा है—और एक सुरक्षित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
- अग्रिम पंक्ति की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, 1,05,796 से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों को CyTrain पोर्टल पर नामांकित किया गया है, और 82,704 से ज़्यादा प्रशिक्षण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जिससे देश भर में साइबर अपराध जाँच कौशल में वृद्धि हुई है।

भारत के साइबरस्पेस को सुरक्षित करने वाले प्रमुख साइबर कानून

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** भारत के साइबर कानून की आधारशिला, यह अधिनियम पहचान की चोरी, छद्मवेश, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अश्लील सामग्री के वितरण जैसे अपराधों को कवर करता है।
- यह अधिकारियों को हानिकारक वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक करने का अधिकार भी देता है, जिससे डिजिटल वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है।

भारत के साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र पर एक नज़र

पहल / एजेंसी	भूमिका / उद्देश्य	मुख्य अंश
CERT-In (कंप्यूटर इमरजेंसी रिसर्प्स टीम - इंडिया)	साइबर घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी	- मार्च 2025 तक 109 मॉक ड्रिल आयोजित 1,438 संगठनों की भागीदारी
NCIIPC (नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर)	महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (बैंकिंग, बिजली, दूरसंचार, परिवहन) की सुरक्षा	24x7 निगरानी - क्षेत्र-विशिष्ट खतरा आकलन और दिशानिर्देश
I4C (इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर)	साइबर अपराध जांच का समन्वय और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) की क्षमता निर्माण	3,962 स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक - प्रशिक्षण, उपकरण और सूचना-साझाकरण में सहयोग

- आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन मार्केटप्लेस पर जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। ये नियम एआई सहित उभरती तकनीकों के दुरुपयोग को रोकते हैं और गैरकानूनी सामग्री को तुरंत हटाने की आवश्यकता बताते हैं।

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023:** यह अधिनियम व्यक्तिगत डेटा के वैध और सहमति-आधारित संचालन को अनिवार्य बनाता है, जिससे गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ती है। यह डेटा संचालकों पर अनधिकृत पहुँच या दुरुपयोग को रोकने की सख्त ज़िम्मेदारियाँ डालता है, जो एक सुरक्षित डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



CFCFRMS (सेंट्रल फ़्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम)	वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और त्वरित कार्रवाई	₹5,489 करोड़ की बचत 17.82 लाख शिकायतों का निपटारा
बजट 2025 आवंटन	साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय समर्थन	₹782 करोड़ आवंटित
साइबर अपराध पोर्टल (cybercrime.gov.in)	जनता के लिए साइबर अपराध रिपोर्टिंग मंच	- हेल्पलाइन 1930 वास्तविक समय सहायता के लिए - महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर फोकस
NM-ICPS (नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम्स)	साइबर सुरक्षा, एआई और नवाचार में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा	- उपकरण व प्लेटफॉर्म विकास - बहु-क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन
CCPWC योजना	महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम	₹132.93 करोड़ का वित्त पोषण 33 प्रयोगशालाएँ स्थापित 24,600+ कर्मियों का प्रशिक्षण
CCMP (साइबर संकट प्रबंधन योजना)	साइबर हमलों से निपटने और पुनर्प्राप्ति की तैयारी सुनिश्चित करना	देशभर में 205 कार्यशालाएँ आयोजित
समन्वय प्लेटफॉर्म	एनालिटिक्स द्वारा राज्यों के बीच साइबर अपराध जांच का एकीकरण	12,987 गिरफ्तारियाँ 1.5 लाख+ आपराधिक लिंक 70,584 जांच सहायता
सहयोग पोर्टल	गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री को शीघ्र हटाने के लिए केंद्रीकृत प्रणाली	- केंद्रीकृत निष्कासन नोटिस - सभी अधिकृत एजेंसियों के लिए एकीकृत मंच

साइबर सुरक्षा अभ्यास

भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2025, 21 जुलाई से 1 अगस्त तक आयोजित किया गया, जिसने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

- इस कार्यक्रम में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, नियामकों और नीति निर्माताओं सहित 600 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- इसका मुख्य आकर्षण STRATEX था, जो एक नकली राष्ट्रीय साइबर उल्लंघन था जिसने एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में समन्वय और निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण किया।
- इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में साइबर सुरक्षा पर प्रकाश डाला गया
- आगामी 9वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC 2025) में, साइबर सुरक्षा एक प्रमुख फोकस होगा, जो डिजिटल नेटवर्क और उभरती प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा के लिए भारत के प्रयासों को रेखांकित करेगा।
- "इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म" थीम वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 से 11 अक्टूबर तक यशोभूमि, नई दिल्ली में करेंगे। IMC 2025 साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन और भारत 6G संगोष्ठी सहित छह वैश्विक शिखर सम्मेलनों की

मेजबानी करेगा, जो अगली पीढ़ी की डिजिटल प्रौद्योगिकियों में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डालेंगे।

- प्रमुख विषयों में 6G, साइबर सुरक्षा, उपग्रह संचार, AI, IoT और दूरसंचार विनिर्माण शामिल हैं। कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक आगंतुकों, 7,000+ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और 400+ प्रदर्शकों के आकर्षित होने की उम्मीद है

7. भारत की डिजिटल गति

- भारत 1.2 बिलियन मोबाइल ग्राहकों और 970 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ अपने तीव्र 5G रोलआउट का जश्न मना रहा है, सुरक्षित, समावेशी और स्केलेबल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने से देश की विश्वसनीय और परिवर्तनकारी डिजिटल बुनियादी ढांचे के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थिति मजबूत होती है।

साइबर जागरूकता

- साइबर अपराधों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार ने बहु-प्लेटफॉर्म आउटरीच रणनीति अपनाई है।
- सरकार ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए रेडियो, समाचार पत्रों और मेट्रो

घोषणाओं के माध्यम से नागरिक-केंद्रित जागरूकता अभियान चलाए हैं।

- राष्ट्रीय सतर्कता बढ़ाने के लिए, CERT-In द्वारा स्थापित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (NCCC), मौजूदा और उभरते साइबर सुरक्षा खतरों की निगरानी करता है ताकि वास्तविक समय में स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान की जा सके।
- MyGov प्लेटफॉर्म पर आयोजित साइबर सुरक्षा और सुरक्षा जागरूकता सप्ताहों के माध्यम से जनभागीदारी को और मजबूत किया जाता है, जिससे सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- युवाओं में सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किशोरों और छात्रों के लिए एक समर्पित पुस्तिका भी जारी की गई है।

निष्कर्ष:

- भारत डिजिटल परिवर्तन और साइबर खतरों के चौराहे पर खड़ा है, जहाँ यह प्रगति का एक प्रमुख स्तंभ और साइबर धोखाधड़ियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है।
- डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करते हुए, सरकार की बहुस्तरीय साइबर प्रतिक्रिया टीम धोखाधड़ी की रोकथाम में मदद कर रही है और हजारों घोटालेबाजों को नाकाम कर रही है।
- उन्नत फोरेंसिक, बिग डेटा एनालिटिक्स और स्वदेशी उपकरणों ने राष्ट्रीय साइबर लचीलेपन को मजबूत किया है।
- फिर भी, भारत के साइबरस्पेस की सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, जहाँ साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ इस लड़ाई में सरकार और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत की साइबर सुरक्षा पहलों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
- वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा शुरू किया गया एक उपकरण है।
- सीईआरटी-इन साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है।
- साइबर्ट्रेन प्लेटफॉर्म को न्यायिक अधिकारियों को साइबर कानूनों में प्रशिक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. डिजिटल इंडिया पहल के तहत सेवाओं के तीव्र डिजिटलीकरण ने जहाँ एक ओर सुशासन और समावेशन को बढ़ावा दिया है, वहीं साइबर धोखाधड़ी नागरिकों, संस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती के रूप में उभरी है। भारत में साइबर धोखाधड़ी की बदलती प्रकृति पर चर्चा कीजिए तथा उनसे निपटने हेतु सरकार की बहुआयामी रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क : ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस को मजबूत करना

समाचार में क्यों?



इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा सितंबर 2024 में ₹64.76 करोड़ के बजट परियोजना के साथ राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (NBF) को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2025 तक, भारत के ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर 34 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है—जो विश्वास-आधारित डिजिटल शासन की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है?

ब्लॉकचेन एक वितरित, सुरक्षित और अपरिवर्तनीय डिजिटल बहीखाता है जो कंप्यूटरों के एक नेटवर्क पर लेनदेन रिकॉर्ड करता है। पारंपरिक केंद्रीकृत डेटाबेस के विपरीत, ब्लॉकचेन पारदर्शिता, पता लगाने की क्षमता और छेड़छाड़-रोधी क्षमता प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि एक बार डेटा रिकॉर्ड हो जाने के बाद, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।

ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के प्रकार

- सार्वजनिक ब्लॉकचेन:** सभी के लिए खुला; कोई भी डेटा पढ़ या लिख सकता है। उदाहरण: बिटकॉइन, एथेरियम।
- निजी ब्लॉकचेन:** केवल अधिकृत संस्थाओं तक सीमित; उदाहरण: सरकारी या उद्यम प्रणाली।
- कंसोर्टियम ब्लॉकचेन:** अर्ध-विकेंद्रीकृत, संगठनों के समूह द्वारा प्रबंधित; उदाहरण: बैंकिंग कंसोर्टिया, व्यापार नेटवर्क।
- हाइब्रिड ब्लॉकचेन:** सार्वजनिक पारदर्शिता और निजी नियंत्रण का संयोजन; उदाहरण: राष्ट्रीय डिजिटल शासन प्रणालियाँ।

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (एनबीएफ) क्या है?

सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया, एनबीएफ ब्लॉकचेन-आधारित गवर्नेंस समाधानों को लागू करने के लिए एक एकीकृत आर्किटेक्चर प्रदान करता है। इसे भुवनेश्वर, पुणे और हैदराबाद स्थित एनआईसी डेटा केंद्रों में होस्ट किया गया है, जो मापनीयता, दोष सहिष्णुता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मुख्य घटक:

- विश्वस्य ब्लॉकचेन स्टैक** - भारत का स्वदेशी ब्लॉकचेन-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्लेटफॉर्म।
- एनबीएफलाइट** - स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और डेवलपर्स के लिए एक सैंडबॉक्स।
- प्रमाणिक** - मोबाइल ऐप्स की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए एक ब्लॉकचेन टूल।
- राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल** - ब्लॉकचेन नीतियों, मानकों और उपयोग मामलों के लिए केंद्रीकृत भंडार।

एनबीएफ के प्रमुख गुण

- अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन परत** : केवल सत्यापित प्रतिभागी लेनदेन को मान्य कर सकते हैं।
- वितरित बुनियादी ढांचा** : लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए कई NIC डेटा केंद्रों में तैनात।

- ओपन एपीआई और एकीकरण सेवाएँ** : ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों के साथ अंतर-संचालन सक्षम करता है।
- मापनीयता और दोष सहनशीलता** : बड़े पैमाने पर सरकारी और उद्यम उपयोग के लिए डिज़ाइन।

एनबीएफ के प्रमुख डोमेन और ब्लॉकचेन उपयोग

- प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ श्रृंखला** : आधिकारिक दस्तावेजों का सुरक्षित जारीकरण और पुनर्प्राप्ति; 34 करोड़ दस्तावेज़ सत्यापित, जैसे CBSE प्रमाण पत्र और जाति/आय प्रमाण।
- रसद श्रृंखला** : माल की आवाजाही पर छेड़छाड़-रोधी ट्रैकिंग; उदाहरण: Aushada, कर्नाटक की दवा ट्रैकिंग प्रणाली।
- न्यायपालिका श्रृंखला** : अपरिवर्तनीय और समय-मुद्रित न्यायिक अभिलेख; 665 न्यायिक दस्तावेज़ सत्यापित।
- अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS)** : आपराधिक मामलों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड; 39,000+ ICJS दस्तावेज़ सत्यापित।
- संपत्ति श्रृंखला** : पारदर्शी संपत्ति लेनदेन और स्वामित्व रिकॉर्ड; 34 करोड़ से अधिक संपत्ति दस्तावेज़ ब्लॉकचेन पर सत्यापित।

भारत में ब्लॉकचेन को अपनाने के लिए नियामक ढांचा :

1. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) :

- शासन, वित्त और रसद में ब्लॉकचेन एकीकरण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति (2021) तैयार की।
- सरकार द्वारा अपनाने के लिए एकीकृत वास्तुकला प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (एनबीएफ) विकसित किया गया।

2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) :

- सार्वजनिक क्षेत्र की ब्लॉकचेन परियोजनाओं के लिए परामर्श, अवधारणा-प्रमाण (पीओसी) समर्थन और तकनीकी अवसंरचना प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की गई।
- CoE हाइपरलेजर फैब्रिक, सॉट्यूथ और एथेरियम जैसे ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म पर काम करता है।

3. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) :

- अवांछित वाणिज्यिक संचार (स्पैम) को विनियमित करने के लिए दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत वितरित लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) को शामिल किया गया।
- प्रमुख संस्थाओं (पीई) और टेलीमार्केटर्स (टीएम) सहित 1.13 लाख से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं, जिससे संपूर्ण एसएमएस ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित होती है।

4. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) :

- पारदर्शी, पता लगाने योग्य और वास्तविक समय खुदरा और थोक भुगतान के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करके डिजिटल रुपया (e₹) का संचालन। वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन आधारित फिनटेक नवाचारों को प्रोत्साहित करना।

5. नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) :

- डिबेंचर अनुबंध निगरानी के लिए डीएलटी-आधारित प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया, जिससे परिसंपत्ति शुल्क और अनुपालन के लिए एक अपरिवर्तनीय खाता बनाया गया।
- पूंजी बाजार में निवेशकों का विश्वास और पारदर्शिता मजबूत होती है।

भारत में ब्लॉकचेन अपनाने की चुनौतियाँ :

- अंतरसंचालनीयता संबंधी मुद्दे :** अनेक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म अलग-अलग काम करते हैं, तथा उनमें डेटा साझाकरण और अंतर-संचालन के लिए मानक प्रोटोकॉल का अभाव होता है।
- मापनीयता बाधाएँ :** उच्च कम्प्यूटेशनल मांग और लेन-देन भार के कारण नेटवर्क में भीड़भाड़ हो सकती है और बड़े परिनियोजनों में विलंबता बढ़ सकती है।
- कौशल की कमी :** प्रशिक्षित ब्लॉकचेन डेवलपर्स, लेखा परीक्षकों और नियामकों का सीमित समूह व्यापक कार्यान्वयन में बाधा डालता है।
- नियामक अस्पष्टता :** समर्पित ब्लॉकचेन कानून या राष्ट्रीय डेटा-साझाकरण कानून का अभाव अनुपालन और गोपनीयता प्रवर्तन को जटिल बनाता है।
- डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा :** संवेदनशील डेटा (जैसे स्वास्थ्य या कानूनी रिकॉर्ड) के लिए आवश्यक गोपनीयता के साथ पारदर्शिता का संतुलन बनाना जटिल बना हुआ है।
- उच्च प्रारंभिक लागत :** बुनियादी ढांचे की तैनाती, नोड सेटअप और रखरखाव की लागत महत्वपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से छोटे सरकारी विभागों के लिए।
- परिवर्तन का प्रतिरोध :** नौकरशाही की जड़ता और ब्लॉकचेन की क्षमता के बारे में जागरूकता की कमी अक्सर संस्थागत अपनाने की गति को धीमा कर देती है।

समाधान / आगे की राह :

- मानकीकरण और अंतरसंचालनीयता :** मंत्रालयों और राज्य सरकारों में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन मानक और अंतर-संचालनीयता प्रोटोकॉल विकसित करना।
- कानूनी और नियामक स्पष्टता :** ब्लॉकचेन-आधारित अभिलेखों

और स्मार्ट अनुबंधों की कानूनी मान्यता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित ब्लॉकचेन और वितरित लेजर विनियमन अधिनियम लागू करना।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) :** समाधान विकास और क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण :** बुद्धिमान, डेटा-संचालित शासन के लिए ब्लॉकचेन को AI, IoT और बिग डेटा के साथ संयोजित करें।
- डेटा संरक्षण ढांचे को मजबूत करना :** नागरिक डेटा की सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन पहल को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपीए) 2023 के साथ संरेखित करें।
- अवधारणा-प्रमाण परियोजनाओं का विस्तार :** भूमि रिकॉर्ड श्रृंखला, जीएसटी श्रृंखला, ब्लड बैंक श्रृंखला और पीडीएस श्रृंखला जैसे ब्लॉकचेन पायलटों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना।
- स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना :** आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत में विकसित ब्लॉकचेन स्टैक और क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग :** भारत को विश्वसनीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में अग्रणी बनाने के लिए वैश्विक ब्लॉकचेन मंचों और सीमा-पार अंतर-संचालनीयता परियोजनाओं में भाग लेना।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय ब्लॉकचेन ढाँचा, विश्वसनीय डिजिटल शासन की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शासन, न्यायपालिका, आपूर्ति श्रृंखलाओं और वित्तीय प्रणालियों में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करके, भारत न केवल डिजिटल इंडिया और आत्म-निर्भर भारत को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि सुरक्षित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी प्रणालियों में खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में भी स्थापित कर रहा है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

कथन-I : सार्वजनिक ब्लॉकचेन धोखाधड़ी और साइबर हमलों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

कथन-II : सार्वजनिक ब्लॉकचेन में सभी नोड्स रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं और लेनदेन को सत्यापित कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(a) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, और कथन II, कथन I का सही स्पष्टीकरण है

(b) कथन I और कथन II दोनों सही हैं, लेकिन कथन II, कथन I का सही स्पष्टीकरण नहीं है

(c) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है

(d) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

- Q. चर्चा कीजिए कि राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क (एनबीएफ) किस प्रकार डिजिटल शासन को मजबूत कर सकता है और भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण में नागरिकों का विश्वास बढ़ा सकता है।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

PLUTUS IAS
UPSC / PCS

हिंदी माध्यम

स्टेट पीसीएस

सामान्य अध्ययन

कक्षाएँ आरंभ
18th नवंबर 2025

Know More

2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station
Gate No. - 6, New Delhi 110005

OUR CENTERS Delhi | Chandigarh | Shimla | Bilaspur

+91-8448440231

info@plutusias.com

www.plutusias.com



भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) की घटती संख्या

समाचार में क्यों?



- केंद्र सरकार ने भारत में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) में उल्लेखनीय गिरावट की घोषणा की है, जिसके तहत 2025 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर 11 रह जाएगी, जो मार्च 2025 में 18 और 2013 में 126 थी।
- पिछले सात महीनों में "सबसे अधिक प्रभावित जिलों" की संख्या भी छह से घटकर तीन हो गई है।
- गृह मंत्री अमित शाह ने इसे "नक्सलवाद के उन्मूलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर" बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंक-मुक्त भारत के दृष्टिकोण, निरंतर आतंकवाद-रोधी प्रयासों और जन-केंद्रित विकास ने इस आंदोलन को काफी कमजोर कर दिया है।
- सरकार का लक्ष्य 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से उन्मूलन करना है।

वामपंथी उग्रवाद और लाल गलियारे पर डेटा

'लाल गलियारा' उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां वामपंथी उग्रवाद का पारंपरिक रूप से बोलबाला रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं।

1. 2010 में लगभग 223 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे: 2023 तक यह संख्या घटकर लगभग 70 रह जाएगी, तथा केवल 25 जिलों में ही महत्वपूर्ण गतिविधियां देखी जाएंगी।
2. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 2010 से वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में लगभग 77% की कमी आई है, तथा नागरिक और सुरक्षा बलों की हताहतों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है।
3. सबसे अधिक प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा हैं, विशेषकर छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र।
4. पीआईबी (दिसंबर 2024) के अनुसार, केवल 38 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित रह गए हैं, जो पर्याप्त सुधार दर्शाता है।
5. पिछले पांच वर्षों में 60 जिले माओवादी प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं।
6. 2014 और 2023 के बीच, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में 52% की कमी आई है, और मौतों में 69% की कमी आई है, जबकि पिछले दशक (2005-2014) की तुलना में यह कमी आई है।
7. 2022 में, तीन दशकों में पहली बार, वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हताहतों की संख्या 100 से नीचे आ गई, जो भारत की उग्रवाद विरोधी रणनीति में एक बड़ी सफलता है।

वामपंथी उग्रवाद के कारण

वामपंथी उग्रवाद का जारी रहना गहरे सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक असंतुलनों से उत्पन्न होता है:

1. **आर्थिक असमानताएँ:** व्यापक गरीबी, भूमिहीनता और बेरोजगारी, खासकर आदिवासी इलाकों में, ने असंतोष को बढ़ावा दिया है। उचित मुआवजे या पुनर्वास के बिना संसाधनों के दोहन ने स्थानीय लोगों को अलग-थलग कर दिया है।
2. **राजनीतिक अलगाव:** जनजातीय और हाशिए पर पड़े समूह अक्सर मुख्यधारा की राजनीति और स्थानीय शासन से अलग-थलग महसूस करते हैं, जिसके कारण वे चरमपंथी विचारधाराओं की ओर अग्रसर होते हैं।
3. **प्रशासनिक चूक:** खराब शासन, भ्रष्टाचार और अपर्याप्त कानून प्रवर्तन ने शासन में शून्यता पैदा कर दी है जिसका माओवादियों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है।

4. **सामाजिक अन्याय और मानवाधिकार उल्लंघन:** विस्थापन, पुलिस की ज्यादतियां और पुनर्वास की कमी ने राज्य के प्रति क्रोध और अविश्वास को बढ़ावा दिया है।
5. **भूमि सुधारों की विफलता:** अप्रभावी पुनर्वितरण और अभिजात वर्ग द्वारा अवैध भूमि अधिग्रहण ने असमानताओं को और बढ़ा दिया है।
6. **बिचौलियों द्वारा शोषण:** संस्थागत समर्थन के अभाव में आदिवासी किसानों और वनवासियों को बाजारों में लगातार शोषण का सामना करना पड़ता है।
7. **कमजोर कानून प्रवर्तन:** कठिन भूभाग, सीमित पुलिस उपस्थिति और सैन्य संबंधी चुनौतियां प्रभावी संचालन में बाधा डालती हैं।

वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकारी नीतियां

1. सुरक्षा उपाय

- **ऑपरेशन समाधान :** खुफिया जानकारी आधारित ऑपरेशन, केंद्रीय और राज्य बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई और सुदृढ़ पुलिस बुनियादी ढांचे को मिलाकर एक समग्र रणनीति।
- **सीएपीएफ की तैनाती:** सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन जैसी विशिष्ट इकाइयां माओवादी समूहों को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- सुरक्षा रिक्तता को भरने के लिए वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में 175 नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना (2019 से)।

2. विकासात्मक पहल

- **विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस):** सड़क, दूरसंचार और सेवा संपर्क को बढ़ाती है।
- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम:** पिछड़े जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास को लक्ष्य करता है।
- **कौशल विकास और रोजगार:** स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मनरेगा और आजीविका कार्यक्रमों का विस्तार। प्रभावित क्षेत्रों में 13,620 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और 13,823 दूरसंचार टावरों की स्थापना।
- 30 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में 4,903 डाकघरों, 955 बैंक शाखाओं और 839 एटीएम के माध्यम से वित्तीय समावेशन।
- 3. **समर्पण और पुनर्वास:** आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को वित्तीय सहायता, आवास और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली व्यापक पुनर्वास नीतियां। छत्तीसगढ़ और झारखंड के सफल उदाहरण मानवीय पुनर्एकीकरण उपायों के प्रभाव को उजागर करते हैं।
- 4. **राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना (2015):** चरमपंथ के लक्षकों और मूल कारणों दोनों को संबोधित करने के लिए सुरक्षा, अधिकार-आधारित विकास और सुशासन को एकीकृत करता है।

5. **वित्तीय और रसद नियंत्रण:** माओवादी अभियानों के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले जबरन वसूली नेटवर्क और अवैध खनन राजस्व पर नज़र रखकर धन की निकासी की जा रही है।

वामपंथी उग्रवाद उन्मूलन में चुनौतियां

1. **भौगोलिक बाधाएँ :** घने जंगल और खराब संपर्क माओवादियों को प्राकृतिक आश्रय प्रदान करते हैं।
2. **स्थानीय समर्थन:** गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक-आर्थिक शिकायतें हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच सीमित समर्थन बनाए रखती हैं।
3. **सुरक्षा बलों की क्षति :** वर्ष 2000 से अब तक 12,000 से अधिक जानें जा चुकी हैं, आईईडी एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
4. **माओवादी वित्तपोषण :** निरंतर जबरन वसूली और अवैध खनन से उग्रवादियों को सहायता मिलती है।
5. **धीमी गति से विकास कार्यान्वयन :** भ्रष्टाचार और नौकरशाही संबंधी बाधाएं जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने में देरी करती हैं।
6. **उन्नत युद्ध रणनीति:** ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संदेश और साइबर प्रचार का उपयोग जवाबी कार्रवाई को जटिल बना देता है।
7. **मानवाधिकार चिंताएँ:** अत्यधिक बल प्रयोग और गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने से स्थानीय लोग अलग-थलग पड़ सकते हैं और माओवादी विचारों को बल मिल सकता है।

वामपंथी उग्रवाद उन्मूलन में चुनौतियाँ

1. **भौगोलिक बाधाएँ :** घने जंगल और खराब संपर्क माओवादियों को प्राकृतिक आश्रय प्रदान करते हैं।
2. **स्थानीय समर्थन:** गहरी जड़ें जमाए बैठी सामाजिक-आर्थिक शिकायतें हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच सीमित समर्थन बनाए रखती हैं।
3. **सुरक्षा बलों की क्षति:** वर्ष 2000 से अब तक 12,000 से अधिक जानें जा चुकी हैं; आईईडी एक बड़ा खतरा बना हुआ है।
4. **माओवादी वित्तपोषण:** निरंतर जबरन वसूली और अवैध खनन से उग्रवादियों को सहायता मिलती है।
5. **धीमी गति से विकास कार्यान्वयन:** भ्रष्टाचार और नौकरशाही संबंधी बाधाएं जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने में देरी करती हैं।
6. **उन्नत युद्ध रणनीति:** ड्रोन, एन्क्रिप्टेड संदेश और साइबर प्रचार का उपयोग जवाबी कार्रवाई को जटिल बना देता है।
7. **मानवाधिकार चिंताएँ:** अत्यधिक बल प्रयोग और गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने से स्थानीय लोग अलग-थलग पड़ सकते हैं और माओवादी विचारों को बल मिल सकता है।

वामपंथी उग्रवाद में हालिया रुझान

1. घटना प्रभाव: माओवादी गढ़ों और हिंसा में तीव्र गिरावट, कई वरिष्ठ नेता निष्प्रभावी।
2. रणनीति में बदलाव: प्रत्यक्ष टकराव के स्थान पर आईईडी और डिजिटल प्रचार का उपयोग बढ़ गया।
3. राज्य स्तरीय सफलताएँ: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने वामपंथी उग्रवाद को लगभग समाप्त कर दिया है, ओडिशा और झारखंड ने बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं।
4. बुनियादी ढांचे पर हमले: राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए सड़कों, दूरसंचार टावरों और विकास परियोजनाओं को निशाना बनाया जा रहा है।
5. आत्मसमर्पण में वृद्धि: माफी योजनाओं और आंतरिक माओवादी विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर पलायन।

समाधान / आगे की राह :

फोकस क्षेत्र	प्रमुख कार्यवाहियाँ
1. सुरक्षा को मजबूत करना	• अंतर-राज्यीय समन्वय और संयुक्त खुफिया साझाकरण को बढ़ाना। • प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी (ड्रोन, एआई, उपग्रह मानचित्रण) का उपयोग। • सामुदायिक सहभागिता घटकों के साथ विशेषीकृत आतंकवाद-रोधी बलों का विस्तार।
2. विकास में तेजी	• कल्याणकारी योजनाओं का समय पर और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। • स्थानीय समस्या समाधान और जवाबदेही के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना।
3. दिल और दिमाग जीतना	• सहभागी शासन और जमीनी स्तर पर शिक्षा व कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से विश्वास निर्माण। • स्थानीय युवाओं को शांति और विकास के एजेंट के रूप में सशक्त बनाना।
4. पुनर्वास और पुनः एकीकरण	• आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए आजीविका सहायता और प्रोत्साहन में सुधार। • दीर्घकालिक सामाजिक एकीकरण और निगरानी के लिए अनुवर्ती तंत्र की स्थापना।
5. मूल कारणों का समाधान	• संसाधन निष्कर्षण परियोजनाओं में उचित मुआवजा और पुनर्वास की गारंटी। • समावेशी शासन, मानवाधिकार संरक्षण और जन-जातीय क्षेत्रों में समय पर न्याय सुनिश्चित करना।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**Q. भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:**

1. "लाल गलियारा" शब्द का तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहां माओवादी गतिविधियाँ अधिक हैं।
2. वामपंथी उग्रवाद मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रित है।
3. सरकारी हस्तक्षेप के कारण पिछले कुछ वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या में कमी आई है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**Q. भारत में वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) का मुकाबला केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से संभव नहीं है। इस संदर्भ में सुरक्षाबलों और स्थानीय समुदायों की सहभागिता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथ ही बताइए कि "बल" और "विकास" के बीच संतुलित दृष्टिकोण कैसे स्थापित किया जा सकता है?**

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

पुलिस स्मृति दिवस 2025 : आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी का सम्मान**समाचार में क्यों?**

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।
- यह दिवस 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हुए 10 बहादुर पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करता है।
- अपने संबोधन में, रक्षा मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने सशस्त्र बलों और पुलिस को

राष्ट्रीय सुरक्षा के दो स्तंभ बताया, जो क्रमशः देश की बाहरी और आंतरिक अखंडता की रक्षा करते हैं।

**भारत में पुलिस बल के आँकड़े**

- भारत में लगभग 22 लाख पुलिस कर्मी हैं, जो इसे विश्व के सबसे बड़े पुलिस बलों में से एक बनाता है।
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के 2023 के आंकड़ों के अनुसार, पुलिस-जनसंख्या अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 152 पुलिसकर्मी है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित मानक 222 से कम है।
- रिक्तियों की दर अभी भी ऊँची बनी हुई है - विभिन्न राज्यों में लगभग 20-25%।
- पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन अभी भी यह कुल संख्या का केवल 12% ही है।
- पुलिस पर व्यय कुल राज्य बजट का लगभग 3% है, जो आधुनिकीकरण और कल्याण के लिए सीमित संसाधन आवंटन को दर्शाता है।

प्रथम प्रतिवादी के रूप में पुलिस :

- पुलिस अपराध, आपातस्थिति, कानून एवं व्यवस्था की गड़बड़ी, आपदाओं और यहां तक कि आतंकवाद के मामले में पहली प्रतिक्रिया पंक्ति के रूप में कार्य करती है।
- वे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हैं, नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, तथा राज्य और समाज के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
- संकट के समय - जैसे प्राकृतिक आपदा, दंगे, विरोध प्रदर्शन या साइबर हमले - पुलिस सबसे पहले प्रतिक्रिया देती है और सबसे अंत में जाती है।
- पुलिस डिजिटल युग में खुफिया जानकारी जुटाने, सामुदायिक पुलिसिंग और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

पुलिस बलों में मुद्दे और बढ़ती चुनौतियाँ :

1. जनशक्ति की कमी: लगातार रिक्तियाँ, अत्यधिक कार्यभार वाले कर्मचारी और लंबे कार्य घंटे कार्यकुशलता और मनोबल को कम करते हैं।
2. प्रशिक्षण और कौशल अंतराल: साइबर फोरेंसिक, एआई-आधारित निगरानी और डिजिटल साक्ष्य प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों का अपर्याप्त अनुभव।
3. राजनीतिक हस्तक्षेप : पोस्टिंग और जांच में अनुचित प्रभाव स्वायत्तता और व्यावसायिकता को कमजोर करता है।
4. अपर्याप्त बुनियादी ढांचा : खराब आवास, पुरानी संचार प्रणालियाँ, तथा गतिशीलता संसाधनों की कमी परिचालन तत्परता को प्रभावित करती है।
5. सार्वजनिक विश्वास घाटा: हिरासत में हिंसा, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों ने कुछ क्षेत्रों में विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है।
6. अपराधों की बढ़ती जटिलता : साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकवाद और संगठित अपराध के उदय ने पुलिसिंग को और अधिक प्रौद्योगिकी-प्रधान बना दिया है।
7. मानसिक स्वास्थ्य और तनाव : अत्यधिक कार्यभार, आराम की कमी और भावनात्मक तनाव पुलिसकर्मियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और आत्महत्याओं को बढ़ावा देते हैं।

समाधान / आगे की राह :

1. सुप्रीम कोर्ट का प्रकाश सिंह निर्णय (2006) : पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए राज्य सुरक्षा आयोगों की स्थापना करें। स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करें। बेहतर दक्षता के लिए कानून-व्यवस्था को जाँच से अलग रखें।
2. दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) : सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक-केंद्रित सुधारों को बढ़ावा दें। पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का उपयोग करें। प्रशिक्षण, नैतिकता और जवाबदेही ढाँचों को मजबूत बनाएँ।
3. पुलिस आधुनिकीकरण योजना : सीसीटीएनएस और आईसीजेएस एकीकरण के माध्यम से स्मार्ट पुलिसिंग को प्रोत्साहित करें। बुनियादी ढाँचे, साइबर क्षमताओं और संचार प्रणालियों को उन्नत करें। बलों को आधुनिक उपकरणों, फोरेंसिक और डेटा प्रणालियों से सुसज्जित करें।
4. राष्ट्रीय पुलिस मिशन : फोरेंसिक सहायता, विशेष इकाइयों और मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाएँ। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएँ और लैंगिक-संवेदनशील पुलिसिंग को बढ़ावा दें।

5. **सामुदायिक सहभागिता** : जागरूकता अभियानों और सहभागी पुलिसिंग के माध्यम से विश्वास और सहयोग का निर्माण करें। जनता का विश्वास मजबूत करने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।

निष्कर्ष :

- पुलिस बल भारत में आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता की रीढ़ है। जैसे-जैसे देश 2047 तक विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, पुलिस को बल-केंद्रित से एक सेवा-उन्मुख संस्था के रूप में विकसित होना होगा—आधुनिक, जवाबदेह और नागरिक-हितैषी।
- निरंतर सुधारों और प्रौद्योगिकी-संचालित पुलिसिंग के माध्यम से क्षमता, मनोबल और जन विश्वास को मजबूत करना आने वाले दशकों में शांति, न्याय और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. पुलिस स्मृति दिवस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को उन पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी।

- यह दिन उन पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद करता है जो 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद हो गए थे।
- राष्ट्रीय पुलिस स्मारक नई दिल्ली में स्थित है और यह स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों को समर्पित है।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, फिर भी उन्हें इस कर्तव्य को पूरा करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय पुलिस के समक्ष आने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए और उन्हें अधिक कुशल, जवाबदेह एवं नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सुधारों का सुझाव दीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)



विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क और भारत का 13वां शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में यूनेस्को (UNESCO) ने भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व (Cold Desert Biosphere Reserve – CDBR) को विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क (World Network of Biosphere Reserves – WNNBR) में सम्मिलित किया है।
- यह निर्णय उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब साओ टोमे और प्रिंसिपे (मध्य अफ्रीका का द्वीपीय राष्ट्र) विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसका सम्पूर्ण भूभाग बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है।
- भारत के लिए यह उपलब्धि न केवल वैश्विक मंच पर उसकी पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करती है, बल्कि उच्च-ऊँचाई वाले दुर्लभ पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ?

- भौगोलिक स्थिति** : यह रिजर्व हिमाचल प्रदेश के ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है और पूरे स्पीति वन्यजीव प्रभाग के साथ-साथ लाहौल वन प्रभाग के निकटवर्ती क्षेत्रों को समेटे हुए है। इसमें बारालाचा दर्रा, भरतपुर तथा सरचू जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो समुद्र तल से 3,300 मीटर से लेकर 6,600 मीटर तक की ऊँचाई पर स्थित हैं।

2. **स्थापना और मान्यता** : वर्ष 2009 में इसे भारत के 16वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई। विशेष बात यह रही कि यह भारत का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व था, जो अत्यंत ऊँचाई वाले ठंडे मरुस्थलीय परिदृश्य में स्थापित हुआ। इस विशेषता ने इसे विशिष्ट और दुर्लभ बना दिया।

3. **प्राकृतिक स्वरूप और भूदृश्य** : यहाँ का परिदृश्य अत्यंत विविध और आकर्षक है। इसमें पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल आर्द्रभूमि, पवन-प्रवाहित पठार, हिमनदी घाटियाँ, अल्पाइन झीलें तथा ऊँचाई वाले रेगिस्तानी क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन भौगोलिक इकाइयों के कारण इसे WNNBR में शामिल सबसे ठंडे एवं शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों में से एक माना जाता है।

4. **पुष्पीय विविधता** : यह क्षेत्र समृद्ध पौध विविधता का घर है। यहाँ 14 स्थानिक प्रजातियाँ, 68 देशी प्रजातियाँ तथा 62 संकटग्रस्त पौध प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सैलिक्स (Willow), Betula utilis (हिमालयन बर्च) जैसे औषधीय पौधे विशेष महत्व रखते हैं। इसके अलावा विलो-लीव सी-बर्थॉर्न, फारसी जुनिपर तथा कठोर अल्पाइन घास और औषधीय जड़ी-बूटियाँ यहाँ की वनस्पति को विशिष्ट बनाती हैं।

5. **दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का आश्रय स्थल होना** : शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये भी आश्रय स्थल है। यहाँ हिम तेंदुआ, हिमालयी भेड़िया, तिब्बती मृग, हिमालयी भूरा भालू, तिब्बती हिरन, रेड फॉक्स, हिमालयी आइबेक्स और बियर्डेड गिद्ध जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यही नहीं, हिमालयी ग्रिफॉन तथा अन्य कई पक्षी प्रजातियाँ इस क्षेत्र की जैव विविधता को अद्वितीय स्वरूप देती हैं।

विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क (WNNBR) क्या है ?

- उत्कृष्ट जैवमंडल स्थलों का एक वैश्विक मंच** : यूनेस्को द्वारा स्थापित यह नेटवर्क उत्कृष्ट जैवमंडल स्थलों का एक वैश्विक मंच है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच अनुभवों, प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान का आदान-प्रदान करना है ताकि संरक्षण और सतत विकास को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके।
- विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क (WNNBR) का मुख्य उद्देश्य** : विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य उत्तर-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण तथा दक्षिण-उत्तर-दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहित करना,

COURSE FOR UPSC CSE 2025-26

जी. एस. फाउंडेशन कोर्स

2-3 वर्ष प्रोग्राम

बैच आरंभ: **18th नवंबर 2025**

समय 8:00 AM -10:00 AM

2nd Floor, Apsara Arcade, Karol Bagh Metro Station
Gate No. - 6, New Delhi 110005

OUR CENTERS Delhi | Chandigarh | Shimla | Bilaspur

info@plutusias.com 8448440231 www.plutusias.com

Click To Know More

अनुभवों और नवाचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा करते हुए सतत विकास की दिशा में वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना है।

- **यूनेस्को का मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत संचालन** : विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क (WNBR) मानव और जैवमंडल कार्यक्रम (Man and Biosphere Programme – MAB) के अंतर्गत संचालित होता है। यह कार्यक्रम संरक्षण, विकास और ज्ञान-विनिमय के त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है।

- **विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क (WNBR) का वैश्विक परिदृश्य में स्थिति** : वर्तमान में WNBR में 142 देशों के 785 स्थल शामिल हैं। वर्ष 2018 के बाद से ही लगभग एक मिलियन वर्ग किमी. अतिरिक्त क्षेत्र संरक्षण दायरे में जोड़ा गया है, जो आकार में लगभग बोलीविया के बराबर है।

बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा और संरचनात्मक स्वरूप :

बायोस्फीयर रिजर्व की परिभाषा :

- बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को का एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो उन प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को प्रदान किया जाता है जहाँ संरक्षण और विकास का संतुलन स्थापित किया जा सके। यह व्यापक स्थलीय, तटीय अथवा समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों को भी समाहित करता है।

बायोस्फीयर रिजर्व का प्रमुख कार्य :

1. **संरक्षण** – जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना।
2. **सतत विकास** – सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
3. **संचालन सहायता** – अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और निगरानी की सुविधा प्रदान करना।

बायोस्फीयर रिजर्व का संरचनात्मक स्वरूप :

बायोस्फीयर रिजर्व तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित होता है –

1. **कोर क्षेत्र** : पूर्णतः संरक्षित हिस्सा, जहाँ जैव विविधता को सुरक्षित रखा जाता है (जैसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य)।
2. **बफर क्षेत्र** : कोर क्षेत्र के चारों ओर, जहाँ अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियाँ चलती हैं।
3. **संक्रमण क्षेत्र** : बाहरी हिस्सा, जहाँ स्थानीय समुदाय सतत जीवन शैली अपनाकर पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था दोनों को सहारा देते हैं।

बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामांकन के लिए प्रमुख मानदंड :

1. बायोस्फीयर रिजर्व स्थल में एक विशिष्ट संरक्षण क्षेत्र होना चाहिए।

2. इसके तहत रिजर्व स्थल का आकार पर्याप्त और विविधतापूर्ण होनी चाहिए ताकि पारिस्थितिक संतुलन बना रहे।
3. बायोस्फीयर रिजर्व स्थल में स्थानीय समुदाय की भागीदारी निश्चित रूप से सुनिश्चित होनी चाहिए।
4. पारंपरिक जीवनशैली और ज्ञान को संरक्षण प्रक्रिया में बायोस्फीयर रिजर्व स्थल को शामिल किया जाए।

भारत में बायोस्फीयर रिजर्व :

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** : भारत ने 1986 में यूनेस्को के मार्गदर्शन में बायोस्फीयर रिजर्व योजना शुरू की थी। भारत मानव और जैवमंडल कार्यक्रम (Man and Biosphere Programme – MAB) के हस्ताक्षरकर्ता देशों में से एक है और भूदृश्य दृष्टिकोण को अपनाने में एक अग्रणी देश रहा है।
- **वित्तीय प्रावधान** : पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों में केंद्र और राज्य का योगदान 90:10 अनुपात में होता है। जबकि भारत के अन्य राज्यों में यह अनुपात 60:40 है। प्रत्येक स्थल के लिये राज्य सरकार प्रबंधन योजना तैयार करती है, जिसे केंद्रीय समिति अनुमोदित करती है।
- **भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की वर्तमान स्थिति** : भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से अब 13 WNBR का हिस्सा बन चुके हैं। यह भारत के संरक्षण प्रयासों की सफलता का द्योतक है।

निष्कर्ष :



1. शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व केवल एक संरक्षित क्षेत्र भर नहीं है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के संतुलित सह-अस्तित्व का जीवंत उदाहरण है। इसकी ऊँचाई, शुष्क जलवायु, अद्वितीय जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसे विशेष महत्व प्रदान करते हैं।
2. यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क (WNBR) में इसका समावेश भारत की उस दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसके अंतर्गत देश जैव विविधता संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान के सम्मान और सतत विकास को एकीकृत रूप से आगे बढ़ा रहा है।

3. मानव और जैवमंडल कार्यक्रम (Man and Biosphere Programme – MAB) के तहत यह उपलब्धि न केवल स्थानीय समुदायों को नए अवसर प्रदान करेगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की पर्यावरणीय नेतृत्वकारी भूमिका को भी सशक्त बनाएगी।
4. भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कठोर उच्च-ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ-साथ यह भी सिद्ध करता है कि सतत मानव-पर्यावरण सह-अस्तित्व संभव है। हिम तेंदुओं जैसे प्रतिष्ठित जीवों और दुर्लभ वनस्पतियों से समृद्ध यह क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान, अनुभव और संरक्षण की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए तैयार है।
5. पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बीच के संतुलन में निस्संदेह, यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रकृति और मानव समुदाय एक-दूसरे के पूरक बन सकते हैं।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व (CDBR) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसे वर्ष 2009 में भारत के 16वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी, और यह अत्यंत ऊँचाई वाले ठंडे मरुस्थलीय परिदृश्य में स्थापित होने वाला देश का पहला रिजर्व था।
2. यह रिजर्व पूरे किन्नौर वन्यजीव प्रभाग और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को समेटे हुए है।
3. यहाँ पाए जाने वाले दुर्लभ और लुप्तप्राय जीवों में हिम तेंदुआ, तिब्बती मृग, हिमालयी आइबेक्स और बियर्डेड गिद्ध शामिल हैं।
4. बायोस्फीयर रिजर्व का कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र में विभाजन, यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम (MAB) के त्रिस्तरीय मॉडल का एक अंग है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा / से सही हैं?

- A. केवल 1 और 2 B. केवल 1, 3 और 4
C. केवल 2, 3 और 4 D. 1, 2, 3 और 4 सभी।

उत्तर - B केवल 1, 3 और 4

व्याख्या :

- कथन 1 सही है। यह तथ्य दिए गए 'स्थापना और मान्यता' खंड में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

- Q. हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिजर्व नेटवर्क (WNBR) में सम्मिलित किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक महत्व के साथ-साथ इसके भौगोलिक, पारिस्थितिक एवं संरक्षणात्मक महत्व की विवेचना कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में भूस्खलन : कारण, परिणाम और शमन रणनीतियाँ

खबरों में क्यों?



- हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक भीषण भूस्खलन हुआ, जिसने एक निजी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में कम से कम 15 लोगों की मृत्यु (कुछ रिपोर्टों में संख्या 18 बताई गई है) और अनेक लोग घायल हो गए। यह

हादसा लगातार भारी वर्षा के कारण पहाड़ी ढलानों की अस्थिरता बढ़ने से हुआ।

- इसी प्रकार, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में भी अत्यधिक वर्षा (12 घंटे में 300 मिमी से अधिक) के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन हुए। इन घटनाओं में 24 से अधिक लोगों की जान गई, सैकड़ों घर बह गए, और सड़क, पुल तथा बिजली ढाँचे को व्यापक नुकसान पहुँचा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) और स्थानीय प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य आरंभ किए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार भूस्खलन क्या होता है ?

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) भूस्खलन को इस प्रकार परिभाषित करता है - “ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चट्टानों, मलबे या मिट्टी के द्रव्यमान का ढलान की ओर खिसकना या बहना, जो प्राकृतिक या मानव-जनित कारणों से होता है। ”
- भूस्खलन को "हाइड्रो-मौसमी एवं भूवैज्ञानिक आपदाओं" की श्रेणी में रखा गया है। भारत में यह एक आवर्ती (Recurring) आपदा है, विशेषकर हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.6% भाग भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है, जिससे भारत विश्व के सबसे अधिक भूस्खलन-प्रवण देशों में से एक है।

भारत में भूस्खलन के प्रमुख कारण :

- भारत में भूस्खलन के कारणों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है - प्राकृतिक/भूवैज्ञानिक कारक और मानवजनित (मानव-प्रेरित) कारक।

प्राकृतिक / भूवैज्ञानिक कारक :

- अत्यधिक वर्षा (Heavy Rainfall) :** यह भूस्खलन का सबसे आम और तात्कालिक ट्रिगर है। मानसून के दौरान होने वाली तीव्र वर्षा मिट्टी के छिद्रों में पानी के दबाव (pore pressure) को बढ़ा देती है। इससे मिट्टी के कणों के बीच का संसंजन (cohesion) कम हो जाता है, जिससे ढलान अस्थिर हो जाता है और विफल हो जाता है। उदाहरण - केरल के वायनाड क्षेत्र (2024) में अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण कई घातक भूस्खलन हुए। दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में भी 12 घंटों से भी कम समय में 300 मिमी से अधिक वर्षा ने बड़े पैमाने पर भूस्खलन को जन्म दिया।
- भूकंप (Earthquakes) और भूगर्भीय संरचना :** भूकंपीय कंपन अस्थिर चट्टान द्रव्यमान को ढीला कर देते हैं, विशेष रूप से हिमालय जैसे भूगर्भीय रूप से युवा और नाजुक पर्वत क्षेत्रों में। हिमालय एक युवा वलित पर्वत श्रृंखला है, जो अपनी नाजुक संरचना और उच्च भूकंपीय गतिविधि के कारण भूस्खलन के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। उदाहरण - वर्ष 2015 के नेपाल भूकंप ने उत्तर सिक्किम और उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर भूस्खलन को ट्रिगर किया था।

- मृदा अपरदन और अपक्षय (Soil Erosion & Weathering) :** नदियों द्वारा निरंतर अपरदन (विशेष रूप से नदी की निचली कटाई) और चट्टानों का अपक्षय ढलान की शक्ति और स्थिरता को कमजोर करता है। यह प्रक्रिया ढलान के आधार से समर्थन को हटा देती है, जिससे ऊपरी हिस्से के खिसकने का खतरा बढ़ जाता है। उदाहरण - सिक्किम की तीस्ता घाटी में नदी द्वारा निरंतर आधार की कटाई ने बार-बार ढलान की अस्थिरता पैदा की है।
- बर्फ का पिघलना और ग्लेशियरों का पीछे हटना (Snowmelt & Glacier Retreat) :** तेजी से बर्फ पिघलने और हिमनद पीछे हटने से ढलान की मिट्टी में जल संतृप्ति (water saturation) होती है, जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह कारक हिमालय में और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। उदाहरण - वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा को हिमनद पिघलने और संबंधित ढलान विफलता से जोड़ा गया था।
- तीव्र ढलान और भूगर्भीय जोड़ :** पहाड़ों की खड़ी ढलानें और चट्टानों में मौजूद प्राकृतिक दोष (faults), जोड़ (joints) और फ्रैक्चर उन्हें स्वाभाविक रूप से कमजोर और गति के लिए प्रवण बनाते हैं। दार्जिलिंग हिमालय और उत्तर-पूर्वी पहाड़ी श्रृंखलाओं में यह संरचनात्मक कमजोरी स्पष्ट है।

मानवजनित (मानव-प्रेरित) कारक :

- वनों की कटाई (Deforestation) :** वनस्पतियों को हटाना ढलानों को अस्थिर करता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखती हैं (रूट बाइंडिंग)। वनस्पति आवरण के हटने से वर्षा जल का सीधा प्रवाह होता है, जिससे मिट्टी का कटाव तेज होता है। उदाहरण - नीलगिरि (तमिलनाडु) में चाय बागान के विस्तार के लिए वनों की कटाई ने ढलान विफलताओं को जन्म दिया है।
- अनियोजित निर्माण और सड़क काटना (Unplanned Construction & Road Cutting) :** सड़क निर्माण, सुरंगों का निर्माण और पहाड़ी ढलानों पर अतिक्रमण ढलान के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ते हैं। ढलान के निचले हिस्से को काटने (toe cutting) से ढलान का समर्थन हट जाता है, जिससे अस्थिरता पैदा होती है। उदाहरण - उत्तराखंड का जोशीमठ क्षेत्र (2023) भू-धंसाव और ढलान अस्थिरता के कारण चर्चा में रहा, जिसका एक प्रमुख कारण अनियोजित निर्माण गतिविधियाँ थीं।
- खनन और उत्खनन (Mining & Quarrying) :** विस्फोट और उत्खनन से उत्पन्न कंपन ढलानों में दरारें और ढीलापन पैदा करते हैं, जिससे भूस्खलन ट्रिगर हो सकता है। यह गतिविधि अक्सर ढलान के आधार को कमजोर करती है। उदाहरण - झारखंड के झरिया कोयला क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियाँ इस खतरे को बढ़ाती हैं।
- खराब जल निकासी और शहरीकरण (Poor Drainage & Urbanization) :** प्राकृतिक जल निकासी नालों के अवरुद्ध होने से पानी का जमाव होता है, जो मिट्टी की संतृप्ति को बढ़ाता

है और ढलान की अस्थिरता को ट्रिगर करता है। शहरीकरण के कारण जल निकासी की समस्याएँ और बढ़ गई हैं। उदाहरण - मुंबई के उपनगरीय भूस्खलन (जैसे घाटकोपर, 2000) खराब जल निकासी और अनियोजित बस्ती के कारण हुए थे।

- पहाड़ियों पर कृषि विस्तार (Agricultural Expansion) :** पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती (terracing) और सिंचाई की पद्धतियाँ मिट्टी में पानी के रिसने (infiltration) को बढ़ाती हैं, जिससे ढलान की स्थिरता कम हो जाती है। उदाहरण - मेघालय में झूम खेती (स्थानांतरित खेती) वाले क्षेत्र।

भूस्खलन के गंभीर परिणाम :

भूस्खलन के परिणाम बहुआयामी होते हैं, जो पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समाज, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करते हैं।

पर्यावरणीय परिणाम (Environmental Consequences):

- वन और जैव विविधता का विनाश :** भूस्खलन से बड़े पैमाने पर वन आवरण नष्ट हो जाता है, जिससे स्थानीय जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुँचती है।
- नदी अवसादन (River Sedimentation) :** भूस्खलन से भारी मात्रा में मलबा नदियों और जलाशयों में जमा हो जाता है। इससे नदियों का प्रवाह बाधित होता है, बाढ़ का खतरा बढ़ता है और जलविद्युत परियोजनाओं तथा सिंचाई प्रणालियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण - वायनाड (2024) में 200 हेक्टेयर से अधिक वन नष्ट हुए और स्थानीय जल विज्ञान (hydrology) में बदलाव आया।

आर्थिक परिणाम (Economic Consequences) :

- बुनियादी ढांचे को क्षति :** सड़कों, पुलों, बिजली लाइनों और कृषि भूमि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुँचती है। इससे पुनर्निर्माण और रखरखाव की लागत में भारी वृद्धि होती है।
- व्यापार और पर्यटन का बुरी तरह प्रभावित होना :** महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों के अवरुद्ध होने से आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो जाती हैं, माल ढुलाई बाधित होती है, और पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था का आधारस्तंभ पर्यटन बुरी तरह प्रभावित होता है। उदाहरण - NH-44 (जम्मू और कश्मीर) और NH-10 (सिक्किम) अक्सर अवरुद्ध रहते हैं, जिससे रखरखाव पर सालाना ₹650 करोड़ का खर्च आता है।

सामाजिक परिणाम (Social Consequences) :

- जनसंख्या विस्थापन और आजीविका की हानि :** भूस्खलन से घर नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रभावित आबादी का बड़ी संख्या में विस्थापन होता है। इससे खासकर कृषि और पर्यटन पर निर्भर समुदायों में आजीविका असुरक्षा उत्पन्न होती है। उदाहरण - हिमाचल प्रदेश में 2023 के मानसून के बाद कई गांवों को स्थानांतरित करना पड़ा।

- मृत्यु और चोटें :** भूस्खलन के कारण प्रतिवर्ष औसतन 300 से अधिक मौतें होती हैं (NDMA के अनुसार), और कई लोग घायल होते हैं।

स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम (Health and Mental Health Consequences) :

- बीमारी का प्रकोप :** दूषित जल और स्वच्छता प्रणालियों के टूटने के कारण हैजा, टाइफाइड जैसी जल-जनित बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
- स्वास्थ्य पहुंच का अवरोध :** सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बाधित होती है, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सहायता मुश्किल हो जाती है।
- मानसिक स्वास्थ्य संकट :** भूस्खलन से बचे लोगों में आघात (trauma) और दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है। संपत्ति और प्रियजनों के नुकसान से अवसाद और चिंता जैसी समस्याएँ पैदा होती हैं। उदाहरण - वर्ष 2023 में रायगढ़ भूस्खलन के बाद कई परिवारों को मनोवैज्ञानिक परामर्श की आवश्यकता पड़ी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिणाम (National Security Consequences) :

- सीमा सड़कों की आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न होना :** संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में भूस्खलन से सेना की रसद, संचार लाइनें और सीमा सड़कों की आवाजाही बाधित होती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। उदाहरण - अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में लगातार भूस्खलन भारत-चीन सीमा पर आवाजाही में बाधा डालते हैं।

भूस्खलन के लिए शमन और रोकथाम से संबंधित प्रमुख रणनीतियाँ :

संरचनात्मक उपाय (Structural Measures) :

- रिटेनिंग वॉल और गैबियन वॉल का निर्माण :** ढलान के आधार और निचले हिस्सों में कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल या पत्थरों से भरी गैबियन वॉल का निर्माण करना।
- रॉक बोल्टिंग (Rock Bolting) और शॉर्टक्रीट :** अस्थिर चट्टान ब्लॉकों को स्थिर करने के लिए स्टील के बोल्ट का उपयोग करना और ढलान की सतह को मजबूत करने के लिए शॉर्टक्रीट (तेजी से सूखने वाला कंक्रीट मिश्रण) लगाना।
- ढलान जल निकासी प्रणाली :** ढलान की सतह पर और उसके भीतर पानी के संचय को रोकने के लिए प्रभावी जल निकासी चैनल और सब-सर्फेस ड्रेन (subsurface drains) का निर्माण करना।
- जैव-इंजीनियरिंग और वनीकरण :** गहरी जड़ वाली घास, झाड़ियों और पेड़ों को लगाकर मिट्टी के कटाव को कम करना

और जड़ों की मदद से मिट्टी को बांधना (रूट बाइंडिंग)। उदाहरण - सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में ढलान स्थिरीकरण के लिए जैव-इंजीनियरिंग का उपयोग कर रहा है।

गैर-संरचनात्मक उपाय (Non-Structural Measures) :

- **भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण मानचित्रण (Landslide Hazard Zonation - LHZ) :** भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और इसरो जैसी एजेंसियां उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाले मानचित्र तैयार करती हैं। ये मानचित्र भूमि उपयोग विनियमन के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।
- **भूमि उपयोग विनियमन :** LHZ मानचित्रों के आधार पर, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निर्माण और खनन जैसी जोखिम भरी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाना।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (Early Warning Systems) :** ढलान की गति, वर्षा की तीव्रता और जल स्तर को मापने वाले सेंसर और स्वचालित गेज का उपयोग करके वास्तविक समय में डेटा एकत्र करना और संभावित भूस्खलन से पहले सामुदायिक स्तर पर अलर्ट जारी करना।

नीतिगत और संस्थागत उपाय (Policy & Institutional Measures) :

- **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019) :** NDMA की इस रणनीति का कार्यान्वयन, जो जोखिम मानचित्रण, शमन, जागरूकता और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है।
- **एकीकृत पहाड़ी क्षेत्र नियोजन :** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और NDMA के समन्वय में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सतत विकास योजनाएँ बनाना।
- **क्षमता निर्माण :** राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMAs) और स्थानीय प्रशासन की तकनीकी और जनशक्ति क्षमता को बढ़ाना, साथ ही NDRF और SDRF टीमों को विशेष प्रशिक्षण देना।

प्रौद्योगिकी और पूर्वानुमान (Technology & Forecasting) :

- **सुदूर संवेदन और GIS :** ढलान की निगरानी और जोखिम मूल्यांकन के लिए उपग्रह डेटा (ISRO), LiDAR (Light Detection and Ranging), GIS (Geographic Information System) और ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करना। उदाहरण - ISRO का भुकोश प्लेटफॉर्म भूस्खलन की सूची और भेद्यता डेटा को एकीकृत करता है, जो योजनाकारों के लिए महत्वपूर्ण है।
- **ढलान निगरानी (Slope Monitoring) :** ढलानों में विरूपण (deformation) और गति को मापने के लिए इनक्लिनोमीटर और एक्सटेंसोमीटर जैसे सेंसर स्थापित करना।

समुदाय आधारित तैयारी और जागरूकता (Community-Based Preparedness) :

- **जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण :** स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से पंचायत स्तर पर, को भूस्खलन के खतरों और तत्काल प्रतिक्रिया उपायों के बारे में शिक्षित करना।
- **मॉक ड्रिल :** स्थानीय टीमों की तैयारी का परीक्षण करने और निकासी मार्गों को समझने के लिए नियमित मॉक ड्रिल आयोजित करना। उदाहरण - हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में NDMA का 'भूस्खलन-तैयार पहाड़ी समुदाय' कार्यक्रम।

पर्यावरण प्रबंधन (Environmental Management) :

- **खनन का विनियमन :** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उत्खनन पर सख्त कानूनी प्रतिबंध लगाना और केवल वैज्ञानिक रूप से व्यवहार्य तरीकों से ही खनन की अनुमति देना।
- **पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (Eco-Sensitive Zoning) :** उच्च जोखिम वाली ढलानों के आसपास बफर जोन स्थापित करना, जहाँ किसी भी प्रकार के निर्माण या विदोहन की अनुमति नहीं है। उदाहरण - केरल और उत्तराखंड सरकारों ने 2018 के बाद उच्च जोखिम वाली ढलानों के आसपास बफर जोन लागू किए।

निष्कर्ष :

1. भूस्खलन भारत के पर्वतीय भूगोल की एक अनिवार्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, परंतु जलवायु परिवर्तन, अनियोजित निर्माण, वनों की कटाई और जनसंख्या दबाव ने इसे अब एक गंभीर आपदा स्वरूप दे दिया है। यदि भारत को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप एक आपदा-लचीला (Disaster-Resilient) राष्ट्र बनना है, तो "सुरक्षित पर्वत - सुरक्षित जीवन" की अवधारणा को राष्ट्रीय नीति एवं विकास योजना के केंद्र में स्थान देना अनिवार्य है।
2. हाल की घटनाएँ, जैसे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुए भीषण भूस्खलन, इस बात के स्पष्ट संकेतक हैं कि अब केवल आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर्याप्त नहीं, बल्कि पूर्वानुमान, रोकथाम और जोखिम न्यूनीकरण को नीति की प्राथमिकता बनाना होगा।
3. भूस्खलन प्रबंधन के लिए एक एकीकृत, वैज्ञानिक और सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें संरचनात्मक उपाय (जैसे रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज सिस्टम), गैर-संरचनात्मक उपाय (जैसे भूमि उपयोग विनियमन, जनजागरूकता), नीतिगत समन्वय (NDMA-SDMA-राज्य सरकारों के बीच सहयोग) और तकनीकी नवाचार (ISRO, GSI के मानचित्रण एवं भू-स्थानिक निगरानी) का संयोजन हो।
4. इसके साथ ही, भूस्खलन प्रबंधन के लिए सतत भूमि उपयोग योजना, पारिस्थितिक पुनर्स्थापना, और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को सशक्त बनाना आवश्यक है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों की नाजुक पारिस्थितिकी को संरक्षित रखा जा सके।

5. अंततः, भारत को अपनी पहाड़ी संपदा और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भूस्खलन जोखिम प्रबंधन को केवल आपदा नीति का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास एजेंडा का अभिन्न अंग बनाना होगा।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में भूस्खलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. हिमालय युवा मोड़दार पर्वत संरचना और उच्च भूकंपीय गतिविधि के कारण अधिक भूस्खलन-प्रवण हैं।
2. पश्चिमी घाटों में भूस्खलन मुख्यतः अत्यधिक वर्षा और वनों की कटाई के कारण होते हैं।
3. भूस्खलन जोखिम क्षेत्र (Landslide Hazard Zonation) मानचित्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा तैयार किए जाते हैं।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (A) केवल एक (B) केवल दो
(C) तीनों (D) इनमें से कोई नहीं।

उत्तर - (B) केवल दो (1 और 2 सही हैं, तीसरा गलत है - LHZ मानचित्र मुख्यतः GSI तैयार करता है।)

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. “ भारत में भूस्खलन एक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है, जो विशेष रूप से हिमालयी और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में व्यापक रूप से देखी जाती है। ” इस कथन के संदर्भ में भूस्खलनों के प्रमुख कारणों, उनके सामाजिक-आर्थिक एवं पर्यावरणीय परिणामों तथा प्रभावी निवारण और प्रबंधन उपायों पर विस्तृत चर्चा कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत का विजन 2025-2030 : संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए विज्ञान-संचालित संरक्षण

समाचार में क्यों?

1. दुनिया के 17 महाविविध देशों में से एक, भारत ने व्यवस्थित जैव विविधता मूल्यांकन और संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।



2. आईयूसीएन विश्व संरक्षण सम्मेलन 2025 में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज़न 2025-2030 लॉन्च किया।
3. यह पहल भारत के पर्यावरण शासन में एक नए चरण का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य देश भर में संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान, मूल्यांकन और संरक्षण के लिए एक वैज्ञानिक, आँकड़ा-आधारित ढाँचा प्रदान करना है।
4. यह पहल Convention on Biological Diversity (CBD) और Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KM-GBF) की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप के बारे में

- राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज़न 2025-2030, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI), और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा, तथा सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल-इंडिया के साथ मिलकर विकसित एक व्यापक योजना है।
- यह वैश्विक IUCN मानकों के अनुरूप भारतीय वनस्पतियों और जीवों की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित, समावेशी और विज्ञान-आधारित तंत्र की परिकल्पना करता है।
- रोडमैप का लक्ष्य 2030 तक वनस्पतियों और जीवों, दोनों के लिए राष्ट्रीय रेड डेटा पुस्तकें प्रकाशित करना है, जो नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों के लिए प्रमुख संदर्भ दस्तावेजों के रूप में काम करेंगी।
- इससे उत्पन्न डेटा भविष्य की संरक्षण रणनीतियों, नीतिगत कार्यों और लक्षित संरक्षण प्रयासों को सूचित करेगा।
- भारत ने IUCN विश्व संरक्षण सम्मेलन 2025 (Abu Dhabi) में राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और Vision 2025-2030 लॉन्च किया।

मुख्य उद्देश्य और विजन 2025-2030

विज्ञान 2025-2030 भारत में जैव विविधता प्रबंधन के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक आधार स्थापित करने पर केंद्रित है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. संकटग्रस्त प्रजातियों पर एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना।
2. भारत के संरक्षण ढांचे को आईयूसीएन की रेड लिस्ट पद्धति के साथ संरेखित करना।
3. व्यवस्थित प्रजाति मूल्यांकन के लिए संस्थानों और विशेषज्ञों के बीच क्षमता निर्माण।
4. राष्ट्रीय संरक्षण योजना में जैव विविधता डेटा का एकीकरण सुनिश्चित करना।
5. संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
6. भारत की जैव विविधता (flora & fauna) की स्थिति का मूल्यांकन (assessment), निगरानी (monitoring), और संरक्षण (conservation) को वैज्ञानिक एवं समन्वित ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में है।

पहल का महत्व

1. **साक्ष्य-आधारित संरक्षण:** प्रजातियों की स्थिति पर महत्वपूर्ण डेटा अंतराल को भरकर नीति-निर्माण को मजबूत करता है।
2. **जैव विविधता समृद्धि:** भारत में लगभग 104,000 जीव-जंतु प्रजातियां और 18,000 पुष्पीय पौधे पाए जाते हैं, जिनमें से 28% पौधे और 30% जीव-जंतु स्थानिक हैं।
3. **प्रजातियों को प्राथमिकता देना:** विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियों की पहचान करने और संरक्षण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
4. **संसाधन आवंटन:** आवास पुनर्स्थापन और संरक्षण के लिए धन और प्रयासों के प्रभावी उपयोग का मार्गदर्शन करना।
5. **वैश्विक रिपोर्टिंग:** जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के तहत भारत के रिपोर्टिंग दायित्वों को सुगम बनाता है।
6. **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:** 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लिए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (केएमजीबीएफ) के अंतर्गत लक्ष्यों का समर्थन करता है।

कानूनी और संस्थागत ढांचा

- भारत की जैव विविधता संरक्षण को एक मजबूत कानूनी ढांचे का समर्थन प्राप्त है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (2022 में संशोधित) शामिल है,

- जो सीआईटीईएस परिशिष्ट, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत सूचीबद्ध प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय रेड लिस्ट पहल, प्रजातियों के रुझानों और संरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता की निगरानी के लिए आवश्यक वैज्ञानिक आधार प्रदान करके इन प्रयासों का पूरक है।
- यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में एक जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को भी मजबूत करती है।

वैश्विक संदर्भ और प्रासंगिकता

1. विश्व स्तर पर, प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए IUCN रेड लिस्ट को स्वर्ण मानक माना जाता है।
2. दुनिया भर में मूल्यांकन की गई 1,63,000 से ज़्यादा प्रजातियों में से लगभग 28% विलुप्त होने के खतरे में हैं।
3. भारत की राष्ट्रीय रेड लिस्ट पहल इन वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण समुदाय को बहुमूल्य आँकड़े प्रदान करती है।
- यह कदम भारत को जैव विविधता निगरानी में एक क्षेत्रीय नेता के रूप में स्थापित करता है
4. एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है, जो जैव विविधता दस्तावेजीकरण और संरक्षण योजना में समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
5. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया (BSI) द्वारा तैयार किया गया है, IUCN-India तथा Centre for Species Survival के सहयोग से।

आगे की चुनौतियां :

1. **डेटा अंतराल:** कई प्रजातियां, विशेषकर कम ज्ञात प्रजातियां, सीमित वर्गीकरण संबंधी जानकारी के कारण कम मूल्यांकित की गई हैं।
2. **क्षेत्र सर्वेक्षण सीमाएँ:** अपर्याप्त क्षेत्र सर्वेक्षण प्रजातियों की आबादी और प्रवृत्तियों के सटीक आकलन में बाधा डालते हैं।
3. **निगरानी अवसंरचना:** मजबूत निगरानी प्रणालियों की कमी से जैव विविधता की वास्तविक समय पर निगरानी कम हो जाती है।
4. **संस्थागत समन्वय:** प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच बेहतर सहयोग की आवश्यकता है।
5. **वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ:** सीमित वित्तीय संसाधन बड़े पैमाने पर जैव विविधता आकलन और संरक्षण परियोजनाओं को प्रतिबंधित करते हैं।

6. **मानव संसाधन की कमी:** सर्वेक्षण, डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी।

7. **लक्ष्य संरेखण:** केएमजीबीएफ के अंतर्गत 2030 जैव विविधता लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष :

1. राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज्ञान 2025-2030 भारत की संरक्षण यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम है।
2. यह विज्ञान-आधारित, आँकड़ों पर आधारित और वैश्विक रूप से समन्वित जैव विविधता प्रशासन की ओर देश के बदलाव का प्रतीक है।
3. प्रजातियों के आकलन को प्राथमिकता देकर और नीति-निर्माण में संरक्षण विज्ञान को एकीकृत करके, भारत पर्यावरण संरक्षण में अपने नेतृत्व को सुदृढ़ कर रहा है।
4. चूंकि जैव विविधता पर आवास की हानि, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण दबाव बढ़ रहा है, इसलिए यह पहल राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिरता प्रयासों के लिए आधारशिला का काम करेगी
5. यह सुनिश्चित करेगी कि भारत की समृद्ध प्राकृतिक विरासत भावी पीढ़ियों के लिए भी फलती-फूलती रहे।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**Q. भारत के राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज्ञान 2025-2030 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?**

1. इसका लक्ष्य 2030 तक वनस्पतियों और जीवों के लिए राष्ट्रीय रेड डाटा पुस्तकें प्रकाशित करना है।
2. यह पहल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ZSI, BSI और IUCN के समन्वय से कार्यान्वित की जाती है।
3. यह केवल जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के तहत वैश्विक रिपोर्टिंग पर केंद्रित है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :**Q. जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने में भारत के राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोडमैप और विज्ञान 2025-2030 के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके उद्देश्यों, वैश्विक प्रासंगिकता और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।**

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)





राष्ट्रपति भवन में कोणार्क के पहियों का समर्पण : शिल्प और संस्कृति का मिलन

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में कोणार्क के प्रसिद्ध बलुआ पत्थर से बने चार पहियों की प्रतिकृतियाँ स्थापित की गई हैं।
- यह पहल राष्ट्रपति भवन में भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धरोहरों और विरासतों को संरक्षित करने और इसके ऐतिहासिक महत्व को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए विभिन्न प्रयासों के एक हिस्से के अंतर्गत किया गया है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य :

- भारत के राष्ट्रपति भवन के उद्यान में कोणार्क के इन पहियों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को आगंतुकों के समक्ष प्रस्तुत करना, उसकी महत्ता का प्रसार करना और उसे व्यापक रूप से प्रचारित करना है।
- इस पहल का एक उद्देश्य भारत के भावी पीढ़ियों के लिए अपने देश की सांस्कृतिक विरासतों और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण धरोहरों को संरक्षित रखने के प्रति जागरूकता फैलाकर इसके संरक्षण को बढ़ावा देना भी है।

कोणार्क सूर्य मंदिर का ऐतिहासिक और स्थापत्य की दृष्टि से महत्व :

- कोणार्क सूर्य मंदिर को सन 1984 ई. में उसके अद्वितीय ऐतिहासिक और स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने को पहचानते हुए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था।
- यह मंदिर ओडिशा के मंदिर वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है और सूर्य देवता के रथ के आकार में निर्मित किया गया है।
- कोणार्क सूर्य मंदिर के पहिए को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं।
- यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले के पास स्थित है, जो पूर्वी ओडिशा का एक पवित्र नगर है।
- इसका निर्माण 13वीं शताब्दी (1238-1264 ई.) में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कराया था, जो गंग वंश के एक महान सम्राट थे।
- यह मंदिर न केवल गंग वंश की वास्तुकला और शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं महत्त्व को भी दर्शाता है।
- पूर्वी गंग राजवंश, जिसे रूधि गंग या प्राच्य गंग भी कहा जाता है, ने 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक कलिंग क्षेत्र पर शासन किया था।

कोणार्क सूर्य मंदिर की प्रमुख विशेषताएँ :

- कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अद्वितीय और जटिल वास्तुकला, साथ ही शानदार मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है।
- मंदिर का शिखर, जिसे रेखा देउल कहा जाता था, एक समय ऊँचा और अत्यंत भव्य था, लेकिन 19वीं शताब्दी में यह ध्वस्त हो गया।
- मंदिर की संरचना में पूर्व दिशा की ओर स्थित जगमोहन (दर्शक कक्ष या मंडप) पिरामिड आकार में है, जबकि इसके सामने नटमंदिर (नृत्य हॉल) स्थित है, जो वर्तमान में छत विहीन है।
- नटमंदिर एक ऊँचे चबूतरे पर बना हुआ है और ओडिशा की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है।

- कोणार्क मंदिर न केवल भारतीय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, बल्कि यह उस काल की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का जीवंत प्रतीक भी है।
- इसका निर्माण ओडिशा मंदिर वास्तुकला शैली में किया गया है।

ओडिशा मंदिर वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला शैली :

- ओडिशा मंदिर वास्तुकला, जिसे कलिंग वास्तुकला भी कहा जाता है, नागर वास्तुकला शैली का एक विशिष्ट रूप है, जो विशेष रूप से पूर्वी भारत में प्रचलित है।
- यह स्थापत्य शैली ओडिशा के धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और भारतीय स्थापत्य कला में अपनी अलग पहचान बनाती है।
- ओडिशा के मंदिरों की शिल्पकला और संरचनात्मक विशेषताएँ भारतीय मंदिर निर्माण की परंपरा में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
- ओडिशा मंदिर वास्तुकला के प्रमुख तीन घटक होते हैं: रेखापिडा (मुख्य शिखर), पिधादेउल (मंदिर का आधार) और खाकरा (आंतरिक संरचना)।
- इन तीनों भागों का संयोजन मंदिर की भव्यता, धार्मिक महत्व और एक आकर्षक एवं अद्भुत सौंदर्य को संयुक्त रूप से परिभाषित करता है।
- इन मंदिरों का निर्माण आम तौर पर प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हुआ है, जो वर्तमान में ओडिशा राज्य के पुरी जिले में स्थित है।
- इन प्रमुख मंदिरों में भुवनेश्वर (प्राचीन त्रिभुवनेश्वर), पुरी और कोणार्क के सूर्य मंदिर शामिल हैं।
- ओडिशा की वास्तुकला का एक प्रमुख तत्व है मंदिर के शिखर की विशिष्टता, जिसे 'देउल' कहा जाता है।
- यह शिखर न केवल ऊँचा और सीधा होता है, बल्कि इसके शीर्ष पर एक हल्का झुकाव भी देखा जाता है।
- इसके अलावा, मंदिरों में एक अन्य महत्वपूर्ण संरचना 'जगमोहन' होती है, जो मुख्य मंदिर से पहले स्थित होती है और भक्तों को पूजा और दर्शन के लिए एक समर्पित पवित्र स्थान प्रदान करती है।
- मंदिरों की बाहरी दीवारों पर जटिल नक्काशी और चित्रकला की जाती है, जो इनकी स्थापत्य कला की समृद्धि और भव्यता को प्रदर्शित करती है।
- इन मंदिरों के आंतरिक भाग अपेक्षाकृत सरल होते हैं, जिसमें संरचनाएँ व्यवस्थित और ध्यानमग्न रूप से डिजाइन की जाती हैं।
- इन मंदिरों की संरचना प्रायः वर्गाकार होती है, लेकिन ऊपर की ओर यह गोलाकार रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो मंदिर की वास्तुकला को आकर्षक और मनोहक बनाता है।

- इन मंदिरों के चारों ओर एक प्राचीर (दीवार) होती है, जो न केवल मंदिर को बाहरी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि इसे एक पवित्र क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है।

कोणार्क चक्र का महत्व :

- कोणार्क चक्र भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण प्रतीक है।
- यह 13वीं शताब्दी में विकसित सूर्यघड़ी के रूप में समय मापने और खगोलशास्त्र में भारतीय उन्नति का उदाहरण प्रस्तुत करता है।
- कोणार्क मंदिर का स्वरूप एक विशाल रथ के रूप में है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं, जो सप्ताह के सात दिनों का प्रतीक हैं।
- इसमें 24 पहिए हैं, जो 24 घंटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए 12 महीनों का प्रतीक हैं।
- प्रत्येक पहिए का व्यास 9 फीट 9 इंच होता है और इसमें 8 मोटी और 8 पतली तीलियाँ होती हैं, जो प्राचीन सूर्यघड़ी के रूप में काम करती हैं।
- पहियों पर जटिल नक्काशी की गई है, जिसमें पत्तियाँ, जानवर, और विभिन्न मुद्राओं में महिलाओं की आकृतियाँ शामिल हैं, जो कला और प्रतीकवाद की समृद्ध परंपरा को दर्शाती हैं।
- सूर्यघड़ी के रूप में पहिए समय मापने के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करते हैं।
- चौड़ी तीलियाँ तीन घंटे के अंतराल को दर्शाती हैं, पतली तीलियाँ 1.5 घंटे को, और स्पोक के बीच की मालाएँ 3 मिनट के अंतराल को दर्शाती हैं।
- मंदिर के शीर्ष पर स्थित चौड़ा स्पोक मध्यरात्रि को चिह्नित करता है, जो डायल समय को प्रदर्शित करने के लिए वामावर्त घूमता है।

कोणार्क चक्र का समकालीन महत्व और निष्कर्ष :



1. कोणार्क चक्र का समकालीन महत्व इस बात में निहित है कि यह न केवल ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, बल्कि भारतीय स्थापत्य और तकनीकी कला की उत्कृष्टता का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।
2. आज, यह चक्र भारतीय मुद्रा पर भी अंकित किया गया है, जिससे ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को वैश्विक मंच पर पहचान मिल रही है। विशेष रूप से, पुराने 20 रुपये और नए 10 रुपये के नोटों पर कोणार्क चक्र की उपस्थिति ओडिशा की ऐतिहासिक विरासत को सम्मानित करती है और भारतीय सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाती है।
3. 5 जनवरी 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए 10 रुपये के नोट पर कोणार्क चक्र को अंकित किया गया, जो इस प्राचीन शिल्पकला के समकालीन महत्व को बताता है।
4. कोणार्क मंदिर का यह चक्र अब भारतीय मुद्रा में केवल एक सांस्कृतिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह देश की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि और ऐतिहासिक गौरव को भी दर्शाता है।
5. कोणार्क मंदिर की वास्तुकला ने भारतीय मंदिर निर्माण की परंपरा में एक नया दृष्टिकोण पेश किया है। यह शैली न केवल स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर का भी एक अनूठा प्रतीक बन चुकी है, जो आज भी भारतीय कला और संस्कृति का गौरव बढ़ा रही है।
6. निष्कर्ष के रूप में, कोणार्क चक्र न केवल एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य, कला और विज्ञान के समृद्ध इतिहास का जीवित प्रतीक है। आज भी यह चक्र भारतीय स्थापत्य कला, सांस्कृतिक समृद्धि की पहचान, राष्ट्रीय गौरव और समृद्ध विरासत के प्रतीक को जीवित रखता है, जो भविष्य में भी भारतीय संस्कृति की पहचान के रूप में बना रहेगा।

स्रोत - पी. आई. बी एवं द हिन्दू।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारतीय स्थापत्य/वास्तुकला कला के संदर्भ में निम्नलिखित शैलियों पर विचार करें।

1. रेखापिडा (मुख्य शिखर)
2. पिथादेउल (मंदिर का आधार)
3. खाकरा (आंतरिक संरचना)
4. जगमोहन (दर्शक कक्ष या मंडप)

उपर्युक्त में से कौन ओडिशा मंदिर वास्तुकला या कलिंग वास्तुकला शैली का उदाहरण है ?

- A. केवल 1 और 3 B. केवल 2 और 4
C. इनमें से कोई नहीं। D. उपरोक्त सभी।

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. “भारत के प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य कला या वास्तुकला प्राचीन भारत के इतिहास, कला एवं संस्कृति के ज्ञान के एक विश्वसनीय एवं अति महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है।” इस कथन की विवेचना कीजिए।

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में भगदड़ के कारण बढ़ती मृत्यु की घटनाएं : करूर (तमिलनाडु) त्रासदी से सबक

समाचार में क्यों?



- तमिलनाडु के करूर (तमिलनाडु) में टीवीके की एक रैली में भारी भीड़ के कुचलने से 39 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए।
- ज्यादातर पीड़ित 18-30 साल के युवा थे।
- यह घटना तब हुई जब हजारों समर्थक सुबह 9 बजे से ही अभिनेता-राजनेता विजय का इंतजार कर रहे थे, जो घंटों देरी से पहुँचे थे। जैसे ही उनका काफिला शाम 7 बजे के आसपास कार्यक्रम स्थल पर पहुँचा, भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी।
- संकरा, अनियोजित आयोजन स्थल, पर्याप्त पुलिस बल की कमी और अपर्याप्त निकास द्वारों ने भीड़ को मौत के जाल में बदल दिया।

भगदड़ क्या है?

- भगदड़ (भीड़ का दबाव, भीड़ का उमड़ना, या भीड़ का अशांत होना) तब होती है जब भीड़ का घनत्व अत्यधिक हो जाता है और व्यक्ति अपनी गति पर नियंत्रण खो देता है। उदाहरण, महाकुंभ मेला : 2025 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
- शोध से पता चलता है कि जब घनत्व 6-7 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो जाता है, तो व्यक्ति स्वायत्तता खो देते हैं, जिससे डोमिनोज़ की तरह गिरने, दबाव से दम घुटने और कुचलने से मौतें होती हैं। उदाहरण, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन क्रश
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, भगदड़ से होने वाली 90% मौतें दम घुटने और छाती के दबाव के कारण होती हैं, न कि शारीरिक रूप से कुचलने के कारण।

भगदड़ एक आपदा के रूप में :



1. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत भगदड़ को “मानव निर्मित आपदा” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. बाढ़ या भूकंप के विपरीत, ये मानवीय लापरवाही, खराब योजना और कुप्रबंधन के कारण उत्पन्न होते हैं।
3. फिर भी, प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में भगदड़ को अक्सर कम नीतिगत प्राथमिकता दी जाती है।

भगदड़ के कारण :

1. संरचनात्मक / प्रशासनिक विफलताएँ

- कार्यक्रम अनुमोदन से पहले साइट सर्वेक्षण और सुरक्षा ऑडिट का अभाव
- संकीर्ण प्रवेश/निकास बिंदुओं वाले खराब तरीके से डिजाइन किए गए स्थल
- अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएँ और आपातकालीन प्रतिक्रिया दल
- संख्या पर कोई सीमा नहीं, आयोजक जन-आंदोलन को प्रोत्साहित करते हैं
- राजनीतिक/धार्मिक आयोजनों में भी टिकट/पास प्रणाली का अभाव

2. सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था में खामियां

- पुलिस-भीड़ अनुपात कम (भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 150 पुलिसकर्मी हैं जबकि संयुक्त राष्ट्र का मानक 222 है)
- भीड़ नियंत्रण या आपदा प्रतिक्रिया में कोई प्रशिक्षण नहीं

3. व्यवहारिक ट्रिगर

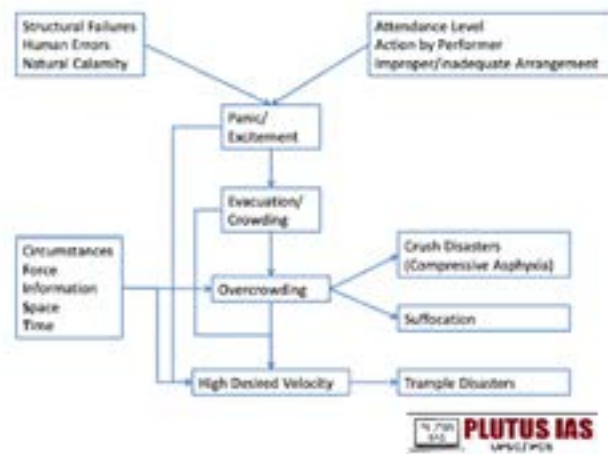
- अफवाहों, आग या अचानक शोर के कारण घबराहट
- अति उत्साह: किसी सेलिब्रिटी, नेता या देवता को देखने के लिए दौड़ पड़ना
- प्रतीक्षारत भीड़ में थकान, भूख या गर्मी का तनाव

4. विलंबित या कुप्रबंधित कार्यक्रम

- करूर उदाहरण: लंबे इंतजार के घंटे, नेता का देरी से आना, प्रवेश पर भीड़
- रतनगढ़ (2013): झूठी अफवाहों से दहशत

संवैधानिक और कानूनी प्रावधान :

- अनुच्छेद 21 : जीवन के अधिकार → में सार्वजनिक समारोहों में सुरक्षित भागीदारी का अधिकार शामिल है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 : भगदड़ को मानव निर्मित आपदाओं के रूप में शामिल किया गया है; योजना, तैयारी, प्रतिक्रिया को अनिवार्य बनाया गया है।
- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी):
- धारा 304 A : लापरवाही से मृत्यु का कारण बनना
- धारा 336, 337, 338 : जीवन को खतरे में डालने या गंभीर चोट पहुँचाने वाले कार्य



सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश:

- भारत संघ बनाम गुजरात राज्य (2012) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को धार्मिक स्थलों पर उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
- भीड़ नियंत्रण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का आह्वान किया।
- **एनडीएमए दिशानिर्देश (2014):** भीड़ घनत्व निगरानी, निकासी अभ्यास, आयोजकों और पुलिस के बीच समन्वय के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए।
- **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** बड़े समारोहों के लिए अनुमति को विनियमित करने की उम्मीद है, हालांकि कार्यान्वयन अभी भी कमजोर है।

भगदड़ से निपटने में चुनौतियाँ :

1. **कार्यान्वयन घाटा:** एनडीएमए के दिशानिर्देश मौजूद हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन शायद ही कभी किया जाता है।
2. **राजनीतिक एवं धार्मिक दबाव:** आयोजक सुरक्षा की अपेक्षा प्रतिष्ठा के लिए भीड़ के आकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
3. **कमजोर समन्वय:** पुलिस, स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य सेवाओं और आयोजकों के बीच कोई निर्बाध संपर्क नहीं है।
4. **बुनियादी ढांचे की कमियाँ:**
 - आपातकालीन निकास, बैरिकेड्स, साइनेज का अभाव
 - खराब रोशनी, अपर्याप्त प्राथमिक चिकित्सा चौकियाँ
5. **जन जागरूकता:** उपस्थित लोगों को बड़ी सभाओं में सुरक्षित व्यवहार के बारे में शायद ही पता होता है (जैसे, धक्का-मुक्की से बचना, शांत रहना)।
6. **डेटा की कमी:** भारत में भगदड़ से होने वाली मौतों का कोई केंद्रीय डाटाबेस नहीं है।

- एनसीआरबी भगदड़ को "अन्य दुर्घटनाओं" के अंतर्गत दर्ज करता है, जिससे नीति निर्धारण कठिन हो जाता है।



आगे की राह :

1. नीति सुधार:

- 5,000 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति देने से पहले अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट।
- लापरवाही के लिए आयोजकों, राजनीतिक दलों और धार्मिक ट्रस्टों पर कानूनी दायित्व तय किया गया।

2. तकनीकी एकीकरण:

- वास्तविक समय में भीड़ के घनत्व पर नजर रखने के लिए ड्रोन, एआई, सीसीटीवी।
- प्रवेश संख्याओं पर नजर रखने और प्रवाह को विनियमित करने के लिए मोबाइल ऐप/क्यूआर पास।

3. बुनियादी ढांचा और रसद:

- व्यापक प्रवेश/निकास मार्ग, एक-तरफ़ा प्रवाह प्रणाली।
- दृश्यमान संकेत के साथ आपातकालीन निकासी मार्ग।
- मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ और एम्बुलेंस निकट में तैनात हैं।

4. क्षमता निर्माण:

- पुलिस और स्वयंसेवकों को भीड़ के मनोविज्ञान, निकासी अभ्यास में प्रशिक्षित किया गया।
- प्रमुख आयोजनों से पहले मॉक ड्रिल।

5. जन जागरूकता:

- भीड़ में सुरक्षित व्यवहार पर अभियान (जैसे जापान का भीड़-सुरक्षा अभ्यास)।
- कार्यक्रमों के दौरान निकास और आपातकालीन प्रोटोकॉल के बारे में घोषणाएं।

निष्कर्ष :

1. 2025 की करूर भगदड़ कोई अकेली त्रासदी नहीं, बल्कि भारत की इवेंट मैनेजमेंट संस्कृति में एक परेशान करने वाले पैटर्न का हिस्सा है।
- बार-बार होने वाली जान-माल की हानि दुर्लभ दुर्घटनाओं की बजाय व्यवस्थागत लापरवाही को उजागर करती है।
2. चूंकि भारत में धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए भीड़ की सुरक्षा को शासन की मुख्य प्राथमिकता माना जाना चाहिए।
3. जब तक सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित और संरक्षित नहीं बनाया जाता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार निरर्थक है।
- योजना, जवाबदेही, तकनीक और जन जागरूकता के साथ, भगदड़ को बार-बार सुर्खियों में आने के बजाय अतीत की बात बनाया जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

Q. भगदड़ के संदर्भ में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द "कम्प्रेसिव एस्फिक्सिया" किससे संबंधित है?

- A) बड़ी सभाओं में अति उत्तेजना के कारण दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु।
- B) भीड़ का घनत्व बहुत अधिक होने पर छाती पर दबाव पड़ने के कारण सांस लेने में असमर्थता।
- C) अनियंत्रित भीड़ में पैरों तले कुचले जाने से हुई मृत्यु।
- D) सामूहिक समारोहों में आग लगने के दौरान धुएं के कारण दम घुटना।

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न:

- Q. भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समारोहों के दौरान भगदड़ की घटनाएँ अक्सर होती रहती हैं। उन सामाजिक-सांस्कृतिक और व्यवहारिक कारकों का परीक्षण कीजिए जो बड़ी भीड़ को ऐसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

यूनेस्को का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत : भारत के पारंपरिक अनुष्ठान पवित्र रंगमंच

समाचार में क्यों?



- यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) के महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में भारत के पारंपरिक अनुष्ठानिक रंगमंचों को मान्यता दिए जाने के बाद, ये रंगमंच एक बार फिर सांस्कृतिक सुर्खियों में आ गए हैं।
- चार कला शैलियों—केरल के कुटियाट्टम और मुडियेट्ट, उत्तराखंड के रम्मन और उत्तर भारत की रामलीला—को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई है।
- नीतिगत बहसों और सांस्कृतिक मंचों में अमूर्त विरासत पर हाल ही में दिए गए जोर ने अनुष्ठानिक रंगमंचों को भारत के सांस्कृतिक विमर्श में अग्रणी स्थान पर ला दिया है, जिससे ये आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व और ज़िम्मेदारी दोनों का विषय बन गए हैं।

अनुष्ठान रंगमंच क्या है?

1. अनुष्ठानिक रंगमंच को भक्ति, समुदाय और कला के संगम पर उभरने वाले एक प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया जा सकता है।
2. इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था को पवित्र और उत्सवित करना है।
3. प्रदर्शनों में आमतौर पर कई कलात्मक तत्वों का मिश्रण होता है: संवाद, गीत, नृत्य, तालवाद्य, मूकाभिनय, कठपुतली और दृश्य प्रतीकात्मकता।
4. मुख्यधारा के रंगमंच से एक प्रमुख अंतर यह है कि अनुष्ठानिक रंगमंच पवित्र या सामुदायिक स्थानों, जैसे मंदिर प्रांगण, गाँव के चौक, या विशेष रूप से निर्मित मंचों (जैसे केरल का कुट्टम्पलम) पर मंचित किया जाता है।
5. कलाकार केवल अभिनेता ही नहीं होते, बल्कि अनुष्ठान में भाग लेने वाले भी होते हैं, जो पवित्रता और अनुशासन के नियमों से बंधे होते हैं।
- दर्शक भी इस पवित्र प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं—साक्षी होते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, और अक्सर भाग लेते हैं।
6. अनुष्ठानिक रंगमंच संस्कृति के "जीवंत अवतार" होते हैं, जो पीढ़ियों से मौखिक और अनुभवात्मक रूप से प्रसारित होते रहते हैं।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत :



1. यह पारंपरिक और समकालीन दोनों है, जिसमें विरासत में मिली परंपराओं के साथ-साथ वर्तमान ग्रामीण और शहरी प्रथाएँ भी शामिल हैं।
2. यह समावेशी है, समुदायों में साझा है और पीढ़ियों से विकसित हो रही है, जिससे लोगों को पहचान, निरंतरता और सामाजिक एकता मिलती है।
3. यह प्रतिनिधि है, जिसका महत्व विशिष्टता के लिए नहीं, बल्कि समुदायों में इसकी भूमिका के लिए है, जो समय के साथ

हस्तांतरित ज्ञान और कौशल द्वारा निरंतर बनी रहती है।

4. वर्तमान में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) के 15 तत्वों को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया है, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और एक वैश्विक मंच प्राप्त हुआ है।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के कन्वेंशन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) के पांच व्यापक डोमेन परिभाषित किए गए हैं:

1. अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के माध्यम के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएँ और अभिव्यक्तियाँ
2. प्रदर्शन कला
3. सामाजिक प्रथाएँ, अनुष्ठान और उत्सव कार्यक्रम
4. प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान और व्यवहार
5. पारंपरिक शिल्प कौशल

भारत के अनुष्ठानिक रंगमंच यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) सूची में शामिल

यूनेस्को की आईसीएच की प्रतिनिधि सूची में भारत के 15 तत्व अंकित हैं, और अनुष्ठान थिएटर इस मान्यता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समूह का निर्माण करते हैं। इनमें शामिल हैं:

1. कुट्टियाट्टम (केरल) –



- भारत का सबसे पुराना, 2,000 साल से भी ज्यादा पुराना, संस्कृत रंगमंच।
- इसमें शास्त्रीय ग्रंथों का शैलीगत अभिनय के साथ संयोजन होता है, जिसमें आँखों और हाथों के उच्च-संहिताबद्ध हाव-भाव (अभिनय) का प्रयोग किया जाता है।
- एक एकल अभिनय में कई दिन लग सकते हैं, और पूरे नाटक 40 रातों तक चल सकते हैं।

- पारंपरिक रूप से मंदिर रंगमंचों में प्रस्तुत किया जाने वाला कुट्टियाट्टम अपनी धार्मिक पवित्रता को बनाए रखता है, जिसमें एक पवित्र दीपक ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक है।

2. मुडियेट्ट (केरल) –



- देवी काली की राक्षस दारिका पर विजय को दर्शाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य-नाटिका।
- फसल कटाई के बाद भगवती कवु (मंदिर परिसर) में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला यह नृत्य-नाटिका, मुखौटा बनाने वालों से लेकर संगीतकारों तक, पूरे गाँव को शामिल करता है, जिससे यह एक सच्चा सामुदायिक नाट्य बन जाता है।
- यह अनुष्ठान एक पवित्र कलम (देवी का फर्श पर चित्र) के निर्माण से शुरू होता है और इसके साथ मंत्रोच्चार, ढोल और विशिष्ट भाव-भंगिमाएँ भी होती हैं।
- रम्मन (उत्तराखंड) – भूमियाल देवता के सम्मान में सलूर-डूंगरा में मनाया जाने वाला एक अनोखा ग्रामीण उत्सव।
- इस उत्सव में मुखौटा नृत्य, महाकाव्य पाठ, अनुष्ठान गीत और सामुदायिक भोज शामिल होते हैं।
- गाँव की हर जाति, चाहे वह पुजारी हो, मुखौटा बनाने वाला हो या ढोल बजाने वाला हो, सामाजिक ताने-बाने को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाती है।
- ढोल, दमाऊ, झांझर और भंकोरा जैसे वाद्य यंत्र इस उत्सव की ध्वनि-प्रधानता का निर्माण करते हैं।



- रामलीला (उत्तर भारत) – शायद अनुष्ठानिक रंगमंच का सबसे व्यापक रूप, रामलीला, रामायण के प्रसंगों का मंचन करती है, खासकर दशहरा उत्सव के दौरान। कुछ प्रसिद्ध रामलीलाएँ, जैसे वाराणसी के रामनगर या अयोध्या में होने वाली रामलीलाएँ, हफ्तों तक चलती हैं और इनमें विस्तृत मंचीय कला, संगीत और संवाद शामिल होते हैं। तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित इन प्रदर्शनों ने महाकाव्य तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाया, क्योंकि संस्कृत रामायण स्थानीय भाषा में प्रदर्शन के माध्यम से सुलभ हो गई।



संगीत नाटक अकादमी की भूमिका

1953 में स्थापित संगीत नाटक अकादमी, भारत में प्रदर्शन कलाओं का सर्वोच्च संस्थान है। अनुष्ठानिक नाट्यकलाओं के संरक्षण में इसकी भूमिका बहुआयामी है:

1. **दस्तावेजीकरण और संग्रहण:** यह प्रदर्शनों के राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार का रखरखाव करता है, जिससे उन्हें अनुसंधान और भावी पीढ़ी के लिए सुलभ बनाया जा सके।
2. **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:** कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और गुरु-शिष्य कार्यक्रमों के माध्यम से, अकादमी ज्ञान हस्तांतरण सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए, युवा कुट्टियाट्टम छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जाती है।
3. **मान्यता और पुरस्कार:** अकादमी अनुष्ठान थिएटर के उस्तादों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित करती है।
4. **त्यौहार और मंच:** यह राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव, लोक रंगमंच महोत्सव और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन करता है, जिससे स्थानीय कला रूपों की दृश्यता सुनिश्चित होती है।
5. **यूनेस्को के साथ सहयोग:** यह यूनेस्को की आईसीएच सूची में भारत के नामांकन का समन्वय करता है और स्थानीय संरक्षण के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करता है, जैसा कि उत्तराखंड में रम्मण के मामले में किया गया है।
6. **वित्तीय सहायता:** कलाकारों को वजीफा और अनुदान प्रदान करता है, जिससे उन्हें संसाधन की कमी को दूर करने में मदद मिलती है।

7. परंपरा को संरक्षण के आधुनिक साधनों के साथ सम्मिश्रित करके, अकादमी अनुष्ठानिक रंगमंचों और समकालीन दर्शकों के बीच एक सेतु का काम करती है।



संरक्षण में चुनौतियाँ

1. पवित्रता का क्षरण : पर्यटन के लिए व्यावसायीकरण अक्सर प्रदर्शनों के अनुष्ठानिक सार को छीन लेता है।
2. संरक्षण में गिरावट : शहरी प्रवास और संयुक्त सामुदायिक प्रणालियों के पतन से भागीदारी कम हो जाती है।
3. पीढ़ीगत अंतराल : युवा लोग अक्सर लंबे प्रशिक्षण (कुटियाट्टम के लिए 10-15 वर्ष) को आज की तेज गति वाली दुनिया में अव्यावहारिक मानते हैं।
4. वित्तीय बाधाएँ : वेशभूषा, मुखौटे और संगीत वाद्ययंत्र महंगे हैं और उनसे मिलने वाला लाभ भी कम है।
5. दस्तावेजीकरण की कमी : जबकि यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध स्वरूप संरक्षित हैं, सैकड़ों स्थानीय अनुष्ठान थिएटर अभी भी अलिखित हैं तथा उनके लुप्त होने का खतरा है।
6. डिजिटल प्रतिस्पर्धा : सिनेमा, ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का आकर्षण दर्शकों को पारंपरिक प्रदर्शनों से दूर खींचता है।

आगे की राह :

1. समुदाय-नेतृत्व संरक्षण : स्थानीय समुदायों को केवल कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि संरक्षक के रूप में सशक्त बनाना, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
2. शिक्षा में एकीकरण : स्कूलों और विश्वविद्यालयों में अनुष्ठानिक रंगमंच पर मॉड्यूल शुरू करने से युवाओं में जागरूकता और सम्मान बढ़ेगा।
3. डिजिटल संग्रहण और नवाचार : एआई, वीआर और 3डी प्रौद्योगिकियाँ इमर्सिव अनुभवों को पुनः निर्मित कर सकती हैं, जिससे मूल को सुरक्षित रखते हुए वैश्विक दर्शकों को जुड़ने का अवसर मिलेगा।
4. वित्तपोषण और नीति समर्थन : केन्द्र और राज्य सरकारों को कला संस्कृति विकास योजना जैसी योजनाओं का विस्तार करके अनुष्ठानिक रंगमंचों को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

5. संवेदनशीलता के साथ पर्यटन : सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट के भाग के रूप में अनुष्ठानिक रंगमंचों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से कि उनके अनुष्ठानिक चरित्र को विकृत न किया जाए।

6. युवा प्रोत्साहन : छात्रवृत्ति, फेलोशिप और कलाकार निवास युवा पीढ़ी को आकर्षित कर सकते हैं।

7. वैश्विक सहयोग : अन्य देशों से सीख लेकर - जैसे जापान का नोह थिएटर या बाली के अनुष्ठानिक नृत्य - भारत संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपना सकता है।

निष्कर्ष :

1. भारत के अनुष्ठानिक रंगमंच अतीत के अवशेष नहीं, बल्कि जीवंत परंपराएँ हैं जो सामुदायिक जीवन और आस्था की धड़कन हैं।
2. ये रंगमंच मिथकों, संगीत, आंदोलनों और नैतिक मूल्यों को एक साथ पिरोकर पहचान की जीवंत अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं।
3. कुटियाट्टम के सूक्ष्म अभिनय से लेकर मुडियेट्टु के उग्र युद्ध दृश्यों तक, रम्माण की सामुदायिक एकता से लेकर रामलीला की महाकाव्यात्मक भव्यता तक, ये रंगमंच भारत की सांस्कृतिक बहुलता और सातत्य का प्रतीक हैं।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न:

Q. संगीत नाटक अकादमी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह प्रदर्शन कलाओं के लिए भारत का सर्वोच्च निकाय है और अनुष्ठानिक रंगमंचों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2. यह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भारत के नामांकन का समन्वय करता है।
3. इसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद 1965 में संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न :

Q. भारत में अनुष्ठानिक नाट्यकला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समुदायों की आस्था, परंपरा और जीवनशैली का अभिन्न अंग है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अनुष्ठानिक नाट्यकलाओं की भूमिका और महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

भारत में बढ़ती महिला श्रम बल भागीदारी (PFLS) की दर

समाचार में क्यों?

- भारत ने महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहाँ महिला श्रमबल भागीदारी दर 2017-18 के 23% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 42% हो गई है।

भारत में महिला कार्यबल भागीदारी के प्रमुख प्रेरक और सतत चुनौतियाँ

भाग 1: महिला कार्यबल में बढ़ती भागीदारी के प्रमुख कारक

ड्राइवर	उद्देश्य / मकसद	उदाहरण और डेटा
1. कौशल विकास पहल	महिलाओं को बाजार-प्रासंगिक और डिजिटल कौशल से लैस करना	PMKVY के तहत 45% प्रशिक्षु महिलाएं; NAVYA कार्यक्रम 16-18 वर्ष की लड़कियों को साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षित करता है
2. वित्तीय समावेशन	महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता और ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देना	PMMY के तहत 68% लाभार्थी महिलाएं; Stand-Up India - 2025 तक 2.01 लाख महिला खाते
3. मातृत्व और कार्यस्थल सहायता कानून	परिवार-अनुकूल कार्यस्थल बनाना और नौकरी बनाए रखना सुनिश्चित करना	मातृत्व लाभ अधिनियम (संशोधित 2017) के तहत 26 सप्ताह की छुट्टी — BRICS देशों में दूसरा सबसे बड़ा अवकाश
4. सुरक्षा और निवारण तंत्र	सुरक्षित और उत्पीड़न-मुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित करना	POSH अधिनियम (2013) और SHe-Box पोर्टल - कामकाजी महिलाओं के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली
5. सरकारी रोजगार और नीति सुधार	सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना	प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस में छूट; सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए 730 दिन का बाल देखभाल अवकाश
6. डिजिटल और अनौपचारिक क्षेत्र के अवसर	डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से लचीले कार्य मोड सक्षम करना	गिग और प्लेटफॉर्म नौकरियों में वृद्धि - ई-कॉमर्स डिलीवरी और ऑनलाइन शिक्षण में महिलाओं की हिस्सेदारी 36%
7. सामाजिक और मिशन-आधारित सशक्तिकरण	सुरक्षा, प्रशिक्षण और आजीविका को एक छतरी के नीचे लाना	Mission Shakti (2024) — सुरक्षा (Sambal) और सशक्तिकरण (Samarthya) कार्यक्रमों का एकीकरण

भाग 2: सतत मुद्दे और चुनौतियाँ

मुद्दा	विवरण	उदाहरण / डेटा / प्रभावित समूह
1. लैंगिक वेतन अंतर	औपचारिक नौकरियों में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी कम कमाती हैं	महिलाएं 30-35% कम कमाती हैं; लैंगिक वेतन समानता में भारत का स्थान 120वां
2. अनौपचारिक क्षेत्र की भेद्यता	महिलाएं असुरक्षित, कम सुरक्षा वाली नौकरियों में केंद्रित हैं	85% कामकाजी महिलाएं अनौपचारिक नौकरियों (घरेलू कामगार, कृषि मजदूर) में संलग्न
3. ग्रामीण-शहरी विभाजन	संरचनात्मक बाधाओं से शहरी कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी कम	शहरी महिलाओं का LFPR 25%, जबकि ग्रामीण महिलाओं का 45%
4. व्यावसायिक पृथक्करण	महिलाओं को सीमित, कम वेतन वाले क्षेत्रों में सीमित रखा जाता है	मुख्यतः कपड़ा, देखभाल अर्थव्यवस्था, शिक्षण और स्वास्थ्य सहायिका क्षेत्रों में केंद्रित
5. सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड	लिंग आधारित अपेक्षाएं महिलाओं को कार्यबल से बाहर करती हैं	NCRB डेटा: 60% महिलाएं शादी के बाद नौकरी छोड़ती हैं
6. बाल देखभाल बुनियादी ढांचे का अभाव	कामकाजी माताओं के लिए क्रेच सुविधाओं की कमी	संगठित क्षेत्र के केवल 30% कार्यस्थलों पर शिशु-आश्रय सुविधा उपलब्ध
7. तकनीकी और STEM बहिष्करण	उच्च तकनीकी और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व	R&D भूमिकाओं में 14%, स्टार्टअप संस्थापकों में 18% महिलाएं

समिति/आयोग

समिति / आयोग	प्रमुख अनुशंसा
नीति आयोग (महिला@कार्य रूपरेखा 2047)	क्षेत्रीय लैंगिक समानता और महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को समर्थन के माध्यम से 50% कार्यबल भागीदारी प्राप्त करना।
महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति (2024)	समान वेतन ऑडिट और अनिवार्य कॉर्पोरेट लिंग रिपोर्टिंग लागू करना।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)	डिजिटल और हरित क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं को लक्षित करते हुए Skill HER India पहल का शुभारंभ।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (2025 मसौदा नीति)	मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश में समानता का विस्तार तथा गिग कार्य सुरक्षा का औपचारिककरण।
ब्रिक्स महिला विकास मंच (2025)	लिंग-संतुलित आर्थिक नीतियों पर अंतर-देशीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)	कर लाभ के माध्यम से 40% से अधिक महिलाओं की नियुक्ति करने वाली निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करना।
16वां वित्त आयोग (प्रस्तावित 2025)	लिंग-उत्तरदायी बजट आवंटन और उच्च LFPR वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने की सिफारिश।

निष्कर्ष :

- भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी में वृद्धि केवल एक आँकड़ा नहीं है—यह एक सामाजिक क्रांति है जो विकास को नई परिभाषा दे रही है। ग्रामीण कारीगरों से लेकर तकनीकी उद्यमियों तक, महिलाएं भारत के आर्थिक परिवर्तन की नई इंजन हैं।
- 23% से 42% श्रम बल भागीदारी (LFPR) का बढ़ना दर्शाता है कि नीति, अवसर और मानसिकता में बदलाव भारत की आधी अप्रयुक्त मानव पूंजी को उजागर कर सकते हैं।

- जैसे-जैसे भारत विकसित भारत@2047 की ओर बढ़ रहा है, महिलाओं की 50% कार्यबल भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। सशक्त, शिक्षित और कार्यरत महिलाएँ न केवल समावेशी विकास का आधार हैं, बल्कि एक अधिक समतामूलक और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारत की निर्माता भी हैं।

परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में महिला श्रम बल भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 2017-18 में लगभग 23% से बढ़कर 2023-24 में 41% से अधिक हो गई।
- पिछले दशक में ब्रिक्स देशों में महिला एलएफपीआर में भारत ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है।
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 संशोधन ने लचीले रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि को घटाकर 12 सप्ताह कर दिया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 (d) 1, 2, और 3

उत्तर: A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. भारत में महिला श्रमबल भागीदारी में हालिया वृद्धि के प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए। 2047 के विकासशील भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेप निरंतर समावेशन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं?

(शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में जनसांख्यिकी मिशन का रोडमैप

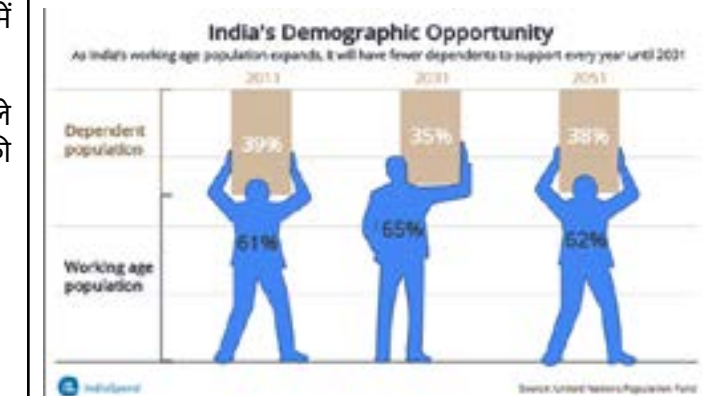
भारत का प्रस्तावित जनांकिकीय मिशन क्या है?

परिचय: जनांकिकीय मिशन (भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2025 को घोषित) एक व्यापक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य देश के जटिल जनांकिकीय परिवर्तनों की निगरानी, प्रबंधन और व्याख्या करना है।

जनसांख्यिकी मिशन के मुख्य उद्देश्य:

- राष्ट्रीय अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करने वाले अवैध आव्रजन का मुकाबला करना।
- जनांकिकीय असंतुलन को रोकना जो क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक पहचान को बदल सकते हैं।
- जनजातीय समुदायों और पिछड़े समुदायों सहित कमजोर समूहों की आजीविका एवं अधिकारों की रक्षा करना।
- सार्वजनिक संसाधनों, कल्याण प्रणालियों और सीमा स्थिरता पर प्रवास के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का आकलन करना।

भारत में जनसांख्यिकी मिशन का रोडमैप



- भारत विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में एक जनांकिकीय चौराहे पर खड़ा है, जहाँ युवाओं की अपार क्षमता है, लेकिन क्षेत्रीय और सामाजिक असंतुलन भी गहरा है।
- हाल ही में घोषित 'जनसांख्यिकी मिशन' ने इस बहस को पुनः प्रज्वलित किया है कि जनसंख्या संबंधी आँकड़े किस प्रकार समावेशी विकास की दिशा निर्धारित कर सकते हैं।
- केवल संख्याओं की गणना से आगे बढ़कर भारत को असमान अवसरों, प्रवासन अधिकारों तथा वृद्धजन संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि जनांकिकीय समझ को समानता-आधारित विकास और सतत् राष्ट्रीय प्रगति के खाके में रूपांतरित किया जा सके।

जनांकिकीय मिशन की आवश्यकता क्या है?

- अनियंत्रित आव्रजन और सीमा सुरक्षा :** अनियंत्रित, बिना दस्तावेजों वाला आव्रजन (विशेष रूप से बांग्लादेश से होने वाला आव्रजन) क्षेत्रीय पहचान को बदल देता है तथा सीमावर्ती क्षेत्र के संसाधनों पर दबाव डालता है।
- उदाहरण के लिये, असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में सीमा पार से होने वाले व्यापक आव्रजन के कारण जनांकिकीय

बदलाव देखे गए हैं, साथ ही सांस्कृतिक एवं संसाधन संबंधी निहितार्थों पर स्थानीय स्तर पर विरोध भी जताया गया है।

2. आंतरिक प्रवास : आंतरिक प्रवास अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जिससे शहरी विकास को बढ़ावा मिल रहा है और श्रम का पुनर्वितरण हो रहा है। अनुमान है कि देश भर में 45 करोड़ (450 मिलियन) से अधिक भारतीय प्रवासी हैं। हालाँकि, प्रवासियों को मताधिकार से वंचित होने, कल्याणकारी योजनाओं तक अभिगम्यता खोने और पहचान के संघर्ष का सामना करना पड़ता है। प्रवासियों को सामाजिक बहिष्कार, पहचान के संकट और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी का सामना करना पड़ता है।

3. जनसंख्या वृद्धि और मानव पूँजी क्षमता : भारत अब विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसकी औसत आयु केवल 29 वर्ष है। यह विशाल युवा आबादी जनांकिकीय लाभांश और जोखिम, दोनों प्रदान करती है यदि उनकी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है।

4. वृद्धावस्था और दीर्घायु : जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 63 वर्ष (2000) से बढ़कर 72 वर्ष (2025) से अधिक हो गई है। वर्ष 2050 तक, भारत के वृद्धजनों (60+) की संख्या वर्ष 2025 के 154 मिलियन से बढ़कर 320 मिलियन से अधिक हो जाएगी। यह सामाजिक सुरक्षा, उत्पादक वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति मानदंडों पर पुनर्विचार जैसे तात्कालिक प्रश्न उठाता है।

5. नीतिगत अदृशदर्शिता : परंपरागत नीतिगत दृष्टिकोण जनसंख्या की संख्या और प्रति व्यक्ति संकेतकों पर तो केंद्रित रहता है, किंतु यह जनसंख्या की संरचना, आयु-विन्यास और क्षमता-संबंधी असमानताओं की उपेक्षा कर देता है।

6. एक समग्र दृष्टिकोण वाला मिशन इस बात का समर्थन करता है कि जनांकिकीय संवेदनशीलता (Demographic Sensitivity) को सभी नीतियों, शिक्षा, नगरीकरण, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण तथा अन्य क्षेत्रों में मुख्यधारा का अंग बनाया जाये, ताकि वह समावेशी राष्ट्रीय नियोजन का मूल आधार बन सके।

7. जनांकिकीय शासन में तकनीकी एकीकरण : वास्तविक काल की निगरानी और पूर्वानुमानित योजना के लिये AI-आधारित निगरानी, बायोमेट्रिक डेटा एवं बिग-डेटा प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

संस्थागत सुधारों में राष्ट्रीय शरणार्थी कानून, NRC और संघीय जनांकिकीय परिषदें शामिल हैं, जो डेटा-संचालित शासन और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों की ओर बदलाव को दर्शाती हैं।

भारत के वर्तमान जनांकिकीय रुझानों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सीमा प्रबंधन की कमियाँ: बांग्लादेश (4,096 किमी.) और म्याँमार (1,643 किमी.) से लगती भारत की सीमाएँ प्रबंधन की

गंभीर कमजोरियों से जूझ रही हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

- पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा (2,216.7 किलोमीटर) में से केवल 1,647.7 किलोमीटर भाग पर ही बाड़ लगाई गयी है, जबकि लगभग 569 किलोमीटर क्षेत्र भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं और राज्य-स्तरीय असहयोग के कारण अब भी बिना बाड़ के है।

- भारत-म्याँमार सीमा पर 2% से भी कम बाड़ लगी है, चुनौतीपूर्ण भू-भाग और उग्रवादियों की मौजूदगी निगरानी में बाधा डाल रही है।

- सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय विखंडित है तथा सड़कों और चौकियों जैसे सीमावर्ती अवसंरचना को वित्तीय एवं प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- ये कमियाँ अवैध आतंजन, पशु तस्करी, मादक पदार्थों के व्यापार और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं।

- प्रवासन और पहचान से जुड़ी राजनीतिक संवेदनशीलताएँ: जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा आंशिक रूप से बांग्लादेश से अनिर्दिष्ट आप्रवासन की समस्या से निपटने के लिये की गई थी, जिससे सुरक्षा और समावेशिता पर बहस छिड़ गई।

- असम और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्य प्रवासन-जनांकिकीय बदलावों के कारण सामाजिक तनाव की रिपोर्ट करते हैं।

- राष्ट्रीय अखंडता को मानवीय प्रवासन नीतियों के साथ संतुलित करना एक संवेदनशील चुनौती है।

- क्षेत्रीय प्रजनन द्वैतता और असमानता का प्रश्न: भारत में प्रजनन दर तथा मानव पूँजी संकेतकों में गहरी क्षेत्रीय विषमताएँ विद्यमान हैं, जो नीतिनिर्माण और संसाधनों के समान वितरण को जटिल बना देती हैं।

- बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर उच्च बनी हुई है। बिहार की कुल प्रजनन दर (TFR) लगभग 2.8 से 3.0 के बीच है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से काफी ऊपर है, जबकि केरल, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों में TFR प्रतिस्थापन स्तर से कम है, कुछ में तो 1.2 तक कम है।

- यह असमानता शिक्षा और गरीबी जैसे विपरीत सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रेरित है। केरल की साक्षरता दर 96% से अधिक है, जिससे महिला सशक्तीकरण और प्रजनन विकल्पों को बढ़ावा मिलता है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 70% से नीचे है, जो उच्च प्रजनन दर एवं परिवार नियोजन तक सीमित अभिगम्यता से संबंधित है।

- ये असमानताएँ संसाधन आवंटन को भी जटिल बनाती हैं, जिससे वित्त आयोग का हस्तांतरण और समान विकास प्रभावित होता है।

- गरीब और कम साक्षर राज्यों में उच्च प्रजनन क्षमता स्वास्थ्य के अवसंरचना एवं आर्थिक प्रगति पर दबाव डालती है, जिससे असमानता बनी रहती है, जबकि कम प्रजनन क्षमता वाले राज्यों को वृद्ध आबादी तथा कार्यबल में गिरावट की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- सीमित सामाजिक सुरक्षा:** भारत की वृद्ध आबादी (60+) वर्ष 2025 में 154 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2050 तक 320 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है, फिर भी औपचारिक पेंशन कवरेज न्यूनतम है, जिससे कई लोग परिवार या व्यक्तिगत बचत पर निर्भर हैं।

- बहु-स्तंभ सामाजिक सुरक्षा प्रणालियाँ, जो सरकार, नियोजित और व्यक्तिगत योगदान को एकीकृत करती हैं, बहुत हद तक अविकसित हैं।

- अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (जो कुल रोजगार का लगभग 90% हैं) के पास पेंशन, स्वास्थ्य बीमा या बेरोजगारी लाभ का अभाव है, जिससे आर्थिक आघात के प्रति उनकी सुभेद्यता बढ़ जाती है।

- युवा रोजगार संकट और कौशल असंतुलन:** हालाँकि भारत में एक जीवंत युवा आबादी है, फिर भी वर्ष 2022 में बेरोजगार आबादी का 83% युवा थे।

- केवल लगभग 42-45% स्नातक ही नौकरी के लिये तैयार माने जाते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार कम वेतन एवं असुरक्षा के साथ हावी है।

- कौशल भारत मिशन इस अंतर को समाप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में असमान गुणवत्ता और अभिगम्यता बाधाएँ बनी हुई हैं।

- लैंगिक असमानताएँ:** महिला श्रम बल में भागीदारी कुल मिलाकर 41.7% है, जबकि शहरी भागीदारी बहुत कम है।

- लैंगिक मानदंड और देखभाल का बोझ प्रजनन संबंधी निर्णयों एवं कार्यबल समावेशन को प्रभावित करते हैं।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और NAMO ड्रोन दीदी जैसे कार्यक्रम महिला सशक्तीकरण की दिशा में काम करते हैं, लेकिन इनके विस्तार की आवश्यकता है।

संसाधनों और पर्यावरण पर दबाव:

- भारत का विस्तार विश्व की केवल 2.4% भूमि पर है, लेकिन वैश्विक जनसंख्या के लगभग 18% का भरण-पोषण करता है, जिससे जल और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है।

- तीव्र होते शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण वनों की कटाई की गई है तथा उपजाऊ भूमि का नुकसान हुआ है, जबकि

बाढ़ एवं सूखे जैसी जलवायु संबंधी कमजोरियाँ आजीविका व संधारणीयता के लिये खतरा उत्पन्न करती हैं।

- अनियंत्रित आतंजन दुर्लभ संसाधनों की माँग को और बढ़ा देता है तथा मुद्रास्फीति आवश्यक वस्तुओं की लागत बढ़ा देती है, जिससे स्थायी संसाधन प्रबंधन तक अभिगम्यता एवं निवेश में चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं।

- भारत के जनांकिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिये प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** अल्पकालिक, उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करती है, विनिर्माण, IT और सेवाओं में कार्यबल की तत्परता को बढ़ावा देती है।

- स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये उद्यमिता एवं ऋण तक अभिगम्यता को बढ़ावा देती है, रोजगार सृजन करती है तथा युवा नवाचारों का संवर्द्धन करती है।

- मेक इन इंडिया:** भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करता है, बढ़ते कार्यबल को समाहित करने के लिये बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है।

- आयुष्मान भारत :** 41 करोड़ से अधिक परिवारों के लिये स्वास्थ्य बीमा। उत्पादकता के लिये जनांकिकीय स्वास्थ्य परिणामों में सुधार महत्वपूर्ण है।

- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड :** प्रवासियों के लिये कल्याणकारी पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, आंतरिक प्रवास और शहरी कार्यबल स्थिरता का समर्थन करता है।

- नई शिक्षा नीति (NEP) 2020:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार, जनांकिकीय क्षमता को अधिकतम करने के लिये मानव पूँजी का निर्माण।

- डिजिटल इंडिया:** डिजिटल साक्षरता और अवसंरचना को बढ़ावा देता है, जिससे युवाओं को शिक्षा, सरकारी योजनाओं और गिग इकॉनमी के अवसरों तक अभिगम्यता मिलती है।

भारत के समग्र जनांकिकीय भविष्य के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- राष्ट्रीय जनांकिकीय खुफिया कार्यवाही:** जनगणना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS), श्रम ब्यूरो एवं Aadhaar से डेटासेट को लिंक और एकीकृत करके वास्तविक काल में, विस्तृत जनांकिकीय निगरानी तैयार की जानी चाहिये।

- डेटा-आधारित नीति लक्ष्यीकरण, प्रवासन प्रबंधन और संसाधन आवंटन को सक्षम बनाता है।

- सटीकता के लिये उपग्रह और बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग करते हुए, डिजिटल एवं AI-आधारित जनगणना- 2027 का प्रस्ताव सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

- सीमा प्रबंधन और अप्रवासी संकट प्रबंधन: अवैध आब्रजन और तस्करी को नियंत्रित करने के लिये बांग्लादेश एवं म्यांमार के साथ छिद्रपूर्ण सीमाओं पर निगरानी, बाड़ लगाने तथा अंतर-एजेंसी समन्वय बढ़ाकर सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।
- साथ ही, मानवीय प्रवासी व्यवहार, कानूनी प्रवासन कार्यवाहों के लागू करने तथा प्रवासी प्रवाह के लिये संकट प्रबंधन तंत्र स्थापित करने हेतु नीतियाँ तैयार की जानी चाहिये।
- सेंसर-आधारित निगरानी प्रणाली, नाइट-विज़न कैमरे, मोशन सेंसर और ड्रोन (जैसे निशांत, घटक, रुस्तम) का उपयोग वास्तविक काल में निगरानी एवं स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करेगा।
- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) सुनिश्चित करने से जनशक्ति, सेंसर, खुफिया जानकारी और कमांड नियंत्रण का एकीकरण होगा जिससे त्वरित एवं समन्वित प्रतिक्रियाएँ संभव होंगी।
- कौशल विकास और युवा रोजगार क्षमता में वृद्धि: स्किल इंडिया मिशन की अभिगम्यता का विस्तार किया जाना चाहिये, पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ज़ोर देकर क्षमता अंतराल को समाप्त किया जाना चाहिये।
- उद्योगों के साथ सहयोग कर ऐसे पाठ्यक्रम और अप्रेंटिसशिप विकसित किये जाने चाहिये जो युवाओं को रोजगार के लिये तैयार करें।
- भारत ने वर्ष 2024 तक छह वर्षों में 17 करोड़ से अधिक औपचारिक रोजगार जोड़े हैं, परंतु इस वृद्धि को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिये मज़बूत कौशल विकास अनिवार्य है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में क्षेत्रीय समानता: पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिये राज्य-वार मानव क्षमता सूचकांक लागू किया जाना चाहिये।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में संसाधनों को निर्देशित किया जाना चाहिये तथा साक्षरता एवं स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया जाना चाहिये।
- केरल के अनुकरणीय साक्षरता और स्वास्थ्य परिणाम लक्षित निवेश के लिये एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं।
- प्रवासन नीति सुधार और अधिकारों की पोर्टेबिलिटी: प्रवासियों के लिये 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' जैसी कल्याणकारी पोर्टेबिलिटी योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिये।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व (दूरस्थ मतदान) और सामाजिक सुरक्षा के लिये विधिक कार्यवाह तैयार किया जाना चाहिये।
- अधिकारों से समझौता किये बिना, बिना दस्तावेज वाले प्रवासन का मानवीय प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा में सुधार: सरकार, नियोजक और व्यक्तिगत योगदान को एकीकृत करते हुए बहु-स्तंभ पेंशन प्रणालियाँ विकसित की जानी चाहिये।
- आजीवन शिक्षा और समुत्थानशील सेवानिवृत्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- वर्ष 2050 तक अनुमानित 32 करोड़ वृद्ध जनसंख्या के लिये स्वास्थ्य सेवा की अवसंरचना तैयार की जानी चाहिये।
- संस्थागत सुधार और संघीय सहयोग: केंद्र और राज्यों के बीच नीतियों के समन्वय के लिये एक उच्च-स्तरीय राष्ट्रीय जनसांख्यिकी एवं प्रवासन आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।
- सभी नियोजन क्षेत्रों में जनसंख्या डेटा को शामिल करने के लिये नीति निर्माताओं के बीच जनांकिकीय संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- स्वच्छ गंगा मिशन और राज्य-स्तरीय शहरी विकास योजनाओं में समन्वय किया जाना चाहिये।
- पर्यावरण और शहरी संधारणीयता एकीकरण: जनांकिकीय योजनाओं को शहरी समुत्थानशीलता रणनीतियों, जल निकायों के पुनरुद्धार और प्रदूषण नियंत्रण से जोड़ा जाना चाहिये।
- भारत स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से जनांकिकीय योजनाओं को शहरी संवहनीयता के साथ एकीकृत कर सकता है, जो ऊर्जा-कुशल अवसंरचना, शहरी जल निकायों के जीर्णोद्धार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित प्रदूषण नियंत्रण तथा प्रकृति-आधारित समाधानों को बढ़ावा देते हैं, जिससे शहरी समुत्थानशीलता और नागरिक कल्याण में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष:

- भारत का जनांकिकीय मिशन, युवा क्षमता का संवर्द्धन, असमानताओं को समाप्त करने, प्रवासन को अपनाने और वृद्ध होती आबादी के लिये योजना बनाकर अपने भविष्य को नया आयाम देने का एक निर्णायक अवसर है।
- जैसा कि समाजशास्त्री ऑगस्टे कॉम्टे ने कहा था, “जनसांख्यिकी ही भाग्य है।” आगे बढ़ने का सार्थक मार्ग संस्थागत सुधारों, प्रौद्योगिकी अंगीकरण और नागरिक भागीदारी में निहित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की जनांकिकीय विविधता सभी पीढ़ियों के लिये समान, समुत्थानशील एवं भविष्य के लिये तैयार विकास में परिवर्तित हो।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q1. “जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend)” शब्द का सही अर्थ क्या है?

- युवाओं की संख्या में कमी
- वृद्ध जनसंख्या की वृद्धि से उत्पादकता में गिरावट
- कार्यशील आयु जनसंख्या का उच्च अनुपात जिससे आर्थिक वृद्धि की संभावना बढ़ती है
- जनसंख्या का संतुलन पुरुषों की ओर होना

उत्तर: C

Q2. “जनसांख्यिकीय लाभांश खिड़की” भारत में लगभग किन वर्षों के बीच खुला रहेगा?

- 1991–2026
- 2005–2055
- 2011–2036
- 2020–2060

उत्तर: B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. “जनसंख्या नियोजन केवल लोगों की गणना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया है।” भारत के जनांकिकीय मिशन में प्रौद्योगिकी अंगीकरण, नागरिक भागीदारी और सतत विकास प्राथमिकताओं के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिये।

(शब्द सीमा - 250, अंक - 15)

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI), 2025” रिपोर्ट

रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी में 1.1 अरब लोगों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जबकि भारत अपनी गरीबी दर को घटाकर 16.4% पर लाने में कामयाब रहा है। प्रमुख चुनौतियों में जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता और बुनियादी सेवाओं का अभाव शामिल है।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) के बारे में :



- जारीकर्ता: संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा 2010 से हर साल जारी किया जा रहा है।
- कार्यप्रणाली: यह सूचकांक 3 आयामों और 10 संकेतकों पर आधारित है।

वैश्विक स्तर पर निर्धन आबादी:

- 109 देशों की 6.3 बिलियन आबादी में से 1.1 बिलियन (18.3%) लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं।
- इनमें से 43.6% लोग ऐसे हैं, जिन्हें आधे या उससे अधिक MPI संकेतकों में गंभीर वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- इनमें से 83.2% लोग उप-सहारा अफ्रीका (565 मिलियन) और दक्षिण एशिया (390 मिलियन) में रहते हैं

भारत में बहुआयामी निर्धनता:

भारत में यह दर 2005–06 की 55.1% से घटकर 2019–2021 में 16.4% रह गई है। लगभग 414 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

सामान्य वंचनाएं :

स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की कमी, अपर्याप्त आवास, और खराब स्वच्छता सुविधाएं।

गरीबी और जलवायु संबंधी खतरों का दोहरा बोझ :

80% से अधिक गरीब आबादी जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है।

दक्षिण एशिया में जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है।

लघु द्वीपीय विकासशील देश (SIDS) :

- 22 SIDS देशों में निर्धनता दर 23.5% है, जो विकासशील देशों के औसत (18.3%) से अधिक है।
- वैश्विक उत्सर्जन के कारण बेलीज़, कोमोरोस और समोआ जैसे देशों में समुद्र का जलस्तर 2080–2099 तक 70 सेंटीमीटर तक बढ़ने का अनुमान है, जिससे गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) के प्रमुख संकेतकों के मापदंड :

आयाम (Dimension)	संकेतक (Indicator)	मापदंड (Deprivation Cut-off)
1. स्वास्थ्य	पोषण (Nutrition)	घर का कोई भी सदस्य, जिसके लिए पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध है, यदि वह कुपोषित पाया जाता है।
	बाल मृत्यु दर (Child Mortality)	सर्वेक्षण से पहले के पाँच वर्षों की अवधि में सर्वेक्षण वाले घर में 18 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो।
	स्कूलिंग के वर्ष (Years of Schooling)	घर के किसी भी पात्र सदस्य ने 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की हो।
2. शिक्षा	स्कूल में उपस्थिति (School Attendance)	स्कूल जाने की उम्र का कोई भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा रहा है, जिस उम्र में उसे कक्षा 8 पूरी कर लेनी चाहिए थी।
	स्वच्छ ऊर्जा (Cooking Fuel)	स्वच्छ ऊर्जा (जैसे LPG/CNG/बिजली/बायो-गैस) तक पहुँच नहीं हो।
	स्वच्छता (Sanitation)	उन्नत/बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच नहीं हो, या सुविधाएँ साझा की जाती हों।
3. जीवन स्तर (Standard of Living)	पेयजल (Drinking Water)	उन्नत/बेहतर पेयजल स्रोतों तक पहुँच नहीं हो, या स्रोत 30 मिनट से अधिक दूर हो।
	आवास (Housing)	कच्ची या अनुचित सामग्री से बने फर्श, छत या दीवारों वाले घर में रहना।
	बिजली (Electricity)	बिजली तक पहुँच नहीं हो।

संपत्ति (Assets)

कम से कम एक विशिष्ट संपत्ति (जैसे रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, जानवर, साइकिल, मोटरसाइकिल/स्कूटर, कार, रेफ्रिजरेटर) का स्वामित्व नहीं हो और न ही कोई मोटर चालित वाहन हो।

Q. “बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)” के सन्दर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से सही वाले को चुनिए।

1. MPI केवल आय-आधारित निर्धनता को मापता है।
 2. MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-मानक (living standards) नामक तीन आयाम शामिल हैं।
 3. 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1.1 अर्ब लोग बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं।
 4. MPI के तहत ‘माध्यमिक शिक्षा पूर्ण नहीं होना’ एक मानदंड नहीं है।
- (a) केवल 2 और 3 सही है (b) केवल 1 और 4 सही है
(c) 1, 3 और 4 सही है (d) सभी 1, 2, 3 और 4 सही हैं

उत्तर- (a) केवल 2 और 3 सही है।

- कथन 1 गलत है: क्योंकि MPI सिर्फ आय-आधारित निर्धनता नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन-मानक जैसे बहुआयामी कारकों को मापता है।
- कथन 2 सही है: MPI में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन-मानक तीन आयाम शामिल हैं।
- कथन 3 सही है: 2024 की MPI रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.1 अरब लोग बहुआयामी निर्धनता में हैं।
- कथन 4 गलत है: क्योंकि शिक्षा आयाम के अंतर्गत स्कूल-उपस्थिति या वर्षा-शिक्षा पूर्णता जैसे मानदंड आ सकते हैं।

PLUTUS IAS **UPSC/PCS** **EVENING BATCH**

हिंदी साहित्य वैकल्पिक

BATCH STARTING FROM 06th November 2025

05:20PM - 07:20PM

Dr. Akhilesh Kr. Shrivastava

2nd Floor, Apurva Arcade, Kirti Bagh Metro Station Gate No. - 8, New Delhi 110005

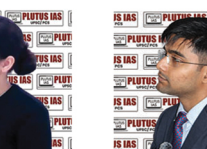
OUR CENTERS: Delhi | Chandigarh | Mumbai | Bangalore

8448440231 **www.plutusias.com**



PLUTUS IAS
UPSC / PCS

Our Top Rankers

 AIR - 733 AKHILESH KUMAR VERMA UPSC CSE-2024 PTDP - 2024	 AIR - 91 MANU GARG UPSC CSE-2024 PTDP - 2024	 AIR - 689 KHETDAN CHARAN UPSC CSE-2024 PTDP - 2024	 AIR - 181 HARDIK GARG UPSC CSE-2024 PTDP - 2024	 AIR - 520 ROMA BARNA UPSC CSE-2024 PTDP - 2024	 AIR - 132 RAJAT SINGH UPSC CSE-2024 PTDP - 2024	 AIR - 522 SHIVAM SINGH UPSC CSE-2024 PTDP - 2024
---	---	---	---	---	--	---

Many more.....

Best UPSC Faculties in India



Dr. Hardeep Singh IAS
(Retd.)



Dr. Ghanshyam Singh
(HCS allied services)



Dr. Raju Narayana Swamy
(Principal Secretary | IAS |
AIR 1 | honorary)



Dr. Huma Hassan
(Anthropology & Sociology
optional)



Prateek Tripathi
(Economic & Physics
Optional)

Our Books are available on

www.flipkart.com



Flipkart

www.onlinekhanmarket.com



Onlinekhanmarket

www.examophobia.com



Examophobia

www.amazon.in



Amazon

Corporate Office:



917A/41, 1st floor, WEA Karol Bagh, Delhi 110005

Basement - 8 Apsara Arcade, Karol Bagh metro station
Gate no. 6, New Delhi 110005



C 59, C Block, Sector 2, Noida, Uttar Pradesh 201301